खण्ड-231, अंक-3
शनिवार, 5 ज्येष्ठ, शक संवत् 1884
(26 मई, 1962 ई0)

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

# कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 231 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६२

---

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

# विषय-सूची


| विषय | | | | | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| उपस्थित सदस्य | .. | .. | .. | .. | २२५–२२९ |
| प्रश्नोत्तर | .. | .. | .. | .. | २२९–२३५ |
| कार्य-स्थगन प्रस्ताव (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) | | | | .. | २३५ |
| गोरखपुर जिले के नवतनवा उपनगर में बम विस्फोट के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना | .. | .. | .. | .. | २३५ |
| बलिया जिले की अदालत में उपस्थित अभियुक्त को पुलिस द्वारा बलपूर्वक कोतवाली ले जाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य | | | | .. | २३५–२३९ |
| सदस्य द्वारा जानकारी | .. | .. | .. | .. | २३९ |
| सदन का भावी कार्यक्रम | .. | .. | .. | .. | २३९ |
| १९६२–६३ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २५—उद्योग तथा अनुदान संख्या ४८—औद्योगिक विकास पर पूंजीगत लागत (स्वीकृत) | | | | .. | २३९–२६७ |
| अनुदान संख्या ३९—सार्वजनिक निर्माण-कार्यों के लिये सहायक अनुदान तथा अनुदान संख्या ४६—प्रकीर्ण व्यय (स्वीकृत) | | | | .. | २६८–३०१ |


---

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

---

## शनिवार, २६ मई, १९६२

---

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

---

## उपस्थित सदस्य—३३३

अखंडप्रतापसिंह, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल बाकीर खां, श्री
अब्दुल साकी, श्री
अब्दुल हाकीब खां, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवेद्यनाथ, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासन, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री (आजमगढ़)
उमाशंकर, श्री (वाराणसी)
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
कंवईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरू)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
किसुना, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
केसरीप्रसाद, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (एटा)
गंगासिंह, श्री
गणेशचन्द, श्री
गनेशीलाल, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री

गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम, श्री
चन्द्रजीत, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबली, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद, श्री
जगन्नाथ, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगरनाथ, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जयगोपाल, श्री
जमील अब्बासी, श्री काजी
जसरामसिंह, श्री
जिया उर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जेड० ए० अहमद, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिट झिल्लू, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण, श्री
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम, श्री

दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराज, श्री
दौलतलाल, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरसिंहनारायण, श्री
नरेंद्रबहादुर सिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री (मुरादाबाद)
नरेन्द्रसिंह, श्री (पिठौरागढ़)
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अंसारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह,श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचम, श्री
पशुपतिनाथसिंहनसिंह, श्री
पातीराम, श्री
पितई, श्री
पीतमसिंह, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री

बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बसंतसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
मंगल, श्री (देवरिया)
मंगल, श्री (बहराइच)
मंगलदेव, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
माधोनारायण, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हुसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनार्यसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनसिंह, श्री
यशपाल, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेंद्रदत्त, श्री
यादवेंद्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनार्यसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रफी खां, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेंद्रप्रतापसिंह, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथ, श्री
राजनारायण, श्री (मिर्जापुर)
राजनारायण, श्री (वाराणसी)
राजनारायण मिश्र, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेंद्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम, श्री
रामआधार कनौजिया, श्री
रामआधीन सिंह, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर, श्री (फतेहपुर)
रामकिशोर, श्री (बाराबंकी)
रामकुमार, श्री

रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली, श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरत प्रसाद, श्री
रामायण, श्री
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, श्री राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ, श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रताप सिंह, श्री
वीरसेन, श्री
बैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शकुंतला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह श्री
शांतिचन्द, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवेंद्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपाल, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुगनचन्द शर्मा, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजन, श्री
सुरेंद्रदत्त बाजपेयी, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सुरेंद्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरीदत्त, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हेतराम, श्री

हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट:—मंत्रि परिषद् के निम्नलिखित सदस्य भी उपस्थित थे—

श्री हरगोविन्दसिंह,
श्री शिवप्रसाद गुप्त ।

---

# प्रश्नोत्तर

## शनिवार, २६ मई, १९६२

---

## अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

### हरगांव तथा गोला चीनी मिलों के गन्ना क्रय मूल्य में विषमता

**१—**श्री बंकटासिंह** ( जिला खीरी ) ( अनुपस्थित ) तथा **श्री छेदालाल चौधरी** (जिला खीरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कुकरा, मैलानी तथा मीरा, देवकली, फरधान, लखीमपुर, जिला खीरी गन्ना बिक्री पर अवध शुगर मिल्स लि०, हरगांव द्वारा मई, १९६२ के प्रथम सप्ताह में सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से ३ आना प्रति मन कमी पर गन्ना खरीदा जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

**गन्ना विकास राज्य मंत्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)**—वर्तमान सीजन में १ मई, १९६२ से गन्ने का मूल्य हफ्तेवार रिकवरी से लिंक कर दिया गया । चूंकि मई के प्रथम सप्ताह में हरगांव मिल की रिकवरी ९ प्रतिशत से अधिक थी अतएव इस मिल द्वारा निर्दिष्ट केन्द्रों से उक्त सप्ताह में खरीदे गये गन्ने के मूल्य में कोई कटौती नहीं की गई ।

**२—**श्री बंकटासिंह** (अनुपस्थित) तथा **श्री छेदालाल**—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि शुगर मिल्स गोला द्वारा अवध शुगर मिल, हरगांव मिल की अपेक्षा मीरा पलिया एक ही गन्ना यूनियन के अन्तर्गत पलिया केंद्र तथा गोला गेट पर पुराने यानी १ रु० ८ आ० प्रति मन की दर से गन्ना खरीदा जा रहा है ? यदि हां, तो हरगांव और गोला चीनी मिलों के भावों में विषमता क्यों है ?

**श्री दाऊदयाल खन्ना**—गोला चीनी मिल की रिकवरी मई के प्रथम व द्वितीय सप्ताह में ९ प्रतिशत से अधिक थी, अतएव इस मिल द्वारा गन्ने के मूल्य में कोई कटौती नहीं की गई । इसके विपरीत हरगांव मिल की द्वितीय सप्ताह की रिकवरी ९ प्रतिशत से नीचे ०.२ प्रतिशत कम हुई, अतएव यह मिल मई के द्वितीय सप्ताह में गन्ने के मूल्य में केवल ३ नया पैसा प्रति मन की दर से कटौती करने के लिये अधिकृत होगी । विभिन्न मिलों की रिकवरी में अन्तर होना स्वाभाविक है, अतएव उनके भावों में भी अन्तर है ।

**श्री छेदालाल चौधरी**—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि यह जो रिकवरी की जांच-पड़ताल होती है वह अवध शुगर मिल, हरगांव की लेबोरेटरी में होती है या राजकीय लेबोरेटरी में ?

**श्री दाऊदयाल खन्ना**—यह जांच मिल के ही द्वारा होती है और यह प्वाइंट २ परसेंट है और ३ नये पैसे प्रतिमन की कटौती होती है । इससे यह जाहिर है कि शंका की कोई बात नहीं होनी चाहिये ।

**श्री रामायण** (जिला देवरिया)—जैसा कि उत्तर दिया गया, रिकवरी की जांच मिल स्वयं करती है और उसके आधार पर यह कटौती होती है और यह शिकायत भी बराबर बनी रहती है कि मिल रिकवरी के बारे में सही सूचना नहीं देते हैं, तो इस गड़बड़ी को दूर करने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

**श्री बाऊदयाल खन्ना**---मैंने अर्ज किया कि जो रिकवरी होती है यह तो मिल की लेबोरेटरी में जब टेस्ट होता है उसके आधार पर होती है ।

**श्री छेदालाल चौधरी**---मैलानी, कुकरा तथा मीरा आदि जो गन्ना खरीदने के सेंटर ह यहां पर गन्ना दो-दो तीन-तीन दिन तक पड़ा रहता है और वह सूखता रहता है तब उसको मिल लेती है । तो सरकार क्या कोई ऐसा प्रबन्ध करेगी कि गन्ना जैसे ही वहां पहुंचे, मिल उसे खरीदकर ले जाय ?

**श्री बाऊदयाल खन्ना**---ऐसा नहीं होता है, फिर यह तो मिल के इंटरेस्ट में है कि वह गन्ने को फौरन फैक्ट्री में ले जाय।

**श्री रामायण**---रिकवरी जब कम होती है तो रिकवरी बेसिस पर दाम दिया जाता है ऐसा मंत्री जी ने बताया । तो मैं यह पूछना चहता हूं कि समूचे वर्ष रिकवरी बेसिस पर गन्ने का मूल्य क्यों नहीं दिया जाता ।

**श्री बाऊदयाल खन्ना**---अभी इस वक्त जो फायदा है वह ऐसा है । इस वक्त जो गन्ना पिर रहा है उसमें ९ परसेंट से कम रिकवरी आती है, तो उसमें कटौती होगी ।

**श्री कल्पनार्थसिंह** (जिला गोरखपुर)---श्रीमन्, जहां का जिक्र इस प्रश्न में किया गया है वहां पर काश्तकारों को गन्ने की जो परचियां दी जाती हैं उनमें गन्ने की कोई कीमत नहीं लिखी रहती है, यदि ऐसा है तो क्यों ?

**श्री दाऊदयाल खन्ना**---ऐसी मेरे पास कोई सूचना नहीं है ।

**श्री भीखालाल** (जिला उन्नाव)---क्या मंत्री जी ने इस बात की जांच करायी है कि एक ही इलाके से खरीदा हुआ गन्ना दो मिलों में जाता है तो गोला मिल में ९ प्रतिशत से अधिक और हरगांव में ९ प्रतिशत से कम रिकवरी क्यों होती है ?

**श्री दाऊदयाल खन्ना**---इसका कारण यह है कि जो गन्ना जाता है वह रेल सेंटर से जाता है और ३६ मील का फासला है जिसको कवर करने के लिये कुछ समय लगता है, ड्राइव की वजह से रिकवरी कम हो जाती है और हरगांव में फ्रेश केन आता है उसमें रिकवरी कम नहीं होती ।

**श्री नरसिंहनारायण** (जिला गोरखपुर)---यह रिकवरी या केन प्राइस जो तय होती है यह पूरे सीजन के ऊपर तय होती है या जो गन्ना जाता है उसकी रिकवरी के ऊपर ?

**श्री दाऊदयाल खन्ना**---वह तो मिनिमम प्राइस निर्धारित कर ली गयी, १ रुपया १० आना गेट पर और १ रुपया ८ आना सेंटर पर । यह सरप्लस केन है और चूंकि नये हालात में गन्ना सूख रहा है, रिकवरी कम हो रही है इस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे रिकवरी से लिंक कर दिया है ।

**श्री भीखालाल**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मीरा और पलिया जिनसे गोला और हरगांव दोनों ही गन्ना खरीदते हैं और दोनों ही मिलों में रेलवे से गन्ना आता है तो क्या मंत्री जी इसकी पुनः जांच करने की कोशिश करेंगे कि हरगांव मिल में जो कम रिकवरी का कारण बताया है उसके अलावा और कोई कारण तो नहीं है ?

**श्री दाऊदयाल खन्ना**---मैलानी, मीरा और कुकरा सेंटर का गन्ना हरगांव को जा रहा है, गोला को नहीं जा रहा है ।

**श्री रामायण**---क्या माननीय मंत्री जी इसके संबंध में कोई एक्सपर्ट्स से सलाह लेने की कृपा करेंगे कि देरी के कारण गन्ने में शुगर कंटेंट कम नहीं होते ?

**श्री दाऊदयाल खन्ना**---एक्सपर्टस की राय है कि जब गन्ने में सूख शुरू हो जाती है तो शुगर कंटेंट कम हो जाते हैं ।

**कुंवर श्रीपाल** (जिला जौनपुर)---क्या मंत्री जी के पास इस प्रकार की कोई सूचना है कि ३६ मील दूरी गन्ना कितने घंटे में तय करता है ?

**श्री दाऊदयाल खन्ना**---नोटिस की आवश्यकता है ।

**श्री नरसिंहनारायण**---क्या इस बात को सूचना मान कर कि टैरिफ कमीशन न अपनी रिकमेंडेशन में लिखा है कि गन्ने का भाव या मजदूरों को बोनस जो दिया जाता ह तो सीजन की रिकवरी की प्राइस पर दिया जाना चाहिये, क्या मंत्री जी यह जो ३ नये पैसे दाम में कमी की गयी है इसको दुरुस्त कराने की कृपा करेंगे ?

**श्री दाऊदयाल खन्ना**---इस संबंध में सेंटर का जो आदेश है और जो निश्चय किया है वह यह है कि चूंकि अब ९ परसेंट से रिकवरी कम होनी शुरू हो जायगी इसलिये ३ आने हद मुकर्रर कर दी है, इसलिये जांच की आवश्यकता नहीं रहती है ।

## मिस्टर स्पीयर्स, एस० एस० पी०, लखनऊ का इस्तीफा

**३---**श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मिस्टर स्पीयर्स, एस० एस० पी०, लखनऊ ने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया है ? अगर हां, तो क्यों ?

**नियोजन उप-मंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)**---जी हां । इस्तीफा में कोई कारण नहीं दिया गया है ।

**४---**श्री रियासत हुसैन (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या ए० आई० जी० की पोस्ट को खत्म कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

**श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा**---जी नहीं ।

**श्री कल्पनार्थसिंह**---क्या माननीय मुख्य मंत्री को मालूम है कि यह इस्तीफा इस कारण से दिया गया है कि एक सज्जन जो उनसे जनियर थे उनको सुपरसीड कराके उनका अफसर बनाया गया है ?

**श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा**---जी हां, यह बात सही है कि जो उनके नीचे वाले थे उनको डी०आई०जी० बना दिया गया । कारण यह था कि इनके खिलाफ एक शिकायत थी जिसकी जांच हो रही है, अभी कोई फैसला नहीं हुआ है और यह उचित नहीं था कि जबतक उस पर फैसला न हो जाय, उनको इस पद पर रख दिया जाय ।

**श्री कल्पनार्थसिंह**---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को ज्ञात है कि उक्त शिकायतें जान-बूझ कर इसीलिये कराई गई थीं ताकि उनका प्रमोशन रोक दिया जाय और श्री गुप्त जी को प्रमोट कर दिया जाय ?

**श्री अध्यक्ष**---उन्होंने बताया है कि अभी इंक्वायरी हो रही है ।

**श्री रामसुन्दर** (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि यह शिकायत कब की है और उसकी इंक्वायरी किस अधिकारी द्वारा कराई जा रही है ?

---

नोट :---अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ३-४ श्री कल्पनार्थसिंह ने पूछे ।

**मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)**---जिस अधिकारी के संबंध में यह प्रश्न उठाया गया है उसके विषय में करीब सवा साल से इंक्वायरी चल रही है। हमारे भूतपूर्व गृहमंत्री जी ने उनके विषय में कुछ जानकारियां प्राप्त की थीं जबकि वे आगरा में एस०एस०पी० के पद पर नियुक्त थे। वे जानकारियां ऐसी थीं जिनकी बुनियाद पर उन्हें कुछ आदेश निकालना पड़ा जिसके तहत में उन्होंने यह आज्ञा दी कि जांच की जाय और उस समय उनका ऐसा भी आदेश था कि वह दूसरे स्थान पर भेजे जायं। जांच होती रही और उसके बाद कुछ बातें सरकार की नजर में आईं। उस वक्त यह निर्णय लिया गया कि उन्हें डी०आई०जी० के पद पर न रखा जाय बल्कि एक दूसरे स्थान, रेलवे के ए०आई०जी० के पद पर, जोकि करीब करीब डी०आई०जी० के बराबर होता है, भेजा जाय।

**श्री रामसुन्दर**---अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने यह नहीं बताया कि किस अधिकारी से यह जांच कराई जा रही है।

**श्री चन्द्रभानु गुप्त**---सी० आई० डी० के जो अधिकारीगण हैं उनको यह काम सुपुर्द था। उसके पहले, उस जमाने में जो एडीशनल आई०जी० थे, जो अब चले गये हैं, उन्होंने इन बातों की इंक्वायरी की थी।

**श्री यादवेन्द्रदत्त** (जिला जौनपुर)---माननीय मुख्य मंत्री जी ने बताया कि शिकायतों की जांच हो रही है और पुराने गृह मंत्री के सामने कुछ तथ्य आये थे जिनके कारण उनका ट्रांसफर किया गया और डी०आई०जी० नहीं बनाया गया, लेकिन रेलवे का ए०आई० जी० बना दिया गया जो कि डी०आई०जी० के पद के बराबर है, तो क्या जो शिकायतें और तथ्य थे वह इतने प्रबल नहीं थे जिनके आधार पर डी० आई० जी० न बनाया जाय परन्तु ए० आई० जी० बनाने के योग्य उन्हें मान लिया गया? क्या उन तथ्यों से कोई और बात निकली?

**श्री चन्द्रभानु गुप्त**---उन तथ्यों के सामने आने के बाद यह तय पाया गया कि डी०आई० जी० का जो पद है, उस पद पर रहते हुये जिस प्रकार का कार्य करना पड़ता है और जिस उत्तरदायित्व की आशा की जाती है कदाचित् उस उत्तरदायित्व को वह नहीं निभा सकेंगे, परन्तु रेलवे के जिस पद पर उनको भेजा जाने वाला था उस पर एक दूसरे प्रकार का उत्तरदायित्व निभाना पड़ता है, इसी कारण यह निर्णय लिया गया कि उनको डी० आई० जी० न बनाया जाय बल्कि रेलवे के ए० आई० जी० के पद पर भेज दिया जाय।

**श्री रामायण**---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या श्री गुप्त (जैसा कि और सदस्यों ने नाम बताया) ने मिस्टर स्पीयर्स, एस० एस० पी० के अतिरिक्त किसी अन्य एस० एस० पी० को भी सुपरसीड किया?

**श्री चन्द्रभानु गुप्त**---वह व्यक्ति गुप्त नहीं है। सदन में इस तरह की मनोवृत्ति को बार-बार दिखलाना अशोभनीय है।

**श्री रामसुन्दर**---श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय रामायण राय जी को आपने पुकारा, वे प्रश्न कर रहे थे कि बिना पुकारे ही माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किसी व्यक्ति विशेष के सिलसिले में विश्लेषण करना शुरू कर दिया। मैं समझता हूं कि यह सदन की परम्परा और उसके नियमों के विरुद्ध है?

**श्री रामायण**---मान्यवर, मुझसे पूर्व किसी ने प्रश्न किया था और उसमें उन्होंने किसी गुप्ता का नाम लिया था।

**श्री अध्यक्ष**---ठीक है, वह उन्होंने करेक्ट कर दिया।

**श्री उग्रसेन** (जिला देवरिया)—मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय रामसुन्दर पांडेय जी ने एक व्वयस्था का प्रश्न उठाया था, उस पर आपने कोई व्यवस्था नहीं दी। माननीय मुख्य मंत्री जी क्यों गरम हो जाते हैं, पहले आप उनको ठंडा कीजिये। हम लोग भी गरम होना जानते हैं।

**श्री एस० जी० दत्त** (जिला कानपुर)—अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता सोशलिस्ट पार्टी ने अभी यह लफ्ज बोले कि "गर्म हैं सर्द कीजिये"। ये शब्द अनपार्लियामेटरी हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी की शान में उनको ऐसा नहीं कहना चाहिये।

(बहुत से माननीय सदस्यों के खड़े होने पर।)

**श्री अध्यक्ष**—आप लोग बैठ जाइये। माननीय उग्रसेन जी, आप बिना कायदे काम कर रहे हैं।

**श्री उग्रसेन**—आप माननीय मुख्य मंत्री जी को ठंडा कीजिये।

**श्री अध्यक्ष**—अगर कोई बात कही जाती है और उसके संबंध में किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है तो वह स्पष्टीकरण किसी माननीय सदस्य के बोलने के समय भी दिया जा सकता है। अगर आप नियम २९२ का अवलोकन कर तो वह उसके अनुसार है, केवल उसमें शर्त यह है कि कोई अव्यवस्था न हो, कोई डिसआर्डरलीनैस न हो। माननीय मुख्य मंत्री जी का केवल एक स्पष्टीकरण था कि यह बात गलत है कि आप बार-बार "गुप्ता" कहते हैं जब कि वह "गुप्ता" नहीं हैं। उसके बाद माननीय रामायण राय जो स्वयं कह रहे थे कि उन्होंने सिर्फ इस वजह से नाम लिया क्योंकि उनके पूर्व किसी माननीय सदस्य ने 'गुप्ता' कहा था वरना नाम विशेष लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। किसी विशेष व्यक्ति का नाम लिया जाना यूं भी अनुचित है प्रश्नों के सिलसिले में, अथवा उसके सम्बन्ध में कोई बात कही जाय जब कि वह व्यक्ति सदन में नहीं है।

**श्री यादवेन्द्रदत्त**—अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। सदन में रोष के भाव से उत्तर प्रत्युत्तर नहीं करना चाहिये। आपने कभी कहा कि नियम के अनुसार पर्सनल एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। लेकिन माननीय मुख्य मंत्री को पर्सनल एक्सप्लेशन देने के लिये आपसे आज्ञा लेनी चाहिये थी। मैं इसमें कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूं, केवल आपके लिये कह रहा हूं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप सदन के सम्मुख इस बात को स्पष्ट कर दें कि हम लोगों को रोष में कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं करने चाहिये।

**श्री अध्यक्ष**—मैं माननीय नेता विरोधीदल से सहमत हूं कि सदन के अन्दर यथाशक्ति हमें संयम से बातचीत करनी चाहिये। अब जहां तक माननीय गुप्ता जी का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि उनका स्थान और उम्र आदि सब बातों को देखते हुए हम लोगों को भी कुछ सहिष्णुता बरतनी चाहिये। मैं यह नहीं कहता कि अगर वे रोष में आ जायं तो वह किसी प्रकार से सही बात है। मैं यह सदन से निवेदन कर रहा हूं।

**श्री रामसुन्दर**—मैंने तो यह प्रश्न उठाया था कि बिना आपकी आज्ञा के, क्या कोई माननीय सदस्य बिना उसका नाम पुकारे जाने पर, खड़े होकर बीच में बोल सकता है?

**श्री अध्यक्ष**—अगर किसी के सम्बन्ध में कोई बात उठायी जाय तो नियमानुसार वह मुझे सम्बोधित होनी चाहिये।

**श्री रामायण**—जिन साहब को डी० आई० जी० बनाया गया है उनका नाम क्या है और उन्होंने मिस्टर स्पीयर्स के अलावा और किन-किन को सुपरसीड किया है?

**श्री चन्द्रभानु गुप्त**—उनका नाम श्री गोविन्दचन्द है और यदि जाति बिरादरी की बात पूछी जाती है, तो वे ठाकुर है।

**श्री अध्यक्ष**--मुख्य मंत्री जी, एक प्रश्न और है कि मिस्टर स्पीयर्स के अलावा और किसी भी व्यक्ति या अधिकारी को उन्होंने सुपरसीड किया ?

**श्री चन्द्रभानु गुप्त**--किसी को नहीं, उनके बाद इन आर्डर आफ सीनियरिटी वही हैं।

**श्री चन्द्रजीत**--क्या माननीय मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मिस्टर स्पीयर्स, एस० एस० पी०, लखनऊ के खिलाफ जो आरोप थे और जिसके जांच के फलस्वरूप उन्हें अपनी नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा--अगर पब्लिक इंटरेस्ट में बतलाना अनुचित न हो तो वे बतलाने की कृपा करेंगे कि वे कौन से आरोप थे जिस पर सरकार को यह कदम उठाना पड़ा है ?

**श्री चन्द्रभानु गुप्त**--जो उस समय के गृह मंत्री थे उनके सामने इस प्रकार क आरोप आये थे कि उनके बारे में यह कहा जाता है कि जब वे एस० एस० पी०, आगरा थे तो थाने बेचा करते थे, यानी थाने के लिये उन्होंने कुछ रकम निर्धारित कर रखी थी। और यह भी बतलाया जाता है कि वहां से चलते समय जिन आदमियों को वे पसन्द करते थे या जिसको नहीं पसन्द करते थे, अपने ट्रांसफर के साथ सब का ट्रांसफर करते आये जब कि दूसरा अधिकारी दो चार रोज में ही वहां पहुंचने वाला था। उनके बारे में यह भी आरोप था कि उन्होंने बहुत पैसे इकट्ठा किये हैं। और इस तरह की कई बातें थीं। इसकी जब जांच हुई तो मालूम हुआ कि उन्होंने औरों का ट्रांसफर एक साथ ही किया था जब कि दो चार रोज में ही दूसरा अधिकारी पहुंचने वाला था। जांच से यह साबित हुआ कि उन्होंने इनडिस्क्रिशन से काम लिया था। इसलिये यह निर्णय हुआ कि ऐसा व्यक्ति डी० आई० जी० जैसे उत्तरदायित्वपूर्ण पद पर रखने के योग्य नहीं है इसलिये उसे वहां से हटा दिया जाय।

**श्री चन्द्रजीत**--क्या माननीय मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने मिस्टर स्पीयर्स के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है ? यदि नहीं, तो ऐसे गम्भीर आरोप को देखते हुये उसे स्वीकार करने की कृपा करेंगे ?

**श्री चन्द्रभानु गुप्त**--सरकार ने अब तो इस इस्तीफा को मंजूर करने के लिये प्रसिडेंट के पास भेज दिया है क्योंकि आई० पी० एस० आफिसर का इस्तीफा प्रेसिडेंट महोदय ही मंजूर करते हैं। पहले इस बात की कोशिश की गयी आई० जी० व चीफ सेक्रेटरी के जरिये कि वे इस प्रकार के कोई कदम न उठावें। यदि वे इसे इनडिस्क्रिशन समझते हैं और इस सम्बन्ध में उनको कुछ अधिक कहना है तो वे सरकार के पास अपील कर सकते हैं और फिर सरकार उस पर विचार करेगी। परन्तु उन्होंने यह समझ कर कि यहां अब उन्हें कोई प्रमोशन का मौका नहीं है, वे अपने इस्तीफा देने की बात पर आरूढ़ रहे और उनका इस्तीफा अब सरकार ने प्रेसिडेंट के पास भेज दिया है।

**श्री यादवेन्द्रदत**--अभी जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा--थाने बेचने कि शिकायत थी यानी उनकी इन्टेग्रिटी कुछ गड़बड़ थी, तो जिस आदमी की इन्टेग्रिटी गड़बड़ हो फिर उसे रेलवे में असिस्टेंट आई० जी० के पद पर क्यों लिया गया ?

**श्री चन्द्रभानु गुप्त**--आरोप के सम्बन्ध में आपने पूछा था। उन आरोपों की चर्चा हुई और जब उन आरोपों की जांच हुई तो उनमें से कुछ तो साबित हुए लेकिन जहां तक इनडिस्क्रिशन की बात है, वह आरोप बाकायदा साबित नहीं हो सका लेकिन चूंकि ट्रांसफर आदि एक साथ हो हुए थे इसलिये सरकार ने यह निर्णय किया कि उन्हें डी० आई० जी० न बना कर असिस्टेंट आई० जी०, रेलवे का ओहदा दे दिया जाय।

**श्री उग्रसेन**--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब उन्हें रेलवे में प्रोटेक्शन फोर्स का ए० आई० जी० बनाया गया तो क्या इस विषय में रेलवे अधिकारियों की राय ली गई कि वह इस काबिल है या नहीं ?

**श्री चन्द्रभानु गुप्त**---इस के लिये रेलवे अधिकारीगण यू० पी० सरकार से अधिकारी मांगते हैं और जिस को यह सरकार देती है उस को वह वहां रखते हैं ।

**कुंवर श्रीपाल**---क्या इस बात को देखते हुये कि उनके विरुद्ध बहुत ही घृणित किस्म के आरोप हैं सरकार प्रेसिडेंट को यहां से संस्तुति करेगी कि इस्तीफा मंजूर किया जाय ?

**श्री अध्यक्ष**---संस्तुति तो इस्तीफा की मंजूरी की सरकार ने भेज दी है ।

**श्री ऊदल** (जिला वाराणसी)---जो आरोप साबित नहीं हुये, उन के अलावा जो आरोप साबित हुये हैं उनकी बुनियाद पर, क्या सरकार उन पर मुकदमा चलाने का विचार करती है ?

**श्री चन्द्रभानु गुप्त**---सरकार ऐसी कोई बात नहीं सोचती ।

---

## कार्य-स्थगन प्रस्ताव

**श्री अध्यक्ष**---अब मेरे सामने एक कार्यस्थगन प्रस्ताव माननीय श्यामलाल जी का आया था, जो विषय इस का है वह सदन में ३१ मई को आ रहा है और उसमें संबंधित बातें पूछी जा सकती हैं, अतः वह अस्वीकृत हुआ ।

## गोरखपुर जिले के नवतनवा उपनगर में बम विस्फोट के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

**श्री अध्यक्ष**---नियम ५२ में मैंने श्री नरसिंहनारायण जी की एक सूचना स्वीकृत की है और उसे संबंधित मंत्री महोदय के पास भेज दिया है, उसे मैं पढ़कर सुनाये देता हूं, वह इस प्रकार है---'पश्चिमी नेपाल के सन्निकट भारतीय सीमा में स्थित गोरखपुर जिले के नवतनवा उपनगर में १३ मई के प्रातः ९ बजे के लगभग एक मकान में जोरों से बम फटने का धमाका हुआ तथा मकान की छत उस बम फटने से उड़ गई । घटनास्थल पर घंटों बाद जब पुलिस पहुंची उस समय भी एक व्यक्ति सख्त घायल पाया गया । इस प्रकार की घटनायें विभिन्न रूपों से गोरखपुर, बस्ती आदि सरहदी इलाकों में दिन प्रति दिन हो रही हैं । पुलिस विभाग इन घटनाओं को रोकने में अपने को असमर्थ पा रहा है । इस प्रकार की घटनाओं से सरहदी जनता के अन्दर अरक्षा तथा आतंक की स्थिति व्याप्त हो गई है' ।

इस संबंध में मंत्री जी वक्तव्य कब दे सकेंगे ?

**मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)**---३ रोज के बाद वक्तव्य दिया जा सकेगा ।

**श्री अध्यक्ष**---मंगल का दिन रख दूं ?

**श्री चन्द्रभानु गुप्त**---जी हां ।

**श्री अध्यक्ष**---तो मंगल को यह वक्तव्य होगा ।

## बलिया जिले की अदालत में उपस्थित अभियुक्त को पुलिस द्वारा बलपूर्वक कोतवाली ले जाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

**श्री अध्यक्ष**---अब श्री रामायण राय द्वारा दी गई सूचना के संबंध में माननीय गृहमंत्री का वक्तव्य होगा ।

गृह उपमंत्री (श्री नवलकिशोर)—अध्यक्ष महोदय, माननीय रामायण राय जी ने बलिया जिले की घटना के संबंध में सरकार का जो ध्यान आकृष्ट किया था उस का विवरण इस प्रकार है :—१७-५-६२ को जिलाधीश को लगभग सवा सात बजे टेलीफोन पर कलेक्टरेट से यह सूचना प्राप्त हुई कि अतिरिक्त जिलाधीश (न्याय) के न्यायालय में पुलिस एक मुलजिम को, जो वहां अपने वकील सहित हाजिर होने आया था, पकड़ने की कोशिश कर रही है। जिलाधीश व पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे और जांच से यह मालूम हुआ कि अवधेश कुमार, जो थाना सिकन्दरपुर के एक कत्ल के मुकदमे में मुलजिम था, अपने वकील द्वारा अतिरिक्त जिलाधीश (न्याय) के न्यायलय में लाया गया। अतिरिक्त जिलाधीश (न्याय) उस समय न्यायलय में उपस्थित नहीं थे। थानाधीक्षक, सिकन्दरपुर को जब इसकी सूचना मिली तो वह न्यायालय के कमरे में गये और मुलजिम को पकड़ने का प्रयत्न किया। मुलजिम के वकील ने इस पर आपत्ति की और यह कहा कि मुलजिम न्यायालय में हाजिर होने हेतु उपस्थित है अतएव पुलिस को उसे पकड़ने का कोई अधिकार नहीं है। थानाधीक्षक, सिकन्दरपुर ने कहा कि चूंकि न्यायालय के न्यायाधीश उस समय उपस्थित नहीं हैं इसलिये उसको मुलजिम को पकड़ने का पूरा अधिकार है। कुछ देर इस विषय में बातचीत हुई। इसी बीच २५-३० वकील और कुछ अन्य लोग अन्दर आ गये। मुलजिम को बाहर जाने से रोकने के लिये न्यायालय के तीन दरवाजे बन्द कर दिये गये और न्यायालय में उस समय काफी गड़बड़ रही। कुछ कठिनाई से पुलिस एक दरवाजा खोलने में सफल हुई और मुलजिम को पकड़ कर ले गई। कलेक्टरेट में ही जिलाधीश को यह भी सूचना प्राप्त हुई कि मुलजिम कोतवाली में है और वहां लगभग २०० व्यक्ति की भीड़ इकट्ठा है। जिलाधीश व पुलिस अधीक्षक तुरन्त ही कोतवाली पर गये और अपने साथ पब्लिक प्रोसीक्यूटर को भी ले गये। अतिरिक्त जिलाधीश (न्याय) ने भी इस समय तक एक प्रार्थना पत्र पर मुलजिम को उनके सामने तत्काल ही हाजिर करने के आदेश दे दिये थे। पब्लिक प्रौसीक्यूटर द्वारा कोतवाली से मुलजिम को अतिरिक्त जिलाधीश (न्याय) से न्यायालय में हाजिर किया गया जहां से वह अतिरिक्त जिलाधीश द्वारा जेल भेज दिया गया।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—गृह मंत्री जी के बयान से स्पष्ट हो जाता है....

श्री अध्यक्ष—आप प्रश्न कीजिये।

श्री दीपनारायणसिंह—मैं प्रश्न उसी से निकाल रहा हूं। बयान से स्पष्ट है कि वह मुलजिम ऐसे किसी जुर्म में मतलूब था जिसमें कार्यवाही शिनाख्त होनी थी या १६४ सी० आर० पी०सी० के अन्दर उसका बयान कलम बन्द कराना था। तो मंत्री जी बता सकेंगे कि उक्त मुलजिम को किस धारा के अन्तर्गत पकड़ा गया ?

श्री नवलकिशोर—उसके खिलाफ दफा ३०२ थी।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा)—जब कोई मुलजिम अदालत में हाजिर होने जा रहा हो तो क्या उसको गिरफ्तार करने का अधिकार पुलिस को है ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—अगर अदालत में प्रेसाइडिंग अफसर मौजूद न रहे तो हमें बताया गया है कि पुलिस के अधिकारी को, यदि उसके खिलाफ वारन्ट है, तो मुलजिम को अदालत से भी पकड़ सकता है।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—मंत्री जी ने बताया कि इजलास में प्रेसाइडिंग अफसर उपस्थित नहीं थे जब मुलजिम पकड़ा गया, तो मंत्री जी बतायेंगे यह कितने बजे की घटना है जब कोर्ट रूम में प्रेसाइडिंग अफसर नहीं थे ?

श्री नवलकिशोर—मैंने बताया कि सवा सात बजे को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को इत्तला मिली। आजकल सुबह की कोर्ट होती है।

श्री यादवेन्द्रदत्त—अगर प्रेसाइडिंग अफसर अपने चैम्बर में न हों तो पुलिस को अधिकार है मुलजिम को पकड़ने का। तो क्या यह अधिकार कोर्ट रूम के अन्दर है या बाहर है ?

श्री अध्यक्ष—यह राय का प्रश्न है, उन्होंने कहा यह उन्हें बताया गया है।

श्री यादवेन्द्रदत्त—यह अरेस्ट जो हुई, कोर्ट रूम के अन्दर हुई या बाहर हुई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, अन्दर हुई।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—अध्यक्ष महोदय, जो व्यक्ति गिरफ्तार हैं वह किस राजनीतिक पार्टी का है ?

श्री नवलकिशोर—जिन १३ आदमियों ने इस मामले में सरंडर किया है किसी न किसी पार्टी से उनके एफिलियेशंस हैं, यह बात सही है।

श्री चन्द्रजीत (जिला आजमगढ़)—जिस प्रकार से और जिस स्थिति में यह गिरफ्तारी की गयी उसको देखते हुये बलिया बार एसोसियेशन ने यह प्रस्ताव पास किया, एक सार्वजनिक मीटिंग की गयी पुलिस के रवैये के विरोध में, तो क्या सरकार, जो पुलिस इंचार्ज महोदय इस समय हैं, उनको यहां से ट्रान्सफर करने की कोशिश करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह ऐसा विषय है जिसके विषय में सरकार अधिक जानकारी हासिल करना चाहती है। जिलाधीश कल यहां थे और उन्होंने इस विषय में इंक्वायरी की है और उनकी इंक्वायरी का नतीजा वह नहीं है जिसका वर्णन माननीय सदस्यों ने इस अवसर पर यहां किया है। इंक्वायरी की रिपोर्ट उन्होंने हमारे पास भेजी नहीं है और जब इंक्वायरी की रिपोर्ट आ जायगी और सरकार अपने को संतुष्ट कर लेगी जो इंक्वायरी जिलाधीश ने की है और जो बातें बार एसोसियेशन में कही गयी हैं उनमें कहां तक सत्यता है और कितनी कमी है, उसके बाद सरकार इस विषय के ऊपर कोई निर्णय ले सकेगी या किन्हीं ऐसे विचारों पर विचार कर सकेगी जो विचार अभी माननीय सदस्यों ने सदन के सामने सुझाव के रूप में प्रस्तुत किये हैं।

श्री नरसिंहनारायण (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मंत्री को इस बात की जानकारी है कि जिस समय मुलजिम अदालत में लाया गया, क्योंकि प्रेसाइडिंग आफिसर वहां नहीं था, उसके वकीलों ने दरख्वास्त लगा कर बाजाब्ता सरंडर कराया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस विषय की जानकारी मेरे पास इस समय नहीं है। इस बात का उत्तर मैं दे सकता हूं कि मुझे यहां के जो हमारे ला एडवाइजर हैं उन्होंने बतलाया है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि कोई दरख्वास्त पेशकार को दी गयी कि मुलजिम सरंडर हो रहा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इसकी कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

कुंवर श्रीपाल (जिला जौनपुर)—जिस समय मुलजिम गिरफ्तार हुआ वह प्रेसाइडिंग आफिसर चेम्बर में थे या छुट्टी पर थे ?

श्री नवलकिशोर—चेम्बर में नहीं थे।

**श्री ऊदल** (जिला वाराणसी)—क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी कि अदालत का समय साढ़े ६ बजे से है तथा घटना ७ बजे घटी है और कोर्ट के अन्दर घटी है, तो इस तरह की घटना आइंदा न हो इसलिये इस मामले की अच्छी तरह से छानबीन करके उचित कार्यवाही माननीय मुख्यमंत्री करेंगे ?

**श्री अध्यक्ष**—यही तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने बतलाया कि छानबीन हो रही है ।

**श्री रामायण** (जिला देवरिया)—उन्होंने यह बतलाया कि तीन तरफ से दरवाजे बन्द हो गये थे यह दरवाजा कैसे बन्द हो गया और पुलिस को वहां के उपस्थित गण्यमान्य वकीलों को गाली-गलौज करने की क्या आवश्यकता पड़ी ?

**श्री नवलकिशोर**—मान्यवर, रामायणरायजी ने दो प्रश्न किये । एक तो यह कि दरवाजा कैसे बन्द हो गया । तो जो वकील साहबान अन्दर घुस आये थे उन्होंने वह आदमी बाहर न ले जाया जा सके इसलिये दरवाजा बन्द किया । दूसरा आक्षेप उनका यह है कि गाली गलौज की नौबत क्यों आयी । तो अभीतक जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने बताया है उससे यह मालूम होता है कि यह आक्षेप सही नहीं है ।

**श्री रामायण**—क्या माननीय मुख्य मंत्रीजी जिलाधीश महोदय के अलावा किसी अन्य अधिकारी से इस मामले की जांच कराने की कृपा करेंगे ?

**श्री नवलकिशोर**—अभी स्वयं मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की रिपोर्ट आने के बाद अगर सरकार मुतमईन नहीं होगी तो उसके बाद सोचेगी कि क्या करें ।

**कुंवर श्रीपाल**—जो प्रेसाइडिंग आफिसर साहब कोर्ट आवर्स में अपनी ड्यूटी पर नहीं थे उनके खिलाफ भी सरकार कोई कार्यवाही कर रही है या नहीं ?

**श्री चन्द्रभानु गुप्त**—सारी इन्क्वारी जो कलेक्टर ने की है उसकी रिपोर्ट तो हमारे पास है नहीं । जब वह रिपोर्ट आ जायगी तब उस उसके ऊपर कार्यवाही करेंगे ।

**श्री चन्द्रजीत**—आमतौर से जो अनुभव है वह यह है कि जांच दोनों पक्षों की नहीं होती । तो जो बार एसोसिएशन ने रेजोल्यूशन पास किया है, क्या जिलाधीश महोदय को माननीय मुख्य मंत्रीजी यह आदेश देंगे कि वह बार एसोसिएशन के भी बयान अपनी जांच के दौरान में लें ?

**श्री नवलकिशोर**—जिलाधीश ने यह बताया कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट पूरी कर ली है और उसको वे यहां भेज देंगे । उसके आने के बाद सरकार उसे देखेगी और फिर जो उचित होगा वह किया जायगा ।

**श्री रामायण**—वहां के बार एसोसिएशन ने जो प्रस्ताव पास किया है, क्या उसकी कोई प्रति मुख्य मंत्रीजी को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उस प्रस्ताव में वहां के स्थानीय पुलिस के खिलाफ क्या शिकायत की गयी है ?

**श्री नवलकिशोर**—बलिया बार एसोसिएन ने जो प्रस्ताव पास किया उसकी प्रतिलिपि हमारे पास नहीं है ? परन्तु उस में पुलिस के ऊपर मिस्बिहेबियर का आक्षेप लगाया गया है । वाराणसी में भी इस तरह का प्रस्ताव पास हुआ है ।

**श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह**—क्या सरकार जब पूरा ब्योरा जांच का आ जायगा और जो कार्यवाही उस पर की जायगी, उसे सदन के सामने रखने की कृपा करेगी ?

**श्री नवलकिशोर**—मान्यवर, यदि आपका आदेश होगा तो हमें क्या आपत्ति होगी ?

**श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह**—श्रीमन्, इसमें क्या निश्चय हुआ ?

**श्री अध्यक्ष**—आपके सामने रिपोर्ट आ जायगी ।

**श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह**—श्रीमन्, इसके लिये तिथि निश्चित हो जानी चाहिये ।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**—जब अन्तिम निर्णय हो जायगा तो उसकी रिपोर्ट सदन के सामने ले आयेंगे ।

## सदस्य द्वारा जानकारी

**श्री बलवानसिंह** (जिला कानपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे शामली वाले मामले का क्या हुआ ?

**श्री अध्यक्ष**—देखिये बलवानसिंह जी, मैंने जब एक स्वीकार कर लिया है तो दूसरा नहीं आ सकता है इसलिये मैंने माननीय कल्पनाथसिंह जी से कहा था कि वे अल्पसूचित तारांकित प्रश्न दे दें । नियम ५२ के अन्तर्गत तो बहुत से प्रश्न आजाते हैं और मैं एक को ही स्वीकार कर सकता हूं ।

## सदन का भावी कार्यक्रम

**श्री अध्यक्ष**—माननीय पार्लियामेंटरी मंत्री, आप बयान देंगे कि सदन का क्या कार्यक्रम है ?

**सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसीदास)**—श्रीमन्, २८ तारीख को, सोमवार के दिन मैं सलाह मशिवरा करने के बाद सूचना दे सकूंगा ।

**श्री उग्रसेन** (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, संसदीय विषयक मंत्री जी हम से मिले थे और उन्होंने कहा कि आल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग ५-६ तारीख से होगी इसलिये इधर सदन खत्म हो जाना चाहिये और असरकारी दिवस बाद को ले लिये जायेंगे । हम इसके विरूद्ध हैं और मैं मंत्री जी को चेतावनी दे देना चाहता हूं कि सोशलिस्ट पार्टी इसका विरोध करेगी और सदन लगातार चलना चाहिये ।

**श्री अध्यक्ष**—उन्होंने यह कहा है कि वे सब से बात करेंगे, अभी बात नहीं की है ।

## १९६२-६३ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २५—उद्योग तथा अनुदान संख्या ४८—औद्योगिक विकास पर पूंजीगत लागत (क्रमागत)*

**श्री अध्यक्ष**—कल माननीय मोहनसिंह जी अपना भाषण दे रहे थे, वे अपना भाषण जारी रखेंगे ।

**श्री कल्पनाथ सिंह** (जिला गोरखपुर)—मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपने बलवान सिंह जी की बात पर मेरा नाम ले दिया, इसलिये मैं खड़ा हो गया ।

**श्री अध्यक्ष**—जहांतक मैं समझता हूं, गेंदासिंह जी की अनुपस्थिति में बलवानसिंह जी बोल रहे हैं, वे बोल चुके हैं, अब आप बैठिये ।

---

*२५ मई, १९६२ की कार्यवाही से ।

श्री कल्पनार्थसिंह—श्रीमन्, एक निवेदन सुन लें।

श्री अध्यक्ष—वह इस समय नहीं होगा। आप कृपा कर बैठें।

श्री मोहनसिंह (जिला अल्मोड़ा)—अध्यक्ष महोदय, मैं भाषण देने से पहले यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज मैं इस सेशन में पहली बार बोल रहा हूं इसलिये मुझे ज्यादा समय देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—आप जितना बोल सकें अपने समय के अन्दर बोलिये। बहुत से बोलने वाले हैं, उसी के अनुरूप समय दिया जायगा।

श्री मोहनसिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं अल्मोड़ा जिले से आता हूं और उद्योग के अनुदान के सिलसिले में माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे पर्वतीय जिलों में उद्योग की क्या हालत है और सरकार ने हमारे लिए कितनी सुविधायें दी हैं। सब से पहले मैं यह बतलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने पहाड़ी जिलों के लिये बहुत कुछ उद्योगों में हमारी सहायता की और जियोलोजिस्ट को भेज कर जगह जगह सर्वे कराकर, खनिज पदार्थों की खोज कराई है, इसके लिये हम सरकार के आभारी हैं।

हमारे यहां पर्वतीय क्षेत्र के सम्बन्ध में नैनीताल में एक मीटिंग हुई थी। उसके सिलसिले में, मैं आपकी आज्ञा से कुछ जिक्र कर देना चाहता हूं।

The meeting which was conveyed by the Planning Research and Action Institute of State Government was presided over by the Commissioner, Kumaun Division and was attended by officials of the Industries Department, the Planning Research and Action Institute and the Registrar, Co-operative Societies.

इन सब महानुभावों ने अपनी मीटिंग में तय किया कि यहां के खनिज पदार्थों के सिलसिले में यहां के लोगों को रोजी दी जाय। इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा है —

"Disposal of soap-stone which occurs in abundance in Almora district and turpentine and rosin industries."

इस सिलसिले में हमारी एक Industrial Extention कमेटी बैठी थी। उसने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पहाड़ में जितने भी सम्भव उद्योग हैं उनके लिये सिफारिश की कि इस उद्योग को चालू किया जाय जिससे वहां के रहने वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो सके। जैसे खरिया है, उसके बारे में उन्होंने अपनी राय दी है। उन्होंने कहा है कि सोप स्टोन के उद्योग में काफी गुंजायश है और यह उद्योग कोआपरेटिव के आधार पर चलाया जा सकता है। इसमें कोई विशेष बात नहीं है जिसको कोआपरेटिव सोसाइटी नहीं कर सकती। परन्तु अध्यक्ष महोदय, इस उद्योग के सिलसिले में अभी तक कोई कार्यवाही इस सरकार की तरफ से ऐसी नहीं की गयी जिससे कोआपरेटिव आधार पर यह उद्योग पनप सके। उस रिपोर्ट में कहा गया है—

"There are potentialities of exporting soap-stone and its products worth 3 to 4 lakhs of rupees can be annually expected from the hill district. The cost of raw material at the pit would be about Rs.3 to 5 per maund. Cartage to chief marts is high, yet operations would lead a good margin on full development of the industry as price of French chalk varies from Rs.20 to 45 per maund in the market while those of talcum powders of average quality varies from Rs. 4 to Rs.6 per lb. The industry offers employment in the stage of quarrying, transport, processing and marketing. It is anticipated it will provide direct employment to at least 500—800 people."

श्री अध्यक्ष—हिन्दी में सारांश बता दीजिये। सब पढ़ कर क्या कीजियेगा।

**श्री मोहनसिंह**---उन्होंने यह कहा है कि कोआपरेटिव सोसाइटी द्वारा इस खड़िया के उद्योग को आसानी से चलाया जा सकता है। इसमें पांच सौ से आठ सौ आदमियों तक को रोजी मिल सकती है जिसके लिये हमारे जिले अल्मोड़ा की दो कोआपरेटिव डेवलपमेंट यूनियनों, गरुड़ व डंगोली ने दरख्वात दी कि उनको प्रास्पेक्टिंग लाइसेंस और माइन लीज का लाइसेंस मिले। सन् १९५४ से यह कार्यवाही शुरू की गई। तब से आज तक उन सोसाइटियों को कोई सहायता नहीं मिली। यहां सरकार द्वारा यह कहा गया कि दो यूनियनों को लाइसेंस नहीं दिया जा सकता है। हमने औद्योगिक कोआपरेटिव कायम की और माइनिंग लीज के लिये दरख्वास्त दी। १९५६ में जब माननीय गुप्ता जी प्लांनिंग मिनिस्टर थे तो नैनीताल में उनसे निवेदन किया गया। उन्होंने वहां जखेड़ा में जियलोजिस्ट्स को भेजा। उनकी रिपोर्ट के आधार पर हम लोगों ने इन्डस्ट्रियल कोआपरेटिव कायम की और दरख्वास्तें दीं। कहा गया आप दो नकशे भेजिये, तीन भेजिये। वह भी भेजे गये। जिलाधीश महोदय ने नकशा प्राप्त होने के बाद फिर यह कहा कि आप इनकैश नकशा भेजिये।

वहीं जखेड़ा के लिये राजस्थान के उदय टल्क वाले, जो कि सोप स्टोन का कार्य करते हैं, वह भी कोशिश कर रहे हैं। हमारी समझ में नहीं आता है कि जब सरकार कोआपरेटिव को प्राथमिकता देने जा रही है और चाहती है कि पहाड़ के लोगों की आर्थिक हालत सुधारी जाय तब क्यों आज तक सोसाइटी को माइनिंग लीज की इजाजत नहीं दी गई। अध्यक्ष महोदय, सन् ५४ से आज सन् ६२ होने को आया। सोसाइटी ने सारी कार्यवाही जो कुछ भी उसमें करनी थी, कर दी गयी रुपया जमा करने की, फीस देने की और प्रास्पेक्टिंग लाइसेंस लेने को, वह सब हम कर चुके हैं। लेकिन तब भी अभी तक यह काम नहीं हो सका है। एक तरफ तो यहां जितनी हेवी इंडस्ट्रीज चलती हैं उनमें भी यह करोड़पति और पूंजीपति हाथ लगाते हैं और उसका भी मुनाफा खाते हैं और दूसरी तरफ कोआपरेटिव को जहां सरकार प्राथमिकता देना चाहती है, कोआपरेटिव वाले जिसके लिये प्रयत्नशील होते हैं उसमें भी यह अपना अड़ंगा लगायें, यह ठीक नहीं है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस सोसाइटी को माइनिंग लीज दिलाने में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करने की कृपा करें और जल्दी से जल्दी उसको वह लीज दिलायें।

एक तरफ तो पहाड़ में सारे खनिज पदार्थों की जांच कराई जा रही है-सीसा, मैग्नेसाइट, कापर, आयरन वगैरह तमाम चीजें वहां हैं, यानी रत्न का भंडार वहां पड़ा हुआ है। परन्तु हम लोग तब तक उनको काम में नहीं ला सकते हैं जब तक कि कोआपरेटिव को प्राथमिकता न दी जाय। कोआपरेटिव के लिये यदि कुछ कायदों में रद्दोबदल करने की आवश्यकता हो तो वह भी किया जाय, तभी कोआपरेटिव पनप सकती हैं। राजस्थान में जो खड़िया है जिसका उदयटल्क वाले व्यापार करते हैं वह उतनी अच्छी नहीं है। सन् ५७-५८ में मैं जब ज्योलाजिस्ट्स की रिपोर्ट निकली और उन्होंने देखा कि अल्मोड़े और गढ़वाल की खड़िया राजस्थान से बेहतर क्वालिटी की है तो उन्होंने कोशिश की कि उस खड़िया को वह हथिया लें और उसके लिये वह प्रयत्न करने लगे। वह मोनोपाली चाहते हैं ताकि राजस्थान की खराब खड़िया मार्केट में गिरने न पाये। गढ़वाल में अभी पिछली मिनिस्ट्री के समय उन्होंने अपनी एक कम्पनी खोली है जो धरतीधन के नाम से चलती है। मेरा निवेदन है कि जब तक आप कोआपरेटिव को प्राथमिकता नहीं देंगे तब तक हमारी मालीहालत सुधर नहीं सकती।

इसके अलावा, जैसे लीसा है, लीसे में भी अड़चन लगायी जा रही है। सरकार द्वारा तो तय कर दिया जाता है कि कोआपरेटिव को लीसा दिया जायगा। जैसे कोटद्वारा कोआपरेटिव की लीसे अच्छी आमदनी हुई, पिछले वर्षों चालीस हजार तक की आमदनी उनको हुई। लेकिन अब उनके पीछे वन विभाग द्वारा अड़ंगा लगाया जा रहा है। फैक्ट्री

[श्री मोहनसिंह]

तो है कोटद्वारा में और उससे लीसा उठाने को कहा जाता है ऋषिकेश का और वह भी पुराना स्टाक जो वहां पड़ा हुआ है उसको उठाने के लिये कहा जाता है। क्या इसी तरह से हमारी कोआपरेटिव सोसाइटियां पनपेंगी ? क्या इसी तरह हमारे पर्वतीय जिलों का विकास होगा ? हम लोग खेती पर अब मुनहसिर नहीं रह सकते हैं। खेती में हमारी जितनी तरक्की होनी थी वह हो चुकी। अब उसमें कोई गुंजाइश नहीं रह गई है।

हार्टीकल्चर भी एक रोजगार हमारा हो सकता है। हार्टीकल्चर—बागबानी के लिये हमारे यहां एक फ्रूट प्रिजर्वेशन डिपार्टमेंट है। उसमें जितना कुछ भी हुआ है उससे हमें सन्तोष है। हमारे जितने बड़े-बड़े बगीचे हैं, जैसे रामगढ़ का बगीचा है, वहां जितने सड़ने और गलने वाले फल हैं उनका इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन मेरा निवेदन है कि गांव सभाओं और कोआपरेटिव के माध्यम से ग्रामों में छोटी छोटी यूनिट्स इसकी खोली जायं। जैसे जागेश्वर व पाली सब-डिवीजन की तरफ आम ज्यादा होता है। मार्केट में आम के पल्प की बहुत मांग है। इलाकों में इसकी छोटी-छोटी यूनिट्स ६ हजार या दस हजार में लगायी जा सकती हैं। ऐसी यूनिट्स कोआपरेटिव आधार पर या व्यक्तियों को लोन देकर लगायी जांय। इसके लिये कोआपरेटिव और इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट को सचेत रखना होगा। इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के लोग कितने ट्रेंड हैं और कितने उसके जानकार हैं, यह अभी कहा नहीं जा सकता है। उनको भी यह ताकीद होनी चाहिये कि वह ज्यादा से ज्यादा इंडिस्ट्रयल कोआपरेटिव और कोआपरेटिव सोसायटीज अपने यहां कायम करें ताकि गांव में जो फल लोगों के बेकार जाते हैं उससे उनका उपयोग हो सके। मैं आपके द्वारा यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो लकड़ी हमारे यहां से स्टार पेपर मिल को जाती है उसके बारे में यहां पर बहुत चर्चा किया गया।

**श्री अध्यक्ष**—आपका समय समाप्त हो गया।

**श्री मतोलासिंह** (जिला बांदा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार को भलीभांति मालूम है कि बुन्देलखंड के ४ जिले शिक्षा और उद्योग-धंधे में सब से पीछे हैं। बांदा जिले में रंगीन मिट्टी, दियासलाई बनाने की लकड़ी, कांच बनाने की बालू और खिलौने बनाने की लकड़ी बहुतायत में पाई जाती है। यहां पर लोहा भी पाया जाता है। यहां की मिट्टी से हर किस्म के रंग बनाये जा सकते हैं। अगर सरकार कोई कारखाना रंग बनाने का यहां पर खोले तो उससे बहुत आमदनी हो सकती है। बुन्देलखंड की खड़िया मिट्टी यहां से विदेशों को जाती है। वह खड़िया मिट्टी से किस्म किस्म के पाउडर बनाते हैं। यदि इस प्रकार का कारखाना बुन्देलखंड में खोल दिया जाय तो उससे बांदा जिले की गरीबी दूर हो सकती है। बांदा जिला इसलिये गरीब हो गया है कि उन लोगों के उद्योगधंधे मुसलिम काल से अभी तक छीने गये हैं। कोरी, जो कपड़ा बनाने का काम करते हैं पिछले समय में अंग्रेजी सरकार ने उनके अंगूठे तक काटे हैं। बांदा जिले के गांव-गांव में कोरी पाये जाते हैं और गांव के गांव कोरी लोगों से आबाद हैं। उनके उद्योगधंधे छिन गये हैं इसलिये वे गरीब हो गये हैं और आजकल मजदूरों में उनकी गिनती है।

दूसरा फिरका चमारों का है जिनको चर्मकार कहते हैं। चमारों का व्यवसाय मुसलिम काल में छीना गया है। आज उस काम को सैकड़ों आदमी करने लगे हैं मगर चमारों के बराबर इस काम को कोई नहीं कर सकता। यह उनका उद्योग धंधा है परन्तु साधन न होने से वे बेचारे मारे-मारे फिरते हैं। वह किसी समय में बहुत मालदार थे। अब आजकल सब लोग उनका काम करने लगे हैं तो उनका जूता बनाने का जो काम था वह काम उनसे छीन लिया गया है, जिससे वह गरीब हो गये हैं। सरकार ऐसा कोई कानून बनाये, ऐसी कोई व्यवस्था करे जिससे चमारों का व्यवसाय दूसरे लोग न कर पायें और वह लोग फिर से उस काम को करने लगें और वह मालदार होने लगें। उनके मालदार होने पर उनको सब के समान ऊपर उठाया जा सकता है। तब वे अपनी इज्जत भी पा सकते हैं।

एक वहां पर कोल जाति रहती है जो पहाड़ी इलाके में रहती है। कोल को आपने जहां कहीं देखा होगा तो नंगा ही देखा होगा। वे कपड़े नहीं पहनते हैं। वे लंगोटी बान्धकर रहते हैं और रात में लकड़ी जलाकर सोते हैं। उनके पास कोई साधन नहीं रहता है। अगर पहाड़ी इलाके में, जैसा कि मैंने बतलाया, उद्योग धंधे जैसे बालू से कांच बनाने का कारखाना, दियासलाई बनाने का कारखाना, खिलौना बनाने का कारखाना, रंगीन मिट्टी को साफ करके रंग बनाने का कारखाना खोल दिया जाय तो यह कोल कौम, जो पहाड़ी इलाके में रहती है, मालदार हो जायगी और उनकी गरीबी दूर हो जायगी। सरकार ने अभी तक इस ओर ध्यान नहीं दिया है। चमड़े और कपड़े का ऐसा व्यवसाय है कि ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसको चमड़े और कपड़े की जरूरत न हो। अगर इनको उस व्यवसाय के लिये उत्साहित किया जाय और इन उद्योगों के कारखाने खोल दिये जायं तो ऐसा रोजगार दूसरा नहीं कर सकता और ये बहुत इसमें तरक्की कर सकते हैं और इनकी गरीबी दूर हो सकती है और यह जो उनका आन्दोलन चल रहा है वह भी खत्म हो जायगा।

हमारे जिले के सरहद के इलाके में ये बहुत लोग रहते हैं जो बहुत गरीब हैं। अगर इनके लिये बालू का कारखाना खोला जाय तो बहुत काम वहां पर हो सकता है। एक शख्स को ७५ हजार रुपया दिया गया था जिसका नाम शंकर प्रसाद है कि वह बालू का कारखाना वहां पर चालू करे। बांदा जिले की बालू इटली तक जाती है और वहां से गिलास बनकर आते हैं। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि अगर बालू का कोई कारखाना खोल दिया जाय और कांच बनाने का काम शुरू कर दिया जाय तो बांदा जिले का बहुत उपकार हो सकता है और जो गरीब कोल हैं उनकी जीविका चल सकती है। बांदा जिले में जड़ी बूटियां बहुत हैं और चित्रकूट आदि स्थानों में आयुर्वेद की बहुत सी औषधियां मिलती हैं। अतर्रा में जमीन और पानी मिल सकता है, वहां कुंआ है, नहर है और वहां यदि सरकार सहायता करे तो आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माण का कारखाना खोला जा सकता है। इसके अतिरिक्त कोरियों के लिये बुनने का काम है....

**श्री अध्यक्ष**––(श्री जयगोपाल के खड़े होने पर) माननीय जयगोपाल जी, बिलकुल गलत है इस तरह से खड़े होना। आप बैठ जायं।

**श्री मतोलासिंह**––काश्मीर में कोरियों के छोटे-छोटे कारखाने हैं, घर घर करघे हैं। वहां का बिना हुआ कम्बल हर जगह बिकने जाता है। लेकिन यदि सरकार उनको करघे और थोड़ी सहायता देने की कृपा करे तो कोरियों की गरीबी दूर हो सकती है और वह मालदार हो सकते हैं। इस दिशा में पिछले १४ सालों में सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। मैं चाहूंगा कि रंग बनाने का काम, खिलौना बनाने का काम, आयुर्वेदिक औषधियों का संग्रह और बालू से कांच बनाने का कारखाना वहां कायम किया जाय तो वह पहाड़ी इलाका मालदार हो सकता है, लेकिन यदि कोई कारखाना वहां कायम किया जाय तो यह प्रतिबन्ध होना चाहिये कि केवल कोरी, चमार और कोल ही उसमें नौकर रखे जायंगे, दूसरे नहीं, तभी वहां का उपकार हो सकता है।

**मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)**––अध्यक्ष महोदय, कल से इस अनुदान पर कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं। यह अनुदान एक महत्व रखता है, क्योंकि इस अनुदान के द्वारा और इसकी स्वीकृति के द्वारा हम प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में उद्योगों का निर्माण कर सकते हैं और साथ ही उस नये वातावरण को अपने प्रदेश में पैदा कर सकते हैं जिसके द्वारा उत्तरोत्तर हमारे बीच में उद्योग धंधे विकसित हों और फैलें। यह सही है कि हमने आजादी मिलने के बाद १२, १३ वर्ष उस तरह बिताये नहीं जिस तरह बिता कर हम उद्योग धंधों को अपने प्रदेश में काफी मात्रा में फैला

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

सकते थे। उसके कई कारण रहे और मुख्य कारण यह रहा कि न तो हमारे प्रदेश में खनिज पदार्थ थे और न उस जमाने में हमारे बीच में उतनी मात्रा में बिजली उपलब्ध थी जिसकी मदद से हम उद्योग धंधों को विकसित कर सकते। आजादी मिलने के बाद १२, १४ वर्ष ऐसे ही व्यतीत हो गये। लड़ाई के जमाने में जिन लोगों ने पैसा कमाया था और पैसा बचाया था उसका भी हम उस जमाने में सदुपयोग नहीं कर पाये। वह रुपया अन्य प्रदेशों में चला गया और वहां विभिन्न उद्योगों के धंधों के रूप में विकसित हुआ, इस्तेमाल हुआ और अन्य प्रदेशों में कुछ और उद्योग धंधे उस धन की मदद से लगाये गये।

प्रथम पंचवर्षीय योजना से हमने अधिक मात्रा में उद्योग-धंधों की तरफ ध्यान देना प्रारम्भ किया और हमारी ऐसी इच्छा थी कि हम उत्तर प्रदेश में काफी मात्रा में उद्योग धंधों को स्थापित करें और इसी के लिये हमने बिजली के पैदा करने के सिलसिले में भी ऐसी योजनायें बनायी थीं जिससे हम प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में बिजली की मात्रा को बढ़ा सकें और उसके विस्तार से उन उद्योग धंधों को भी जन्म दे सकें। परन्तु जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है, हम बिजली पैदा करने में बढ़ नहीं सके। हमारी जमुना हाइडल योजना, हमारी माताटीला योजना, हमारी हरदुआगंज की योजना और हमारी रिहन्द डाम की योजना को द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत, उस प्लान के कोर में, केन्द्रीय आयोग सम्मिलित नहीं कर सका। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के काल में रिहन्द डाम की योजना को उसने अपनी प्लान के कोर में रखा और उसके साथ एक शर्त यह रखी कि अगर हम ४० हजार किलोवाट बिजली रेलवेज को देने के लिये तैयार हैं तो वे रिहन्द डाम की योजना को उस प्लान की कोर में रख सकेंगे। हमने उनके इस प्रतिबन्ध को मान लिया और उस योजना को पूरा करने के प्रयास में हम जुटे और आज हम सब को इस बात की जानकारी है कि हम उस योजना को कार्यान्वित करने में सफल हो चुके हैं।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त में ही हमें इस बात की इजाजत मिली कि हमें विदेशी मुद्रा उपलब्ध हो सकेगी। हरदुआगंज के लिये और माताटीला के लिये यह हमें प्राप्त हो सकेगी और तब से, जब से हमें यह सूचना मिली, हमने इन योजनाओं को पूरा करने का प्रयास किया। आज हमें इस बात की प्रसन्नता है कि हरदुआगंज से ३० हजार किलोवाट बिजली जल्दी मिलने लगेगी और अगले दो महीने के अन्दर ३० हजार किलोवाट और तैयार हो जायेगी और इससे उन क्षेत्रों में जो इस बिजली के ग्रिड की तहत में पड़ते हैं वहां उद्योग धंधों को लगाने के लिये हमें अवसर मिलेगा। माताटीला की योजना को भी हम कदाचित् दो साल के अन्दर पूरा कर लेंगे और तब बुन्देलखंड के क्षेत्र को भी हम उद्योग धंधों से भर सकेंगे या वहां उद्योग धंधों को लगाने की व्यवस्था कर सकेंगे जिसकी कि मांग यहां सदन में बहुत से सम्मानित सदस्य करते रहे हैं। यह सही है कि बुन्देलखंड का क्षेत्र हमारे प्रदेश में ऐसा क्षेत्र रहा है कि जो हमारे प्रदेश का गल्ले का क्षेत्र है। परन्तु वह क्षेत्र उद्योग धंधों से शून्य रहा है जिसका मुख्य कारण वही है जो मैंने अभी वर्णन किया है। हमारा यह दावा तो है नहीं कि हमने १३-१४ वर्षों में बहुत तेजी के साथ उद्योग धंधों को बढ़ाया है और उसके लिये जैसा कि मैंने कहा हम प्रयास कर भी नहीं सकते थे क्योंकि हमें वे साधन और सुभीते उपलब्ध नहीं थे जिनकी बुनियाद पर हम इस ओर आगे कदम उठा सकते थे। परन्तु, अब द्वितीय योजना के अंत से और तृतीय योजना के बीच तक, हमारी यह अभिलाषा और ख्वाहिश है कि हम प्रदेश में जगह जगह एक ऐसी कलाइमेट इन्डस्ट्रियलाइजेशन की पैदा कर सकें कि वहां उद्योग-धंधे लगाये जा सकें और उन उद्योग धंधों को लगाने के सिलसिले में केन्द्र की सरकार से जहां जहां हम मदद ले सकें, वहां लें। पब्लिक सेक्टर में उद्योग-धंधों को लगवा कर और प्राइवेट सेक्टर में जहां हम उद्योग-धंधे लगवा सकते हैं लगाने का प्रयास करें। हमारी यह कोशिश है कि उत्तरोत्तर हम उस दिशा में बढ़ें जिसमें बढ़ कर और चल कर हम उद्योग-धंधों की जरूरत को पूरा कर सकें।

माननीय सदस्यों ने आलोचना की कि हम तो पीछे ही हटते जा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे

हैं, आंकड़े भी पेश किये गये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो आंकड़े टेक्सटाइल, जूट और अन्य वस्तुओं के प्रोडक्शन के रखे गये वे कदाचित् सही नहीं हैं, क्योंकि उत्तरोत्तर हमने उन क्षेत्रों में भी प्रगति की है, हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है।

**श्री रामायण** (जिला देवरिया)—यह किताब है, इसे आपकी सेवा में भेज दूं?

**श्री चन्द्रभानु गुप्त**—हमारे पास जो आंकड़े हैं वह मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। टेक्सटाइल के मैं रखता हूं, यह प्रोडक्शन इन लैक्स आफ पाउन्ड्स की फिगर्स में हैं।

१९५८ में २२० लाख पौन्ड, ऐवरेज मंथली प्रोडक्शन और यार्न का ३९.९९ लाख पौन्ड मंथली था। १९५९ में क्लाथ का प्रोडक्शन २२८ और यार्न का ४३.६६। १९६० में २५९ यार्न का ३७.२३। १९६१ के अक्तूबर तक २४४ लाख पौन्ड मंथली और यार्न का ४६.४१ लाख पौन्ड।

इसी तरह से जूट का प्रोडक्शन १९५८ में १,७२२ टन था मंथली। १९५९ में मंथली था १,८३७ टन। १९६० में १,५९९ टन और १९६१ में अपटू सेप्टेम्बर १,८३६ टन था।

तो मैं यह नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि न तो हमने कभी यह दावा किया.....

**श्री रामायण**—श्रीमन्, एक निवेदन है कि आंकड़े जो माननीय मुख्य मंत्री जी दे रहे हैं यह कहां से पेश कर रहे हैं?

**श्री चन्द्रभानु गुप्त**—यह उन पुस्तिकाओं से पेश कर रहा हूं जो हमारे विभाग द्वारा छापी जाती हैं और जो पुस्तिकाएं केन्द्र की सरकार द्वारा प्रोडक्शन इत्यादि के सिलसिले में छापी जाती हैं।

**श्री रामायण**—मैं एक निवेदन कर रहा हूं आप से कि यह मंथली बुलेटिन आफ स्टैटिस्टिक्स है और इससे मैंने आंकड़े दिये हैं। अगर आज्ञा हो तो मंत्री जी की सेवा में भेज दूं?

**श्री अध्यक्ष**—जब उत्तर दीजियेगा तो कह दीजियेगा कि आंकड़े कहां से दे रहे हैं।

**श्री चन्द्रभानु गुप्त**—यह तो प्रोडक्शन के विषय की बात कही। शुगर का प्रोडक्शन इन ४ वर्षों में कितना बढ़ गया है, उसकी मैं चर्चा नहीं करना चाहता। तो प्रोडक्शन के विषय में यह कहना कि हम पीछे हट रहे हैं यह न तो आंकड़ों से सिद्ध होता है और न सही ही है। अब हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन को क्लाइमेट प्रदेश में पैदा की या नहीं, उसके संबंध में दो लफ्ज कहना चाहता हूं। १९६१ में ४१७ नयी फैक्टरीज का रजिस्ट्रेशन हुआ और ५३७ लार्ज स्केल यूनिट्स का रजिस्ट्रेशन हुआ। इनके द्वारा जो चीजें बनीं—तो जबकि रजिस्ट्रेशन १९५९ में ३८६ यूनिट्स का हुआ था तो इन फैक्टरीज के द्वारा १७८.९३ लाख रुपये का सामान तैयार हुआ था। १९६१ में इन फैक्टरीज के द्वारा २८३.८१ करोड़ रुपये का सामान तैयार हुआ। साथ ही १९५९ में इन फैक्टरीज में जो लोग काम करते थे उनकी संख्या एक लाख ७३ हजार थी जबकि सन् १९६१ में उनकी संख्या २ लाख २ हजार हो गई। इन आंकड़ों से यह प्रतीत होगा कि जहां तक पैदावार का संबंध है, प्रोडक्ट्स का संबंध है, १९५९ के मुकाबले में ६० फीसदी इन फैक्टरीज की पैदावार बढ़ी है। मैं इस सदन के समक्ष इसलिये आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं क्योंकि बार-बार इस सदन के समक्ष यह कहा जाता है कि हम उस दिशा में चलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं जो कि प्रत्येक सदस्य इस सदन का चाहता है।

हम चाहते हैं कि प्रदेश का औद्योगीकरण हो, उसी के वातावरण को बनाने की हम चेष्टा कर रहे हैं। केन्द्रीय सरकार की तरफ से भी जो योजनायें बन रही हैं उनके द्वारा भी हमारे बीच में बहुत से उद्योग धंधे लग जायेंगे। साथ ही प्राइवेट सेक्टर के लोगों को भी हम भारी मात्रा

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

में प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वह उत्तर प्रदेश में आकर उद्योग-धंधे लगायें। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे द्वारा लाइसेन्सेज का दिया जाना है। जैसा कि सदन को मालूम है हमने रिहन्द बांध के पास अल्यूनियम फैक्टरी की व्यवस्था कराई, वह चालू भी हो गई है और अब उसके चालू हो जाने से कई उद्योग धंधों को वहां पर लोग लाइसेन्स लेकर लगाने की चेष्टा कर रहे हैं। एक कास्टिक सोडा की फैक्टरी तीन-चार करोड़ रुपये की लगाने की व्यवस्था हो चुकी है, उसका लाइसेन्स भी प्राप्त हो चुका है। उस फैक्टरी ओनर से हमारे एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की बात चीत चल रही है कि किस कीमत पर बिजली देंगे। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि उत्तरोत्तर हम उद्योग-धंधे लगाते जाते हैं जिससे उन स्थानों पर या उनके पास नये-नये उद्योग-धंधों को लगाने का वातावरण पैदा होता जा रहा है। बरेली में रबर की फैक्टरी लगाने के कारण वहां पर लोग नये-नये उद्योग धंधे खोलने के लिये लाइसेन्स ले रहे हैं। कैम्फर फैक्टरी की कल चर्चा की गई। चूंकि वहां पर टर्पेन्टाइन मिल जायगा और उसकी एक बाई प्रोडक्ट कैम्फर भी है इसलिये वह लग रही है। रोजिन के भी कुछ बाई-प्रोडक्ट्स हैं जिसके लिये उसी कीमत पर, जिस पर कि कैम्फर की खुल रही है, फैक्टरी खुलने वाली है। एक वहां पर पेपर के लिये यूनिट खुलने वाला है जिसका लाइसेन्स ले लिया गया है। एक यूनिट ८ करोड़ की कीमत से आटोमोबाइल टायर-ट्यूब्ज की इलाहाबाद में लगने वाली है। एक यूनिट बाइसिकिल टायर-ट्यूब्ज के लिये खुलने वाली है जो साल में ९ लाख टायर तैयार करेगी। हाथरस में उसके लगाने की व्यवस्था शुरू हो चुकी है। एक प्रोजेक्ट गाजियाबाद में ३ हजार मोटर साइकिल बनाने का लाइसेंस दिया गया है जिसके ऊपर काम शुरू हो गया है। एक प्रोजेक्ट न्यूज प्रिन्ट के बारे में जिसकी चर्चा माननीय लघु उद्योग मंत्री जी ने की, वह बरेली में लगाया जाने वाला है। डिमाल्ट ३५ हार्स पावर का ट्रैक्टर गाजियाबाद में बनाये जाने की व्यवस्था हो रही है। ७ लाइसेंसेज कागज बनाने के सिलसिले में दिये गये हैं मुख्तलिफ व्यक्तियों को। बघास से भी पेपर बनाने का लाइसेन्स सोमानी को दिया गया है।

मैं नम्रतापूर्वक इस सदन के माननीय सदस्यों के समक्ष यह निवेदन करना चाहता हूं कि डेढ़ दो वर्ष में हमने उत्तर प्रदेश में एक नई क्लाइमेट उद्योग धंधों को फैलाने की पैदा कर दी है। आज हम विभिन्न कार्यों के लिये ऐसे व्यक्तियों को आमंत्रित कर रहे हैं जो अन्य स्थानों पर उद्योग धंधे लगाये हुये हैं और उत्तर प्रदेश में भी लगाना चाहते हैं।

इसके अलावा जिस स्थान पर हैवी इलक्ट्रिकल्स की फैक्टरी लग रही है उसी स्थान पर फोर्ज ऐण्ड फाउन्ड्री फैक्टरी २० करोड़ रुपये से लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। दूसरी स्टेट्स भी उसकी कोशिश में हैं, लेकिन हम आशा करते हैं कि यह फैक्टरी हैवी इलेक्ट्रिकल की फैक्टरी के पास ही कहीं हम लगाने में कामयाब हो सकेंगे।

इसके अलावा एक हैवी मशीनरी प्लान्ट, नान फेरस प्लान्ट जो १५–२० करोड़ रुपये की लागत से लगेगा उसकी व्यवस्था के बारे में भी हम केन्द्रीय सरकार से आग्रह पूर्वक कह रहे हैं क्योंकि आज बिजली भी उपलब्ध है और 'सिंगरौली—'ओर' भी मिल सकता है।

लाइसेंसिंग के बारे में आपत्ति उठाई गई। लाइसेंसिंग पहला कदम है जो इन्डस्ट्रियलाइजेशन के लिये उठाया जा सकता है और प्रोत्साहन प्रदान कर सकता है। पहले उन व्यक्तियों को राजी भी तो किया जाता है जो व्यक्ति उन उद्योग धंधों को लगा सकते हैं। केन्द्रीय सरकार को हमें दिखाना होता है कि उचित स्थान और साधन हमारे पास हैं। तब जाकर उचित चीज देने के लिये केन्द्र की सरकार से हम निवेदन करते हैं कि हमारे यहां फलां स्थान पर फलां उद्योग धंधा लगाया जाय। साथ ही हम एरोप्लेन के पुरजे बनाने की फैक्टरी के बारे में भी कोशिश कर रहे हैं। डिफेन्स डिपार्टमेन्ट और अन्य लोगों से उस सिलसिले में बातचीत कर रहे हैं।

मैं इन सब बातों का इसलिये आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं कि जिस दिशा में हम चल रहे हैं उस दिशा का अध्ययन माननीय सदस्यों को होना चाहिये। गोरखपुर में नत्फा की एक फैक्टरी खोलने का विचार हो रहा है। आगरा और मेरठ के बीच में एक फर्टीलाइजर फैक्टरी लगाने के बारे में केन्द्रीय सरकार से लिखा पढ़ी चल रही है। जो व्यक्ति लगाने के लिये उद्यत हैं वे भी इस प्रयास में लगे हुये हैं। यह फैक्टरी भी करीब २० करोड़ रुपये के होगी। साथ ही साथ जहां तक कपड़े बनाने की और यार्न के पैदा करने की फैक्टरीज है, उनकी भी संख्या हमारे प्रदेश में यहां की आवश्यकता के अनुपात में अब तक कम रही है। हमारे प्रदेश में जितनी मात्रा में कपड़ा पैदा करने की जरूरत है, उतनी मात्रा में उसे तैयार नहीं कर पा रहे हैं। केन्द्रीय सरकार ने करीब २ लाख २५ हजार स्पिंडिल्स लगाने की इजाजत हमारी इस संस्था को दे रखी है। इस तरह से पच्चीस हजार स्पिंडिल्स लगाने की तीन फैक्टरियों को इजाजत दी जा रही है। केन्द्रीय सरकार से हमारा आग्रह है कि इस प्रदेश के नागरिकों की कपड़े की आवश्यकता को समझते हुये इस बात की आवश्यकता है कि करीब एक लाख स्पिंडिल्स इस प्रदेश को प्रदान किये जायं जिससे इस प्रदेश के उन क्षेत्रों में भी कपड़े के उद्योग लगाये जा सकें जिसकी मांग सदन में औद्योगिक क्षेत्र के लिये की गयी है। हम चाहते हैं कि जिन क्षेत्रों में अभी तक कोई उद्योग नहीं लगाये जा सके हैं वहां कपड़े के उद्योग, यार्न के उद्योग लगाये जा सकें। सरकार स्वतः इस बात में यकीन करती है कि फैक्टरीज लगाने के संबंध में बैलेंस्ड डिस्पर्सल सारे प्रदेश में होना चाहिये। बहुत से लोगों ने लाइसेंस के सिलसिले में दरख्वास्तें दी हैं। हमने उसके लिये एक लाइसेंस कमेटी बना दी है, लेकिन अब तक उसका कोई फैसला नहीं हुआ है। लेकिन हमारा विश्वास है कि उनको लाइसेंस मिल जायेंगे।

एक माननीय सदस्य ने कोसी कलां में कोई उद्योग लगाने की बात कही थी, इस संबंध में उन्हें बतला दूं कि कोसी कलां के लिये एक लाइसेंस मिल चुका है एक व्यक्ति को कपड़े की कम्पोजिट फैक्टरी बनाने की और हम तो फैक्टरीज के सिलसिले में बैलेंस्ड डिस्पर्सल करना चाहते हैं।

जहां तक देहरादून में सीमेंट फैक्टरी लगाने की बात है, उस संबंध में बातचीत चल रही है। पहले प्रयास किया गया था, लेकिन उस प्रयास में हमें सफलता नहीं मिली। जिनसे हमने कहा था यह फैक्टरी लगाने के लिये उन्होंने कदाचित् जांच करने के बाद ऐसा अनुभव किया कि जो सीमेंट देहरादून में तैयार होगी वह कदाचित् कास्टली पड़ेगी, क्योंकि उस समय हमारे पास बिजली की कोई व्यवस्था नहीं थी। परन्तु हमें आशा है कि अब देहरादून में सीमेंट की फैक्टरी लग सकती है और साथ ही में मिर्जापुर में जो लाइम स्टोन है वह बहुत मात्रा में है। जितना लाइम स्टोन हम चुर्क सीमेंट फैक्टरी में इस्तेमाल करते हैं उससे कई गुना लाइम स्टोन वहां उपलब्ध है और वहां दो एक सीमेंट की फैक्टरी और लग सकती हैं। अब तो हम ऐसी योजना बना रहे हैं कि जो लाइम स्टोन वहां उपलब्ध है उसका इस्तेमाल हिन्दुस्तान स्टील में भी होता है और वहां से काफी मात्रा में लाइम स्टोन आता है, तो हम इंडस्ट्रियल कारपोरेशन को इस बात के लिये तैयार कर रहे हैं और लिखा-पढ़ी कर रहे हैं कि ठीक ढंग से उन लाइम स्टोन कैरिज का इन्तजाम करना चाहिये जिससे स्टील फैक्टरीज के लिये लाइम स्टोन उन क्षेत्रों में भी काफी मात्रा में जा सके। मुझे विश्वास है कि इससे उस उद्योग को चलाने में काफी मदद दी जा सकेगी, उन्हें कुछ रोजगार दिया जा सकेगा और इस ओर इंडस्ट्रियल कारपोरेशन कुछ काम कर रहा है।

अब इंडस्ट्रीज लगाने के लिये जमीन की आवश्यकता होती है, बिजली की आवश्यकता होती है, साधनों की आवश्यकता होती है। तो इन तीनों आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये प्रदेश की सरकार काम कर रही है ताकि उद्योग लगाने वाले आदमियों को जमीन आसानी से मल जाय और साधन भी उनको मिलें जितने साधन कि हम दे सकते हैं।

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

इसके अलावा बिजली भी उन्हें दी जा सके । मैंने अभी सदन के सामने निवेदन किया कि इस वर्ष अब बिजली हमें उद्योग धन्धों में लगने के लिये कई क्षेत्रों में काफी मात्रा में उपलब्ध हैं और आशा है कि जो लोग उद्योग धन्धे लगाना चाहते हैं वह अपने काम को शीघ्र ही आरम्भ करेंगे और इस तरह से जो बिजली अभी तक पैदा हुई है उससे प्रदेश लाभ उठा सकेगा । अभी तक ६१ व्यक्तियों को बड़े उद्योगों के लिये लाइसेंस मिले हैं, अब हम उन सब को आमंत्रित करना चाहते हैं और उन की परेशानियां और दिक्कतों का अध्ययन करके उन्हें वह तमाम सुविधायें देकर जिन के द्वारा वह जल्द से जल्द उद्योग धन्धे लगा सकें हम ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं कि थोड़े ही दिनों में सारे लाइसेंसी एक साथ बैठ कर हमारे अधिकारी भी उन के साथ बैठेंगे और उनसे बातचीत के उन तमाम दिक्कतें रफा करेंगे और हम सब उस दिशा में चलने का प्रयास करेंगे ताकि हम काफी मात्रा में अपने यहां उद्योग धन्धे लगा सकें ।

मैंने कहा कि उद्योग धन्धों को लगाने के लिये साधनों की आवश्यकता होती है और साधन उपलब्ध कराने के लिये हमारे बीच में इस समय ३ संस्थायें हैं, इंडस्ट्रियल कारपोरेशन, फाइनेंस कारपोरेशन और स्माल स्केल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन । जहां तक फाइनेंस कारपोरेशन का संबंध है जैसा कि हमारे लघु उद्योग मंत्री जी ने बताया था कि फाइनेंस कारपोरेशन ने अब निर्णय लिया है कि अब तक जो वह केवल १० लाख तक की रकम ही उधार दे सकता था आगे वह २० लाख की धनराशि तक दे सकेगा । साथ ही उसका जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है वह १ करोड़ का है और ३ करोड़ का उस का घोषित कैपिटल है । उस में वृद्धि करने के लिये भी अब इस बात की व्यवस्था की जा रही है कि रिजर्व बैंक से कहा जाय कि वह प्रादेशिक सरकार की गारन्टी पर डिपाजिट्स की व्यवस्था को चालू करे, हमें आशा है कि इस व्यवस्था से काफी धनराशि फाइनेन्स कारपोरेशन के पास आ सकती है और उद्योग धन्धों में लगाई जा सकती है । रिजर्व बैंक से भी बातचीत हो रही है कि किस तरह से हम फाइनेन्स कारपोरेशन के साधनों को बढ़ा सकते हैं और किस किस प्रकार से हम उन व्यक्तियों और संस्थाओं को साधन दे सकते हैं कि जो हमारे यहां उद्योग धन्धे लगाना चाहते हैं और जो हमारे सहयोग से बहुत तेजी के साथ उद्योग धन्धे लगाना चाहते हैं । हमने जो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन की रचना की है उसके द्वारा हम विभिन्न स्थानों पर जमीन लेकर इस तरह का प्रबन्ध करना चाहते हैं कि जिससे वहां जमीन की, पानी और सड़कों आदि की उचित व्यवस्था हो जाय और ऐसे स्थानों को ठीक तरह से बनाकर हम वहां उद्योग लगाने जा रहे हैं ।

इंडस्ट्रियल कारपोरेशन उन स्थानों में काम कर रहा है जिनमें से ६ स्थानों के नाम माननीय लघु उद्योग मंत्री जी ने बताये । १६०० एकड़ जमीन गाजियाबाद में ली गई है और ढाई-ढाई सौ एकड़ उन अन्य ५ स्थानों में ली गई है जिनकी चर्चा मंत्री जी ने कल किया था । वहां पर हम ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं कि जिन लोगों को लाइसेन्स मिला है वह उन जगहों पर बस सकें और अपने उद्योग चला सकें । इस तरह से हमारा प्रयास है कि इस दिशा में इस तरह से हम काम करें जिससे कि जो कमियां और कमजोरियां हमारे बीच में अभी तक रही हैं वह हट जायं और देर न लगे । इसी तरह से तीसरी संस्था लघु उद्योग कारपोरेशन की रचना हुई है । उसके द्वारा छोटे-छोटे उद्योग धन्धों के लिये रा-मेटीरियल की और दूसरी चीजों की व्यवस्था करा रहे हैं और हर तरह की सहायता जो लघु उद्योग चलाने वालों को दी जा सकती है वह उसके द्वारा दी जायगी ।

एक बात मैं कहने को भूल गया था और वह इंडस्ट्रियल कारपोरेशन के विषय में थी । जहां हमने उसे विभिन्न स्थानों पर जमीन लेकर सुचारु रूप से डेवलप्ड क्षेत्र बनाने का अधिकार दिया है वहां हम ने उसे यह भी अधिकार दिया है कि जो फैक्टरी लगे जो अन्डरटेकिंग्ज हो वह उनके शेयर्स खरीद कर या उनके शेयर्स को अन्डर रेट करके प्रदेशीय सरकार की सेक्योरिटी या गारन्टी के ऊपर वह इस बात का भी प्रबन्ध करे । तो यह सारी चीजें ऐसी हैं जो उत्तरोत्तर हमें उस दिशा को ले जायंगी जिधर चल कर हम औद्योगीकरण कर सकेंगे ।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं । सदन में हमेशा राष्ट्रीयकरण की बात कही जाती है । राष्ट्रीयकरण हमारा आदर्श है, उद्देश्य है, हमारे प्लानिंग कमीशन ने जो नीति निर्धारित की है उसकी भी आदर्श है । परन्तु यह किसी से छिपा नहीं है कि आज हम जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं उसमें हमने मिक्स्ड इकानोमी को मानकर चलना पसन्द किया है, क्योंकि उसकी आवश्यकता है, बिना उसके काम नहीं बनता । न तो हमारे पास उतने अनुभवी व्यक्ति हैं, न उतने साधन हैं जितनी मात्रा में साधन उपलब्ध करने की आवश्यकता है । यदि प्राइवेट सेक्टर उन साधनों को अपने बीच में उपलब्ध कर लेता है तो क्यों नहीं उन साधनों से हम फायदा उठायें ? अक्सर कहा जाता है जितनी शुगर फैक्टरीज हैं उनका राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं किया जाता । इस विषय की चर्चा कई बार यहां हुई और मैंने अपने विचार इस ओर कई दफा व्यक्त भी किये हैं और आज फिर दोहराना चाहता हूं । यह नहीं है कि हम राष्ट्रीयकरण करने की अभिलाषा नहीं रखते हैं । लेकिन आज तो प्रश्न यह है कि हमें पहले उन चीजों को अपने बीच में स्थापित करना चाहिये जो हमें उपलब्ध नहीं है, न कि हम अपना समय जो चीजें लगी हुई हैं उनके बारे में व्यय करें । आखिर को आज राष्ट्रीयकरण करेंगे तो जो फैक्ट्रीज लगी हुई हैं और उनमें लोग काम कर रहे हैं तो राष्ट्रीयकरण करते समय हमारी एक नीति होगी, राष्ट्रीयकरण करने पर हमें उनको मुआवजा देना होगा क्योंकि संविधान में हमने इस सिद्धान्त को माना है । इन शुगर फैक्टरीज को १०० करोड़ रुपया मुआवजे में देना पड़ेगा । यदि इतना रुपया हमारे पास हो तो उस रुपये को उन कामों के पूरा करने में लगाना चाहिये जिससे हमारी पैदावार बढ़े, हमारी आमदनी बढ़े जिससे हमारा जीवन स्तर ऊंचा हो जाय उस नये रुपये को इन फैक्टरीज को दे दें और जिन चीजों को हमें अपना जीवन स्तर ऊंचा करने के लिये लगाना है उनसे विमुक्त हो जांय । मैं समझता हूं यह रुपया मुआवजे के रूप में दे देना कोई दूरदर्शी दृष्टिकोण नहीं है, यह दृष्टिकोण बुद्धिमता से परे है ।

आज की आवश्यकता है हम चीजें ज्यादा पैदा करें, जिससे लोगों की आमदनी बढ़े, उनका जीवन स्तर ऊंचा हो तभी तो गुरबत को अपने बीच से हटायेंगे । यदि चीजें हमारे बीच में पैदा ही न हों तो फिर क्या समाजवाद इस गुरबत के बांटने में अपने बीच में लाना चाहते हैं ? हमारे समाजवाद का दृष्टिकोण यह है कि हमारी पैदावार बढ़े, आमदनी बढ़े और लोगों का जीवन स्तर ऊंचा कर सकें और प्रत्येक को समान अवसर उठने का प्रदान करें । आज उस दिशा में हम काम कर रहे हैं । इन सारी फैक्टरीज को अगर आप ले लें तो उनमें कुछ विशेषज्ञ भी काम करते हैं, सरकार जब किसी उद्योग धंधे को चलाती है तो अपनी नीतियों के अन्तर्गत चलाती है, कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी अवस्था काफी होगी, तो एक भारी फौज खामख्वाह अपने बीच में बेकारों की पैदा कर लें, इनको ले कर । मैं समझता हूं आज की परिस्थिति में हमें अधिक से अधिक मात्रा में उद्योगधंधों को विकसित करना है, विभिन्न संस्थाओं और व्यक्तियों के सहयोग से अपने प्रदेश में उद्योग धंधों को लगाना है तभी हम प्रदेश की आमदनी बढ़ा सकते हैं और एक नई व्यवस्था स्थापित कर सकते हैं ।

आज ही जो तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बहुत सी योजनायें बनायी गई हैं । वे हमसे अधिक धन की मांग करती हैं । और वह अधिक धन टैक्सों और ऋणों के द्वारा ही उपलब्ध कर सकते हैं । तो जब हम उस हालत में है और उधर १०० करोड़ रुपया मुआवजे के रूप में देना पड़ जाय, आप सोच सकते हैं इससे तो हमारा काम चलने वाला नहीं है ।

एक बात और मैं कहना चाहता हूं । जब सारे देश ने, सारे प्रदेशों ने एक मिक्स्ड इकोनामी की व्यवस्था को माना है और मिक्स्ड इकोनामी की व्यवस्था को मान कर जगह ब जगह सुभीता प्राइवेट सेक्टर को हम दे सकते हैं, देने की व्यवस्था रची है और उत्तर प्रदेश में उस व्यवस्था को रचने की अगर हम चेष्टा करते हैं तो क्या आपत्ति की बात करते हैं ? ऐसी कौन सी बात हम करते हैं जो उस नीति के अन्तर्गत नहीं करते हैं ? बराबर प्राइवेट सेक्टर को डरा देना और उस रास्ते

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

से हटा देना जिस रास्ते पर चलने को हमारे कहने से, हमारे आग्रह से वह उद्यत होता है, कोई दूरदर्शिता की बात नहीं है । ऐसी नीति हम बरतें जो विपरीत हो अन्य प्रदेशों की या देश की नीति के तब हमारे ऊपर आपत्ति उठाई जा सकती है, हमारी आलोचना की जा सकती है । परन्तु यदि हम उस नीति के अन्तर्गत अपने प्रदेश के अन्दर एक स्वस्थ वातावरण पैदा करना चाहते हैं जिससे जो लोग क्षमता रखते हैं रोजगार लगाने की उन्हें हम आमंत्रित करते हैं, जब कि हमारे पास धन नहीं है पब्लिक सेक्टर में रोजगार चलाने के लिये, यदि उनकी सहायता से हमारे प्रदेश में उद्योग धन्धे लग जायं तो इसमें न तो आपत्ति होनी चाहिये, न आलोचना होनी चाहिये ।

मेरा सादर सदन के सदस्यों से निवेदन है कि जहां त्रुटियां हैं अवश्य वहां हमारा कान पकड़िये, हमारे अधिकारियों के कान पकड़िये, लेकिन अगर आप उस वातावरण को बनने नहीं देना चाहते हैं जिसके द्वारा हम प्रदेश का नेशनलाइजेशन करना चाहते हैं तो हमारा काम बनने वाला नहीं है । हम अधिकारपूर्वक यह नहीं कह सकते हैं कि उद्योग धंधे लगाने के सिलसिले में हमने भूलें नहीं की हैं, गलतियां नहीं की हैं । भूलें हम करते हैं, भूलें हमारे अधिकारी करते हैं हमारी भूलें जहां हुई हैं अवश्य उनकी ताड़ना ही कीजिये, लेकिन जो उद्देश्य हैं उस पर हमला न कीजिये । गलतियों के विषय में अब आलोचना होती है तो बराबर यह कहना कि ये पूंजीपति के एजेन्ट हैं, पूंजीपतियों के हाथ बिके हुये हैं, इस तरह का वातावरण बनाने की चेष्टा की जाती है, उससे प्रदेश का और जनता का भला नहीं होता । जिनको हम आमंत्रित करते हैं वे भी बिचक जाते हैं ।

बिड़ला को जो बिजली हमने अल्म्यूनियम फैक्टरी लगाने के लिये दी है समय बे समय उसके विषय में बातें उठाई गयीं । हम इस बात का निगोशियेशन कर रहे थे कि वह अपना बिजली का प्लान्ट लगा लें । लेकिन जो वातावरण यहां पैदा करने की चेष्टा की गयी उससे जो व्यक्ति एक नया प्लान्ट लगाना चाहता था अपनी खुद बिजली तैयार करने के लिये और साथ में जो बचे उसे प्रदेश को देने के लिये, आज वह विचलित है । वह कहता है कि आपके प्रदेश में हमेशा रोजमर्रा हमें गाली मिलती है । चाहे हम अच्छा काम करें और उद्योग धंधे बढ़ाने की चेष्टा करें, तो यह नीति अच्छी नहीं है । साल भर हुआ, हमने ५५ हजार किलोवाट बिजली बिड़ला को दी है, उनसे कहा कि हमारी बिजली लौटा दें और अपनी बिजली स्वतः बनायें । वह अमेरिका और विलायत गये थे । किसी उद्योगपति से नीगोशियेट करके योजना बना कर लाये, उसे हमारे सामने प्रस्तुत किया । हम उस दिशा में उसे स्वीकार करने जा रहे थे, लेकिन यहां बराबर इस बात की आलोचना की गयी जिससे वह विचलित होते जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में उद्योग धंधे लगाना ही मुश्किल होता जा रहा है ।

आज जो लोग ऐसी नीति को बरत कर लोगों की आलोचना करके उन्हें विचलित कर देना चाहते हैं वह सही नीति नहीं अपना रहे हैं, और न समाजवाद को लाने में सहायता प्रदान कर रहे हैं, जिस समाजवाद को वह दिन में ५० दफा शब्दों में सिर्फ घोषित किया करते हैं, परन्तु जिसकी रूपरेखा की न वह कोई शक्ल दिखाते हैं और न कोई कार्यक्रम हमारे सामने रखते हैं जिससे वह हमारे बीच में आ सके । समाजवाद क्या बात की चीज है ? क्या भाषण की चीज है, एक आन्दोलन की चीज है ? समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करने के लिये एक नई प्रवृत्ति जनता के अन्दर पैदा करना है, उन व्यक्तियों के अन्दर प्रवृत्ति पैदा करनी है जो समाजवाद के ठेकेदार अपने को जगह-जगह बनाने की कोशिश करते हैं । मैं निवेदन करूंगा कि इस सरकार के पीछे बैठने वाले साथी उतना ही समाजवादी व्यवस्था को लाने के उत्सुक हैं, जितना कोई भी व्यक्ति गणतंत्र परम्पराओं के अन्तर्गत समाजवादी व्यवस्था को रखने और लाने की इच्छा रखता है । और आज हम उस दिशा में कार्य कर रहे हैं । आज केन्द्रीय सरकार की नीतियों ने समाजवाद को अधिक हमारे नजदीक ला दिया है न कि उन लोगों की नीतियों ने जो कि दिन भर अपना समय उस कार्य में व्यतीत करते हैं जिसमें उन्हें नहीं व्यतीत करना चाहिये ।

गाली-गलौज लम्बे-लम्बे भाषणों से समाजवादी व्यवस्थायें किसी गणतंत्र में नहीं लायी जा सकी हैं और यदि वे लायी गयी हैं तो सब्र और शान्ति से काम करते हुये और गणतंत्र की परम्पराओं को अपना कर लायी गयी हैं। आज हम कह चुके हैं कि सारी बेसिक इंडस्ट्रीज पर राज्य का अधिकार होना चाहिये और उस दिशा में हम कार्य कर रहे हैं। लेकिन बराबर इस बात को कहना कि शुगर फैक्ट्रीज का राष्ट्रीयकरण कर लिया जाय जबकि आज हमारे पास वह साधन और व्यवस्था नहीं है एक बेकार की चीज है और वह चीज हमें उस दिशा में नहीं ले जा सकती जिस ओर चल कर हम इस प्रदेश के नागरिक का स्तर और आमदनी बढ़ाना चाहते हैं।

मैंने जो उद्योग-धंधे प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में हमारे बीच में आने वाले हैं उनके विषय में चर्चा की। छोटे-छोटे उद्योग-धंधों के विषय में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं उन साथी से सहमत हूं, जिन्होंने हमें यह राय दी कि हमें जापानी पैटर्न पर छोटी-छोटी मशीनरी लगाने का प्रबन्ध करना चाहिये और आज स्माल स्केल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन का भी यही उद्देश्य है और उसकी तहत में जो संस्थायें काम कर रही हैं, काटेज ऐंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड, उसका भी उद्देश्य यह है कि छोटे-छोटे उद्योग-धंधे जिन क्षेत्रों में रा-मैटीरियल उपलब्ध है वहां विकसित किये जायं। लेकिन जापान में भी, जहां छोटे-छोटे उद्योग-धंधे फैले हुए हैं, काफी मात्रा में वे बिजली की मदद से चलते हैं। हम भी उन व्यक्तियों में से हैं जो इस बात से सहमत हैं कि छोटे उद्योग-धंधे को भी बिजली से चलाने की आवश्यकता है। इसीलिये आज ४९७ करोड़ की योजना में से १०८ करोड़ रुपया बिजली की पैदावार के लिये रखा गया है। हमारे बीच में अगर अधिक बिजली पैदा हो जाय तो जो दिक्कत आज हमारे सामने है वह खत्म हो जायगी। तो आज जो ४९७ करोड़ रुपये की योजना का कार्य हमें शुरू करना है उसमें जनता, पढ़े-लिखे लोगों और किसानों, सभी के सहयोग की आवश्यकता है क्योंकि ४९७ करोड़ की धनराशि यहां बातों से तो आने वाली नहीं है, उसके लिये प्रबन्ध करना होगा, हमें त्याग करना होगा। तो हम छोटे-छोटे उद्योग-धंधों की तरफ ध्यान रखे हुये हैं और उनके चलाने के लिये हम चाहते हैं कि जगह-जगह पर बिजली पहुंचे और फिर जापानी पैटर्न पर छोटे-छोटे उद्योग-धंधे कायम किये जायं।

एक बात सही कही गयी कि लोन्स के प्राप्त करने में काफी समय लग जाता है। स्वतः मेरे सामने भी यह बात आयी है कि यदि फाइनेंस कारपोरेशन किसी लोन की मंजूरी देता है और यदि वह ५ हजार से ऊपर की धनराशि होती है तो उसको प्राप्त करने में काफी दिक्कत होती है। पांच सौ रुपये तक तो इंडस्ट्रीज आफिसर ही दे सकता है और दो हजार रुपये तक जिलाधीश के द्वारा दिया जा सकता है। लेकिन पांच हजार से ऊपर की धनराशि के लिये कोई चीज मार्गेज करनी पड़ती है और जो चीज मार्गेज की जाती है उसकी जांच के लिये वह कागज रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भेजा जाता है और इस कारण काफी देर होती है। तो इस देरी को दूर करने के लिये और इन छोटे और बड़े उद्योगों के विषय में जो समय-समय पर समस्यायें पैदा होती हैं और जो काफी समय ले लेती हैं और अधिकारियों को भी उलझन में डाल देती है सरकार ने यह निर्णय किया है कि एक कमेटी ऊंचे स्तर की नियुक्त होनी चाहिये जो बैठ कर जल्दी फैसला कर दिया करे और जिस कमेटी में वित्त विभाग के अधिकारीगण हों, इंडस्ट्रीज विभाग के हों तथा अन्य विभागों के अधिकारीगण हों और मुख्य मंत्री उसका अध्यक्ष रहे जिससे फैसले करने में देरी न हो क्योंकि निर्णय लेने में बहुत देरी होती है। एक कागज एक विभाग के पास जाता है फिर दूसरे के पास इस तरह से कई विभागों के पास जाता है और इसमें बहुत देर लग जाती है, इसलिये एक हाई पावर बोर्ड होना चाहिये जो जल्दी से जल्दी निर्णय ले ले जिसमें वित्त विभाग के मंत्री और सचिव भी रहें और वे जल्दी से जल्दी उस दिशा में कार्य कर सकें जिस दिशा में हम उद्योग-धंधों में सहायता या सहयोग पहुंचाना चाहते हैं।

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

माननीय सदस्य जो पहाड़ी क्षेत्रों से आते हैं उन्होंने कहा कि यद्यपि पहाड़ी क्षेत्रों में इस विषय में कार्य हो रहा है परन्तु वह सन्तोषजनक नहीं है और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला नहीं है। मैं उन माननीय सदस्यों से जो पहाड़ी क्षेत्र से चुने गये हैं, स्वतः मैं भी वहीं से चुना गया हूं, कह देना चाहता हूं कि पहाड़ी क्षेत्रों की समस्यायें यहां से भिन्न हैं, इसलिये जो चीज वहां आसानी से पैदा की जा सकती है, जो उद्योग धंधे वहां तैयार किये जा सकते हैं यानी स्थापित किये जा सकते हैं उसकी तरफ हमारी सरकार का ध्यान बराबर है। सरकार ने बागबानी के उद्योग को वहां पर प्रोत्साहन दिया है, फ्रुट प्रिर्वेशन उद्योग भी चलाया है। इसके साथ ही लाइम स्टोन के बारे में चर्चा की गई तो मैं बताना चाहता हूं कि पहाड़ी क्षेत्र बागेश्वर में एक कारखाने को खोलने की व्यवस्था इसी अनुदान में है और हमारे जियोलोजिस्ट्स जहां-जहां खनिज पदार्थों की खोज कर रहे हैं वहां इस विभाग का ध्यान उनकी मदद से उद्योग धंधे लगाने का है। जहां जहां खनिज पदार्थ मिलेंगे वहां इंडस्ट्रियल कारपोरेशन का ध्यान अवश्य जायगा।

एक बात लीसे के उद्योग के विषय में कही गयी। पहले जो व्यवस्था थी उसमें हमने पिछले वर्ष काफी अन्तर किया है। पहले कोआपरेटिव सोसाइटीज को १५ हजार मन लीसा मिलता था, लेकिन अब हमने निर्णय कर लिया है कि उनको ६० हजार मन लीसा मिलेगा और वे उसे उद्योग धंधों में लगाएंगी।

एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा जो उद्योग-धंधे चल रहे हैं उनमें अधिकांश कोई फायदा नहीं है। जहां तक प्रेसीशन फैक्टरी का संबंध है, उसके फायदे के विषय में सदन में चर्चा हो चुकी है। हर एक आदमी जानत है कि वह फैक्टरी ८–९ लाख का फायदा दे रही है। हां, सीमेंट फैक्टरी के फायदे के विषय में यह कहा जा सकता है कि उसे उतनी मात्रा में फायदा नहीं हो रहा जिसमें कि होना चाहिये। लेकिन इसके सिलसिले में प्रदेशीय सरकार को दोष नहीं दिया जा सकता है क्योंकि जो दर टैरिफ कमीशन ने, विभिन्न फैक्टरीज जो प्रदेश में बनी हुई हैं, फैक्टरी प्राइस निर्धारित की है और उसके अनुसार केन्द्रीय सरकार ने टैरिफ कमीशन की दर को मान कर प्राइसेज घोषित की हैं। चूंकि एक्स फैक्टरी प्राइस केन्द्रीय सरकार घोषित करती है और ७५ रुपया फी टन एक्स फैक्टरी प्राइस निर्धारित थी तो केन्द्रीय सरकार ने हमारी फैक्टरी की प्राइस में ५ रुपये की कटौती कर दी जबकि अन्य फैक्टरीज की प्राइस उसी रूप में रखा जिसमें कि टैरिफ कमीशन ने सिफारिश की थी। यह विषय हमने केन्द्रीय सरकार के सामने रखा है और हमारा आग्रह है कि हमें ७५ रुपये फी टन ही प्राइस मिलनी चाहिये और जो ५ रुपये की कटौती की गई है वह नहीं की जानी चाहिये। केन्द्रीय सरकार इसलिये ऐसा कर रही है कि हम इनकम टैक्स नहीं देते हैं और दूसरी फैक्टरीज इनकम टैक्स देती हैं, लेकिन जो पांच रुपये का फायदा हो रहा है वह जो उन्होंने स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन बना रखा है जो रिटेल प्राइस तय करता है, सारा फायदा वह ले रहा है। अभी भी हम आग्रह पूर्वक केन्द्रीय सरकार से निवेदन कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि केन्द्रीय सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी। अगर पांच रुपये फी टन मिलेगा तो हमारी फैक्टरी आठ फीसदी जो हमने रुपया लगाया है, आमदनी हमें प्रदान करेगी।

हमारी जो टर्पेन्टाइन फैक्टरी बरेली में है वह कई वर्षों से फायदा दे रही है और पिछले वर्ष ३० लाख रुपया फारेस्ट डिपार्टमेंट को लीसा का अदा किया। अब तक जितनी कीमत लीसा की वह फारेस्ट डिपार्टमेंट को देती थी वह बहुत कम थी। लेकिन ३१ मार्च को उसने ३० लाख रुपये जो लीसा फारेस्ट डिपार्टमेंट ने दिया था उसके लिए दिया है। चार-पांच वर्षों में उसने काफी अपनी आमदनी से तब्दील कर ली है। कल कारखानों में उनके पुरजों को बदलवाया है। नयी मशीन लगवायी ह। कहने का मतलब यह है कि पब्लिक सेक्टर मुनाफा दे रहा है। कोई मुफ्त में नहीं चल रहा है। इस मात्रा में यह कथन सही नहीं है कि पब्लिक सेक्टर घाटे पर चल रहा है।

मैंने थोड़े शब्दों में इस सदन के समक्ष आगे आने वाले वक्त में किस तरह से उद्योग धंधों को लगाने की व्यवस्था रच रहे हैं उसको रखा है। साथ ही उस नीति को भी रखा है जो प्रदेश की सरकार उद्योग धंधों के चलाने के सिलसिले में अपनाना चाहती है। न वह किसी के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहती है जिससे कोई उद्योग धंधे लगाने से हटे, न किसी को पब्लिक के रुपये से नाजायज फायदा उठाने का अवसर देना चाहती है। हां, वह एक स्वस्थ वातावरण उद्योग धंधों के लगाने के सिलसिले में बरत रही है। और मैं आशा करता हूं कि यदि वह वातावरण हमारे बीच में बढ़ता रहा तो आने वाले वर्षों में अधिक मात्रा में उद्योग धंधे हमारे बीच में लगेंगे और कदाचित वह पिछड़ेपन जिसमें हम पड़ गये हैं वह हमारे बीच से निकल सकेगा जिससे अधिक मात्रा में औद्योगीकरण की दिशा में चल सकेंगे।

मैं इन चन्द शब्दों के साथ उस अनुदान का समर्थन करता हूं जो मेरे सहयोगी लघु उद्योग मंत्री ने इस सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया है।

**श्री ऊदल** (जिला वाराणसी)––माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी का भाषण मैंने बड़े गौर से सुना। माननीय मुख्य मंत्री जी का कहना यह है कि हम लोग भी राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य मानते हैं। लेकिन आज के युग में हम मिक्स्ड इकोनामी को लेकर चलना चाहते हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आप इजिप्ट को ले लें, लंका को ले लें, जो देश पिछड़े हुए हैं, वहां भी मिक्स्ड इकोनोमी है, लेकिन उसका मतलब यह नहीं होता है कि हम प्राइवेट लोगों को पैसा दें, लाइसेंस दें, कि वह फैक्टरी चलाएं और उनके मुनाफे पर कोई कंट्रोल न करें, उनको मनमाने तरीके से मुनाफा कमाने दें। मैं समझता हूं कि मिक्स्ड इकानोमी का मतलब यह नहीं होता है। अगर आप शुगर इंडस्ट्री को लें तो जो अर्थ शास्त्र का जो एक मूल सिद्धान्त है कि जितने आने मन गन्ना उतने रुपये मन चीनी, वह नहीं माना जाता। आज सरकार ने ११ रुपये प्रति मन ड्यूटी लगायी है। उसको मिला लेने के बाद चीनी के उत्पादन की जो लागत है तीस रुपये मन के करीब आती है, लेकिन चीनी मिल मालिक आज ४० रुपये के करीब चीनी बेच रहे हैं। इसलिए मैं इस मिक्स्ड एकोनामी का जिसकी कि माननीय मुख्य मंत्री जी ताईद करते हैं, मैं उसका विरोध करता हूं और मैं समझता हूं कि यह पालिसी जो सरकार की है एक पूंजीपति परस्त पालिसी है और पूंजीपतियों के सामने घुटना टेकने वाली पालिसी है। इस पालिसी के रहते हुए हमारे देश का किसी तरह से औद्योगीकरण नहीं हो सकता है।

(इस समय १ बजकर ६ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल, पीठासीन हुए।)

यह बात माननीय मुख्य मंत्री के या माननीय मुख्य मंत्री जी की सरकार के दिमाग में कहां से आयी? मैं श्रीमन्, आपके सामने उदाहरण स्वरूप एक बात कहना चाहता हूं। जैसा कि जिक्र आपके सामने माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया कि जितना रुपया आज चुर्क सीमेंट फैक्टरी में लगाया गया है या लखनऊ के सूक्ष्म यंत्र कारखाने में लगाया गया है उसको देखते हुए मुनाफा हमारा कम हो रहा है। माननीय मुख्य मंत्री जी के एक बहुत ही जिम्मेदार माननीय सदस्य हैं जो कि आफ मिनिस्ट्री (Off ministry) में थे उनका यह कहना था, उनकी एक रिपोर्ट को मैंने देख लिया एक रोज, उन्होंने यह कहा था एक रोज कमेटी के अन्दर कि चुर्क सीमेंट फैक्टरी और लखनऊ के सूक्ष्म यंत्र कारखाने को हमें किसी प्राइवेट पूंजीपति के हाथ में देना चाहिए और वह इसलिए देना चाहिए कि जितनी लागत हमने इन पर लगायी उसके मुकाबिले में मुनाफा हमको बहुत कम हो रहा है। तो इससे नतीजा हम यह निकालते हैं कि आज जो पालिसी सरकार की है वह पब्लिक सेक्टर की तरफ नहीं है, बल्कि प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाने की तरफ है और पूंजीपतियों को मुनाफा कमाने की छूट देने की तरफ है।

[श्री ऊदल]

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को दावत देना चाहता हूं कि हमने भी दुनिया के कई देश देखे हैं। दुनिया में कहीं भी इस तरह की प्रणाली नहीं है कि फैक्टरी में उत्पादन शुरू होने के पहले उसकी लागत इतनी ज्यादा कर दी जाय कि जो उससे उत्पादन हो उसमें उसके हिसाब से मुनाफा न हो सके। चुर्क सीमेंट फैक्टरी में नियमों के मुताबिक जो बंगले ५५ हजार रुपये में बन जाने चाहिए थे, वह ८८ हजार रुपये में बनाये गये। इसी तरह से मैं आपको उदाहरण-स्वरूप और बहुत सी चीजें बता सकता हूं। सड़कों के ऊपर जहां पैसा नहीं खर्च करना चाहिए था जो कि चुर्क सीमेंट फैक्ट्री के दायरे के बाहर की सड़कें थीं, उनके ऊपर ९ लाख रुपया खर्च किया गया। यह सब खर्च करने के बाद आप देखेंगे तो चुर्क सीमेंट फैक्ट्री पर जितना रुपया खर्च किया गया उसके हिसाब से उसका मुनाफा बहुत कम पड़ा। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस बात की छानबीन होनी चाहिए और इसके लिए एक कमेटी मुकर्रर की जानी चाहिए। इतना ही नहीं, चुर्क सीमेंट फैक्टरी के उत्पादन को आप देखें। माननीय मुख्य मंत्री जी ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कोसा है कि ५ रुपया जो मुनाफा होता था वह काट लिया। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के पैमाने पर जितनी फैक्टरीज सीमेंट की हैं, उनकी उत्पादन की लागत आपसे कम है। चाहे आप लाइम स्टोन को देख लीजिए, आपके वहां उस पर लागत ज्यादा आती है। उसके एक एक अंश को आप देखेंगे तो उसकी लागत दूसरी सीमेंट की फैक्टरियों से ज्यादा है और इसी का नतीजा है कि जो चुर्क का सीमेंट है वह महंगा पड़ता है और मुनाफा कम होता है। उसकी लागत की तरफ आपका ध्यान नहीं जाता है। क्या उसके ऊपर विचार करके उस लागत को बचाया नहीं जा सकता ?

इसी तरह से सूक्ष्म यंत्र कारखाने को देखें। इसको बनाते समय ६ लाख रुपया ऐसे गलत तरीके से अललटप्पू दिमाग से लगा दिया गया कि क्या कहा जाय ! हमारी सरकार के इस सरकार के जो जिम्मेदार विभाग के लोग हैं, उनके दिमाग में पता नहीं कैसे यह चीज आयी ? उत्पादन का प्लान बनाने के पहले ही तमाम इंजीनियर्स बाहर के और जर्मनी के आ गए और ६ लाख रुपया सरकार का खर्च हो गया। दो ही चीजें मुख्य रूप से इस फैक्टरी से पैदा हो रही हैं। अगर आप देखें श्रीमन्, तो जब इसका एस्टीमेट शुरू में बना था तो वाटर मीटर का मूल्य २० रुपये रखा गया था कि २० रुपये में बेचेंगे, लेकिन आज उसकी बिक्री ६५, ७५ और ९० रुपये में की जा रही है। दूसरी चीज जो तैयार होती है माइक्रास्कोप उसकी कीमत उस वक्त रखी गई थी---एक ३५० रुपये में बेचा जायगा और दूसरा ६०० रुपये में बेचा जायगा। लेकिन उसकी बिक्री आज ४५० और ९०० रुपये में की जा रही है। हम माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि जो आपने एस्टीमेट बनाया था और जो मुनाफा कमाने का लक्ष्य निर्धारित किया था, जिस कीमत पर आपने सामान बेचने का लक्ष्य निर्धारित किया था, उसके ऊपर बेंचे तो यह आपका सूक्ष्म यंत्र कारखाना, आपकी पूंजी और आपकी बिल्डिंग सारा सामान बिक जायगा और एक पैसे का मुनाफा आपको नहीं हो सकता है।

हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि हम राष्ट्रीयकरण की नीति को मानते हैं। मैं आप से कहना चाहता हूं कि आप राष्ट्रीयकरण की नीति को नहीं मानते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप कहते हैं कि हम लोग दूसरे लोगों को डराते हैं और धमकाते हैं। लंका में कालटेक्स की जो विदेशी कम्पनी थी उसको लंका की सरकार ने जब्त किया। नासिर ने स्वेज नहर को जब्त किया। आपके अन्दर हिम्मत नहीं है कि मामूली सी चीज को भी जब्त कर सकें। मैं आपसे कहना चाहता हूं और लांछन के साथ कहना चाहता हूं कि आप व आप की सरकार पूंजीपतियों के सामने हमेशा घुटने टेकती है। आपकी नीति पूंजीपति परस्त नीति है, पूंजीपतियों को मुनाफे में छूट देने की नीति है।

आप कहते हैं कि जमीन की आवश्यकता पड़ती है। मगर आपकी जमीन की पालिसी क्या है ? अभी आपने १६०० एकड़ जमीन गाजियाबाद में लिया है लेकिन आपके खिलाफ

रिट दाखिल हो गया है। वह इसलिये दाखिल हो गया है कि आप भूमिधरी जमीन को लेना चाहते हैं और उनको उचित मुआविजा नहीं देना चाहते हैं। मैं जानता हूं कि राबर्ट्सगंज जो मिर्जापुर में पड़ता है जब वहां की रेलवे लाइन के लिये जमीन ली गई तो बिहार की सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट से दो हजार रुपया एकड़ के हिसाब से मुआविजा लिया है। लेकिन हमारी सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट से २०० रुपया भी नहीं ले सकती है। रिहैंड डैम के लिये जो जमीन ली गई है उसके लिये २०० रुपये एकड़ से मुआविजा दिया है। यह कैसी पालिसी है! हमारे यहां लोको का कारखाना बन रहा है सरकार ने तय किया कि वहां के लिये भी २०० रुपये एकड़ के हिसाब से उन लोगों को मुआविजा दिया जाय। मैं स्वयं दिल्ली गया और वहां पर जगजीवन राम जी से मिला जब कि वह रेलवे मिनिस्टर थे। मैंने उनसे निवेदन किया तो उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार के मुख्य मंत्री बाबू सम्पूर्णानन्द जी जितना लिखें हम उतना रुपया देने के लिये तैयार हैं। मैं समझता हूं कि इस तरह से आप जिन काश्तकारों की जमीन लेकर देश का पुनर्निर्माण करना चाहते हैं उनको आप भूखों मारना चाहते हैं और कुछ नहीं करना चाहते हैं। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपकी जो औद्योगिक पालिसी है वह मजदूरों के खिलाफ है, देश के खिलाफ है और देश के किसानों के खिलाफ है।

अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने कानपुर के लघु उद्योग इंडस्ट्रियल कारपोरेशन का हवाला दिया। उस संस्था का मतलब है कोआपरेटिव संस्थाओं को कर्जा देना। कोआपरेटिव की एक संस्था आपकी हैंडीक्राफ्ट की दूकान है। मैंने उसका रजिस्टर देखा है जिससे पता चलता है कि उसमें लाखों रुपये का गबन है और लाखों रुपये का घाटा है। क्या यह हैंडीक्राफ्ट की दूकान में नहीं हुआ है? आप उसी इंडस्ट्रियल कारपोरेशन को, जिसको आप लाखों रुपया कर्जा देते हैं, कानपुर में उसके संगठन को देखें, उसके कारबार को आप उठाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि उसमें लाखों रुपये का घाटा है। इसके मेरे पास बहुत से उदाहरण हैं और मैं बता सकता हूं, लेकिन समय के अभाव के कारण मैं मुख्तसर इतना ही कहना चाहता हूं कि उसमें लाखों रुपये का घाटा है। मैं आपसे मांग करता हूं कि कानपुर के लघु उद्योग कारपोरेशन तथा कोआपरेटिव इंडस्ट्रियल लिमिटेड की आप जांच करायें। उसको आप लाखों रुपया कर्जा देते हैं। उसकी जांच के लिये एक कमेटी का निर्माण होना चाहिये। इतना ही नहीं कि आपने यहां से उनके लिये अनुदान पास कर दिया और उनको रुपया दे दिया। क्या मैं जान सकता हूं कि हस्तिनापुर के पास एक व्यक्ति को इस सरकार के अधिकारियों ने जो कर्जा दिया वह कैसे दिया? एक निकम्मे व्यक्ति की जमानत से सम्पत्ति की बिना छानबीन किये ही अधिकारियों ने २॥ लाख रुपया दे दिया। मगर उस रुपये से आज शुगर फैक्टरी स्थापित नहीं की गई।

दूसरा उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं साहू जैन कैमिकल का, जिसको १ करोड़ ४५ लाख रुपया दिया गया। लेकिन जमानत में जो सम्पत्ति दी गई क्या वह उस काबिल थी कि जमानत में उसको लिया जाय? वह कलकत्ते की घिसी घिसायी जूट मिल, लेकिन फिर भी आपने सहायता दी और दी और उसके बाद जो हमारी सूद की रकम थी उसे क्या आपने माफ नहीं किया? आप समाजवादी व्यवस्था के बड़े पोषक बनते हैं, मैं आप से कहना चाहता हूं कि आप समाजवादी व्यवस्था के ठेकेदार नहीं, वरन् पूंजीवादी व्यवस्था के ठेकेदार हैं और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आप देश में पूंजीवाद को भी ठीक से नहीं लाना चाहते। इसलिये मैं नम्र निवेदन करूंगा कि आप अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करें और मैं सरकार से मांग करूंगा आपके द्वारा कि आज के युग की यह मांग है कि हमारे सूबे में बिजली कंपनियों का, शुगर मिलों का और काटन मिलों का जितनी जल्दी हो सके राष्ट्रीयकरण किया जाय।

[श्री ऊदल]

इसके अलावा आप देखें कि हालत क्या है । लाइसेंस आपने बहुतों को दे दिये । क्या मैं जान सकता हूं कि जिन लोगों ने लाइसेंस पाये हैं उन्होंने क्या क्या उद्योग स्थापित किये ? कोई जरिया आपके पास जांच करने का नहीं है कि जिनको लाइसेंस दिये गये उन्होंने कोई उद्योग स्थापित किये या नहीं । आज से कुछ दिन पहले आपने १ करोड़ रुपया ऋण दिया था कुछ कम्पनियों को । उनमें से ६ कम्पनियों ने दिवाला बोल दिया जिसका मैं सबूत दे सकता हूं । तीन ने मुनाफा नहीं दिया इसलिये कि उन कंपनियों का राज्यपाल के नाम से निबंधन होना चाहिये था, वह नहीं किया गया । सब मिलाकर १ करोड़ रुपये पर आपको २ लाख का मुनाफा हुआ । इससे हम यह नतीजा निकालते हैं कि आप समाजवादी नहीं हैं बल्कि आप मिक्स्ड इकोनामी के भी खिलाफ हैं । पिछड़े हुये देश, जैसे मिश्र आदि ने जो कुछ किया है उतना भी आप नहीं करना चाहते । इसलिये मैं चाहता हूं कि आप अपनी उद्योग नीति पर पुनः विचार करें और देश और प्रदेश के औद्योगीकरण के संबंध में अपनी नीति बदलें ।

आप कहते हैं कि आपको रुपया नहीं मिलता है । मैं कहना चाहता हूं कि बुन्देलखंड के लिये और पिछड़े हुये इलाकों के लिये सेंट्रल गवर्नमेंट ने ६ करोड़ रुपया दिया था द्वितीय योजना में । तृतीय योजना की रूपरेखा पर जब विचार हो रहा था उस समय मैंने सेंट्रल के एक मिनिस्टर से बात की थी तो उन्होंने कहा कि जो ६ करोड़ रुपया दिया गया था उसमें से कुल आपकी सरकार ने २८ लाख रुपया खर्च किया है । मैं यह आरोप आप पर लगाता हूं कि जिस बुन्देलखंड की आप बड़ी हिमायत करते हैं कि आप उसकी तरक्की करना चाहते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट को कोसते हैं कि वह रुपया नहीं देना चाहती, आप जांच कीजिये कि इसमें क्या हुआ है । वह रुपया क्यों नहीं खर्च किया जा सका ? आपके हाथों में इतनी भी ताकत नहीं है कि आप उस रुपये को इस्तेमाल कर सकें । इसलिये मैं कहना चाहता हू कि आप कुछ नहीं चाहते । आप जरा सोचिये । हम पूंजीपतियों को भड़काने वाले नहीं हैं न आपको ही भड़काना चाहते हैं । समाजवाद आयेगा और प्रदेश की जनता उसके लिये ठेकेदार है, आप नहीं । जिस दिन प्रदेश की जनता सोच लेगी उसी दिन वह समाजवाद ले आयेगी और आपको यहां से हटा कर अलग कर देगी ।

*श्री तेजसिंह (जिला मेरठ)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इस अनुदान पर अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया । जो अनुदान माननीय मंत्री जी ने उद्योग के विकास के लिये पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और जो कटौती का प्रस्ताव पेश हुआ है उसका विरोध करता हूं ।

मैंने एजेंडा में देखा है कि कटौतियां इसलिये पेश की गयी हैं कि कटौती करने वाले सामाजी कुछ आलोचना करना चाहते हैं और कुछ सुझाव देना चाहते हैं । मैं भी भले ही कटौती का विरोध कर रहा हूं, लेकिन कुछ आलोचना विभाग की करना चाहता हूं और कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं ।

मैं गाजियाबाद क्षेत्र से संबंध रखता हूं । आपको यह ज्ञात है कि गाजियाबाद एक अच्छा औद्योगिक केंद्र बन गया है और वहां की समस्याएं भी बढ़ती चली जा रही हैं । अगर गाजियाबाद की तरफ आप नजर डालें तो देखेंगे कि आजादी के बाद वहां बहुत से कारखाने बढ़े हैं । इस समय वहां दो वनस्पति मिल हैं जिनका घी आप सब लोग खाते हैं, एक हैंडलूम की फैक्टरी है जिसका बहुत अच्छा कपड़ा तैयार होता है, ८ सरिया बनाने की मिलें हैं, ६ हैमर बनाने की मिलें हैं, ३० फाउन्डरीज हैं, १० आयल एक्सपीलर मशीन्स हैं, एक साइकिल के चैन बनाने का मिल है । ग्लास मिल है, इलेक्ट्रिक केबिल्स और स्वीच गियर की मिलें हैं, लैन्टर्न फैक्टरी हैं, एक टाइम पीस बनाने की भी फैक्टरी है जो करीब २०० टाइमपीस रोज बनाती है और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आगे चल कर ४०० बनाने लगेगी, एक ओवलटीन की फैक्टरी भी है, तथा और भी कई फैक्टरीज हैं। इसके अलावा वहां पर १२० डीजल इंजिन बनाने वाली फैक्टरीज हैं। तो यह सब विकास वहां पर स्वतंत्रता मिलने के बाद ही हुआ है। इन सब चीजों को देखते हुये यह कहना कि हमारे यहां औद्योगिक विकास नहीं हो रहा है, गलत है। इन चीजों से यह सिद्ध होता है कि हमारे यहां काफी औद्योगिक विकास हो रहा है, हां, यह जरूर कहा जा सकता है कि वह और प्रदेशों के मुकाबिले में कम हो। अभी आंकड़े पेश किये गये हैं। पहले माननीय सम्पूर्णानन्द जी ने भी इसके आंकड़े इकट्ठे किये थे कि हमारे यहां इस तरफ कितनी प्रगति हुई है।

कल थोड़ा-सा यह भी जिक्र किया गया कि पंजाब में ज्यादा तरक्की हो रही है और उसका कारण यह है कि वहां के अधिकारी ज्यादा मदद करते हैं और यहां के अधिकारी कम मदद करते हैं। इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है, लेकिन यह केवल अधिकारियों और हुकूमत के ही हाथों में नहीं है कि वे प्रदेश को आगे बढ़ा सकें। यह सिद्धांत है कि जहां जैसे लोग होते हैं, उनकी जिस ओर रुचि होती है, वहां की वैसी ही हुकूमत होती है, वैसी ही प्रगति होती है। हमारे यहां के लोगों की अधिकतर रुचि दस्तकारी की चीजों में नहीं है। यहां कुछ ईश्वर की कृपा भी रही है कि यहां के लोगों को कहीं घरबार छोड़कर जाना नहीं पड़ा। फिर वे कुछ कंजर्वेटिव किस्म के भी हैं। वे कोई ऐसे रोजगार में पैसा नहीं लगाना चाहते जिसमें उनको जरा भी यह खतरा हो कि उनका पैसा बरबाद हो जायेगा। यहां के लोग तो सूद का ही रोजगार करते रहे हैं। कारखाने आदि लगाने में तो पहले आपको सारा धन मिट्टी ईंट और लोहे आदि में लगाना होता है। एक कहावत है 'कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा'। इसी के अनुसार चारों तरफ से धन इकट्ठा करके उसमें लगाना होता है और थोड़ा सा रिस्क भी लेने के लिये तैयार होना पड़ता है। जब कुनबा जुट जाता है तो पैसा आना शुरू होता है। गाजियाबाद में जो आदमी जाते हैं वह देखते होंगे कि तकरीबन गाजियाबाद में, बल्कि सारे प्रांत में पंजाबियों ने ही इंडस्ट्री में हिस्सा लिया है। वहां वालों को फायदा हो रहा है, लेकिन लोकल आदमी कम हिस्सा ले रहे हैं।

मैं एक दो सुझाव भी देना चाहता हूं। जहां अधिकारियों को अपना ऐटिट्यूड बदलना चाहिये जैसा कि डाक्टर साहब ने कहा था कि वह अपने आपको अफसर न समझें, वहां लोगों को भी हिम्मत से काम लेना चाहिये। हो सकता है कि अधिकारी समझते हों कि बगल में थैला लेकर आते हैं, ये सब डाकू हैं और वही थैलों को संभाल कर रखेंगे, हो सकता है कि वह अपनी जगह पर ठीक हो। क्योंकि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं कि अगर सरकार से तेल भी मिले और कोई बर्तन लेने को न हो तो पल्ले ही में ले लो, क्योंकि सरकार से मिल रहा है। तो हो सकता है कि इस वजह से अधिकारी कुछ कंजरवेटिव हों, लेकिन उनको भी उदारता से काम लेना चाहिये और अगर उनके पास कोई मांगने के लिये आता है तो एहसान न करें, बल्कि यह समझें कि वह अधिकारियों के ही मदद के लिये आये हैं।

मुझे यह भी आलोचना करनी है कि गाजियाबाद की एक खास समस्या है। वहां २० डीजल इंजिन बनाने के कारखाने हैं। हमारी प्रदेशीय सरकार ८ हजार के करीब डीजल इंजिन और पंपिंग सेट खरीदना चाहती है। परचेज स्टोर में एक टेंडर गया है, मगर उस टेंडर के संबंध में डाइरेक्टर साहब ने गाजियाबाद वालों से नहीं पूछा कि तुम देना चाहते हो या नहीं। माननीय गुप्ता जी इलेक्शन के समय गये तो हम ने कहा कि २-३ करोड़ के इंजिन खरीदे जायेंगे बाहर से तो हमारा काम खत्म हो जायगा। उनके कहने पर उनका टेंडर लिया गया। अब मैंने सुना है कि तरह तरह का बहाना लगाकर उसे नामंजूर करना चाहते हैं। मैं मानता हूं कि बाहर के मुकाबले में वह उतने अच्छे इंजिन साबित नहीं होंगे, लेकिन अगर गाजियाबाद में बने इंजिनों में कुछ कमी हो तो डायरेक्टर साहब का फर्ज है कि उन लोगों को डायरेक्ट करें, उनकी मदद करें और उस कमी को पूरा करवायें ताकि हमारा जो रोजगार

[श्री तेजसिंह]

है वह तबाह न हो । उन कारखाने वालों ने डायरेक्टर साहब और मिनिस्टर साहब से कहा कि वहां एक टेस्टिंग मशीन या प्लांट लगा दिया जाय, क्योंकि वह लोग अलग-अलग अपने यहां नहीं लगा सकते, लेकिन १५ साल हो गये अबतक वह नहीं लग सका । इसलिये मैं प्रार्थना करता हूं कि चूंकि गाजियाबाद एक केंद्र बनता जा रहा है तो वहां एक जिम्मेदार अफसर, डिप्टी इंडस्ट्रियल आफिसर या और कोई रखा जाय ताकि वहीं की जो समस्यायें हों उनके लिये लखनऊ और कानपुर न आना पड़े और वह वहीं की वहीं दूर हो जायं । कोटा जो मिलता है, कोयले की समस्या है तो वह वहीं सीधा भेज दिया जाय और जो मैनुफैक्चरिंग एसोसिएशन बनी हुई हैं, बजाय किसी व्यक्ति को देने के उनको कोआपरेटिव सोसाइटी बनाकर उनको दे दिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा ।

**श्री उपाध्यक्ष**---आपका समय समाप्त हो गया ।

***श्री रामआसरे** (जिला बाराबंकी)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मंत्री महोदय को मैं संकेत करना चाहता हूं कि आज लघु उद्योग के नाम पर वृहत उद्योग को तरजीह दी जा रही है । कहने के लिये गरीबों का पालन, गरीबों की बेरोजगारी को मिटाना और उनकी उन्नति करना, लेकिन अगर असलियत को देखा जाय तो हमारे भारतवर्ष में ऐसी कलायें मौजूद थीं जिनको देख कर विदेश के लोग हैरत में रह जाते थे । हमारे यहां कपड़े के उत्पादन की एक मिसाल थी कि ६ इंच बांस की नली के अन्दर ५२ गज मलमल का थान आता था । हमारे आगरे के ताजमहल की मिसाल दुनिया में आजतक कहीं नहीं मिल सकी । यहां लखनऊ में आसफउद्दौला का इमामबाड़ा कारीगरी की एक जिन्दा मिसाल मौजूद है । जिस जमाने में हमारा देश गरीब था, उसके पास कोई साधन नहीं थे फिर भी गरीब जनता के दिलों में इन कलाओं के उद्गार थे और आज जबकि हम बड़ी-बड़ी डींगें मारते हैं, सरकार की ओर से कहा जाता है कि हर प्रकार की सुविधायें जनता को दी जा रही हैं, अगर असलियत को देखा जाय तो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के लिये कोई रोजगार नहीं है ।

आज पूंजीपतियों के द्वारा बड़े-बड़े कारखाने खोले जा रहे हैं जबकि चाहिये यह था कि सरकार अपने पैसे से बड़े-बड़े उद्योगों को चलाती जिसमें गरीबों को रोजी मिल पाती । लेकिन सरकार तो पूंजीपतियों से सांठ-गांठ रखती है जिसके कारण न मजदूरों को बोनस मिलता है, न समय से तनख्वाह मिलती है और आये दिन हड़तालें होती रहती हैं । देश की ९० फीसदी जनता गरीब है, वह रोजगार से वंचित है, उसके पास कोई साधन नहीं है । लेकिन सरकार की ओर से किताबों में यह लिख दिया जाता है कि फैक्टरी के नौकरों के लिये इंटरमीडियेट तक की शिक्षा के स्कूल, खेलने के लिये मैदान, रहने के लिये मकान और अन्य तरह की सुविधायें प्राप्त हैं । लेकिन आप देखें कि इस देश में कितनी तादाद में फैक्टरियां हैं और उनमें इस देश के कितने आदमियों को खपत हो सकती है । आपको ऐसी स्कीमों को चलाना चाहिये जिनसे सारे देश के लोग अगर पूरी खुराक न पा सकें तो कम से कम एक समय भर पेट भोजन पा जायं । यह बात कहां तक उचित हो सकती है कि एक तरफ तो एक आदमी लड्डू, पेड़ा, हलुवा, मलाई उड़ाये और दूसरी तरफ लोग भूखों मरें । इस तरफ आपको ध्यान देना है ।

मैं आपके द्वारा, कहना चाहता हूं कि सरकार की तमाम स्कीमें अनर्गल चलती हैं । अगर उन स्कीमों को ही समाप्त कर दिया जाय तो देश का बहुत बड़ा कल्याण हो सकता है । मिसाल के लिये मैं कहना चाहता हूं कि एक ताड़ से गुड़ बनाने की स्कीम चल रही है । जिस देश में अरबों एकड़ गन्ना सूख जाता हो, उसकी पेराई न हो पाती हो, वहां पर ताड़ के गुड़ को तरजीह दी जाती है और उस पर करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है, यह कहां तक उचित है ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

चर्मशोधन के लिये केवल कानपुर और आगरे को छोड़कर किसी अन्य शहर में कोई बड़ा कारखाना नहीं है । यदि हर जिले में इस कार्य के कारखाने कोआपरेटिव या प्राइवेट बेसिस पर खुलवाकर उनको सरकारी सहायता दी जाय तो कुछ अंश तक देश की गरीबी दूर हो सकती है, लेकिन सरकार तो केवल पूंजीपतियों को ही तरजीह देती है । जहांतक कपड़ा उद्योग का संबंध है, यूरोप के लोग इस देश से ही सीखकर गये और अपने यहां कपड़ा बनाना शुरू किया । आज हमारे देश में जुलाहे और कोरी बहुत परेशान हैं, उनके लिये कोई कारबार नहीं है । उनके लिये केवल यह कहा गया है कि उनको हाथ के करघे दिये जायेंगे ।

आपके उद्योग विभाग से तेल की घानियों और खांडसारी के लिये लोन दिया जाता है, लेकिन वह लोन केवल बड़े आदमियों को ही मिलता है । एक एक आदमी को ४०-४०, ५०-५० हजार रुपया दिया जाता है, लेकिन जिन लोगों के पास १०-२० बीघा गन्ना है उनको पेराई के लिये कोई लोन नहीं दिया जायगा । वे अनभिज्ञ हैं, वे जानते भी नहीं है कि किस तरह से लोन मिलता है । किसी प्रकार से जानकारी प्राप्त करके अगर वे दरख्वास्त भी देते हैं, और फार्म वगैरह भर कर देते हैं तो भी इस कार्यवाही में ५-६ महीने लग जाते हैं तब तक पिराई का वक्त निकल जाता है । हमारे जिले की ही बात है । एक एक सोसाइटी के नाम से १०-१०, १५-१५ हजार रुपया ड्रा कर दिया गया, लेकिन अगर जांच की जाय तो एक कोल्हू भी नहीं लगाया गया । सारी कार्यवाही कागज पर ही हो गयी, सारा काम फर्जी रहा ।

इसी प्रकार से आज शहद की मक्खी पाली जाती है । जितने की उनको चीनी दी जाती है, जितने के बक्से बनाये जाते हैं, जितना खर्चा उनके ऊपर होता है उससे लाभ कुछ नहीं होता, हमेशा करोड़ों रुपये की हानि होती है । हमारे देश में ६० प्रतिशत किसान बसते हैं, उनके पास कोई रोजगार नहीं है । उनको कोई सुविधायें तकावी और लोन आदि की नहीं है । उनको आने जाने का भी रास्ता नहीं है । सैलाब आ जाते हैं, लाखों की तादाद में उसके पशु मर जाते हैं, फसल नष्ट हो जाती है । उन लोगों को कोई सुविधा नहीं है ।

(श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी का नाम पुकारे जाने पर)

**एक सदस्य**—श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है । मैं यह अर्ज करना चाहता हूं और कल भी मैंने अर्ज किया था कि जब से सदन शुरू हुआ है उस वक्त से आज तक मुझे बोलने का समय नहीं मिला ।

**श्री उपाध्यक्ष**—अब मिलेगा । आप परेशान न हों ।

**श्री रामायण**—श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि यह विवाद कितने बजे तक चलेगा ?

**श्री उपाध्यक्ष**—इसके बाद ही मैं आपको बुलाऊंगा ।

***श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी** (जिला झांसी)—श्री उपाध्यक्ष महोदय, मैं बुन्देलखंड के इलाके से आता हूं जो बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने प्रारम्भ में ही बुन्देलखंड का स्मरण किया । बुन्देलखंड वह क्षेत्र है जो छोटे छोटे रजवाड़ों में बंटा हुआ था और अंग्रेजी राज्य के जमाने में बहुत दबाया गया था । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रथम पंचवर्षीय योजना में, द्वितीय पंचवषाय योजना में और तृतीय पंचवर्षीय योजना में एक भी उद्योग केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार की ओर से वहां स्थापित नहीं किया गया और न तृतीय पंचवर्षीय योजना में कोई उद्योग स्थापित करने की योजना है । बुन्देलखंड में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी]

बहुत सा कच्चा माल पैदा होता है। वहां से हजारों मन तेलहन, जैसे तिल, अलसी, महुआ का बीज आदि बाहर चला जाता है। वहां पहाड़ी इलाके में तरह तरह के पत्थर काफी मात्रा में पाये जाते हैं जिनसे कई प्रकार के बर्तन, मूर्तियां व बिजौसे आदि बनाये जाते हैं। इमारती पत्थर भी वहां काफी मात्रा में भरे पड़े हैं। वहां से हजारों तरह की जड़ी बूटियां कानपुर आदि जगहों को जाती हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना के पहिले कहा जाता था कि किसी उद्योग के लिए पावर की जरूरत है और माता टीला के लिये जब पावर की बात हुई तो विदेशी मुद्रा की समस्या उसके सामने रास्ते में आ खड़ी हुई और उसे तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिये टाल दिया गया। फिर जब तृतीय पंचवर्षीय योजना में कहा जा रहा है कि सन् ६३-६४ तक वहां को बिजली उपलब्ध हो सकेगी। लेकिन तृतीय पंचवर्षीय योजना में जब पहिले बिजली उपलब्ध हो गयी तो भी बुन्देलखंड में कोई उद्योग लगाने की योजना नहीं है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में भी कई औद्योगिक आस्थानों की स्थापना की जा रही है, जैसे ४ बड़े औद्योगिक स्थान वाराणसी, लखनऊ, अलीगढ़ और मेरठ में, ५ मध्यम औद्योगिक आस्थान, ८ छोटे तथा ११ विकास क्षेत्रों में आस्थान स्थापित किये जा रहे हैं, लेकिन उनमें बुन्देलखंड के किसी जिले का कोई स्थान नहीं है। हां, २३, जो विकास खंड खुले हैं वहां जो ग्रामीण आस्थान स्थापित होने वाले हैं उनमें आखिर में झांसी, जालौन, हमीरपुर और बांदा को चार आस्थान दिये गये हैं जब कि इसकी और कहीं जरूरत नहीं मालूम हुई।

तीसरी पंचवर्षीय योजना में दो बड़े-बड़े औद्योगिक आस्थान की स्थापना की जा रही है जिसमें ६२ लाख रुपये खर्च होंगे। पहला तो गोरखपुर में और दूसरा झांसी या मिर्जापुर में। कोई निश्चित नहीं है कि ३१ लाख रुपये वाला आस्थान झांसी में स्थापित होगा या मिर्जापुर में। पहले कहा गया था कि औद्योगिक आस्थानों की स्थापना करते समय रेल, सड़क यातायात, पानी, बिजली आदि सुविधाओं का भी ध्यान रखा जायगा। वहां पर पानी समुद्र की तरह से भरा पड़ा है, वहां जमीन की कोई कीमत नहीं है वह कौड़ियों के मोल मिलती है। हजारों एकड़ जमीन जहां भी चाहें मिल सकती है। वह स्थान देश के मध्य में पड़ता है। झांसी में सेंट्रल रेलवे का जंक्शन है। वहां नेशनल हाईवेज हैं। मजदूर भी वहां हजारों की तादाद में मिलते हैं। यह सारी सुविधायें वहां उपलब्ध हैं, लेकिन फिर भी तृतीय पंचवर्षीय योजना के आखीर में यानी १९६५-६६ में या चौथी पंचवर्षीय योजना में बुन्देलखंड को औद्योगिक आस्थान देने की बात सोची जायगी। पहले भी बुन्देलखंड को दबाया जाता रहा है और आज भी, आजादी के बाद भी उसके प्रति उपेक्षा की नीति बरती जा रही है। आपने बुन्देलखंड के लोगों को सिंचाई की थोड़ी सी सुविधा देदी जिससे आज गल्ले में बुन्देलखंड सब से आगे है। इस तरह से औद्योगीकरण में भी बुन्देलखंड की जो आवश्यकता है उसकी ओर आपने ध्यान नहीं दिया तो वह डकैत पैदा करने का कारखाना बन जायगा और आज सरकार को डकैतों की समस्या हल करने में लाखों रुपया सालाना खर्च करना पड़ता है। इसका कारण है कि वहां गरीबी और बेकारी बहुत है। वहां किसी भी सल्तनत ने उद्योग की तरफ ध्यान नहीं दिया। इस सरकार को चाहिये कि वह तो बुन्देलखंड की ओर ध्यान दे। वहां सीमेंट का कारखाना लग सकता है और पत्थर का काम बहुत अच्छा हो सकता है। वहां चन्दन पैदा होता है जिससे बहुत सी चीजें तैयार हो सकती हैं। वहां टोकरी बनाने का लघु उद्योग भी पनप सकता है। इस समय वहां के लोग केवल खेती और मजदूरी पर ही अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। आवश्यकता है कि वहां देहाती क्षेत्रों में छोटे-छोटे उद्योगों को पनपाया जाय। जबलपुर में पीतल का काम और पहरी में इमारती पत्थर होता है, लेकिन रेलवे न होने से वह सब बेकार सा है। बुन्देलखंड भी इस प्रदेश का अंग है। पिछले दो प्लानों में वहां किसी भी क्षेत्र में, केन्द्रीय या प्रान्तीय, निजी या पब्लिक, कोई प्रगति उद्योग धंधे में नहीं हुई।

बुन्देलखंड से कानपुर १३८ मील है। कानपुर में सारे उद्योग स्थापित किये जा सकते हैं। हैवी इलेक्ट्रीकल भोपाल में लग सकता है। वहां का टेम्परेचर उनके लिए ठीक है लेकिन हमारे यहां का नहीं है। ये हमारी मजबूरियां हैं।

**श्री उपाध्यक्ष**—आपका समय समाप्त हो गया ।

***श्री रामायण**—मान्यवर, मैंने कल सदन के सामने कटौती का प्रस्ताव रखते समय सरकार की उद्योग की दिशा में अस्पष्ट नीति और असन्तुलित औद्योगिक विकास और उत्पादन के प्रश्नों की ओर मुख्यतया सदन का ध्यान आकर्षित किया था। मुझे इस बात की खुशी हुई कि मैंने जिन मूल प्रश्नों की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहा था, इधर के बैठने वाले सदस्यों ने ही नहीं, उधर के लोगों ने भी किसी न किसी ढंग से मेरे उन प्रश्नों का जोरदार शब्दों में समर्थन किया । मैं ऐसा समझता हूं कि मुख्य मंत्री जी और उद्योग मंत्री जी के भाषणों को छोड़ दिया जाय और दोनों तरफ के बैठने वाले सदस्यों के भाषणों को ठीक से देखा जाय तो यह वह दर्पण होगा जिसमें उद्योग मंत्री को अपनी उद्योग नीति को देखना चाहिये। अगर वह ऐसा नहीं करेंगे तो प्रदेश का कल्याण होने वाला नहीं है । यह बात जरूर है कि उधर के बैठने वाले लोगों की भाषा में एक अजीब सी मजबूरी या बेचैनी हमें दिखाई पड़ी । मैं तो उनसे साफ कहना चाहता हूं कि अगर वे सचमुच जनतंत्र का कल्याण चाहते हैं तो इस अनुदान के अवसर पर उन्होंने जिस साहस और सचाई का परिचय दिया है अगर वे ऐसा ही करते रहे तो इस समूचे प्रदेश का बहुत बड़ा कल्याण होगा ।

इस अवसर पर मुख्य मंत्री जी ने जो अपने विचार व्यक्त किये हैं उनके संबंध में मैं ब्यौरे में नहीं जाना चाहता हूं । उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि हमारे यहां न तो बिजली थी और न जिस प्रकार के हम उद्योग चलाना चाहते थे उसके हिसाब से हमारे पास योग्य अधिकारी थे । उन्होंने कबूल किया कि यही कारण है कि हमारे प्रदेश के उद्योगपति अन्य प्रदेशों में चले गये । मैं उनका ध्यान केन्द्रीय सरकार की ओर से जो हमारी राज्य सरकार के बारे में शिकायतें थी उसकी ओर उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं । बार-बार केन्द्रीय सरकार की ओर से कहा गया कि यदि आप उद्योगों के संबंध में अपने प्रदेश का भला चाहते हैं तो सबसे पहले आपका काम है कि आप कोई विस्तृत उद्योग नीति बनाइये । स्पष्ट रूप रेखा होनी चाहिये कि आखिर चौथी पंचवर्षीय योजना में हम क्या करना चाहते हैं, और पांचवीं में क्या करना चाहते हैं, अन्यथा जिस संकट में हम आज फंसे हुये हैं वह सदा विद्यमान रहेगा ।

कहा गया कि बिजली का हमने काफी उत्पादन कर लिया है । लेकिन मैं माननीय उद्योग मंत्री को बतलाना चाहता हूं कि और जगहों की बात तो जाने दीजिये, रिहन्द में जो बिजली का कारखाना स्थापित किया है क्या उसका ग्रिड सिस्टम आज तक तैयार हो पाया है ? बिड़ला का कारखाना खड़ा होने में ६ महीने हैं और इस बीच में जो हमने बिजली अर्जित की उसका उपयोग न होने का घाटा कौन सहेगा ? प्रारम्भ में रेलवे को १४,००० किलोवाट बिजली देने की बात की गई थी और अब वह हमने समाचार-पत्रों में पढ़ा, ४०,००० किलोवाट हो गई । मुख्य मंत्री जी कहें कि प्रारम्भिक शर्त केन्द्र की ओर से ४० हजार की थी । इस ब्यौरे में मैं नहीं जाना चाहता हूं । मैं तो साफ कहना चाहता हूं कि स्पष्ट और विस्तृत उद्योग नीति होनी चाहिये । आगे आप कौन-सी योजनायें लेना चाहेंगे, प्राइवेट सेक्टर में और पब्लिक सेक्टर में, इसके बारे में स्पष्ट नीति न होने के कारण आज हमारी यह दुर्गति हो रही है ।

मैं दूसरा निवेदन यह करना चाहता हूं कि आज तक बेसिक इंडस्ट्रीज के बारे में हम कंगाल के कंगाल बने हुये हैं । आज सदन के सामने सरकार को स्पष्टतः यह आश्वासन देना चाहिये कि लोहा, अलमूनियम आदि, बिजली को छोड़ दीजिये, लेकिन इन बेसिक इंडस्ट्रीज के लिये कौन-सा प्रयास आप कर रहे हैं । केवल खेती पर ही चलते रहने से हमारी स्थिति कंगाल की ही बनी रहेगी ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रामायण]

एक और बहुत बड़ी समस्या है। हमने समाचार-पत्रों में पढ़ा कि मुख्य मंत्रीजी ने पर्वतीय प्रदेश में खनिज-पदार्थों के अन्वेषण के लिये कुछ प्राइवेट लोगों को आकर्षित करना चाहा। आकर्षित करने में वह पंडित हैं, लेकिन उद्योगपतियों ने कहा कि जब तक हमको कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं मिलता है तब तक हम सर्वे का काम नहीं करेंगे क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च होने वाला है। तो आखिर यह मजबूरी क्यों है? मेरा आग्रह सरकार से है कि वह समूचे प्रदेश का ज्योलाजीकल सर्वे करावे। मैं ज्योलाजी का विद्वान तो नहीं, लेकिन जागरफी का थोड़ा बहुत जानकार अवश्य हूं। मैं सरकार से कहता हूं कि वह मिनरल्स के मामले में प्रदेश का सर्वे करावे। हमारे प्रदेश का ज्योलाजीकल सर्वे होना नितान्त आवश्यक है। बार-बार हमारी ओर से कहा गया कि देहरादून में वह पत्थर उपलब्ध है जिससे आप सीमेंट का बड़ा कारखाना चला सकते हैं, लेकिन सरकार वह करने की नहीं सोच रही है। प्राइवेट सेक्टर में और पब्लिक सेक्टर में जब कभी हम उद्योग नीति की बात करते हैं तो मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि तुम तो उद्योगपतियों को बिचकाना चाहते हो, डराना चाहते हो या भड़काना चाहते हो। हमारा कतई यह इरादा नहीं है। हम समाजवादी इस बात को मानते हैं कि एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था में यह मिक्स्ड एकोनामी की बात करना और कुछ नहीं है, यह केवल एक कम्पल्शन आफ बैकवर्ड एकोनामी है, एक मजबूरी दर्जे की पिछड़ी हुई एकोनामी है, लेकिन उस मजबूरी की कोई सीमा है? कोई ऐसा उद्योग जो निरंतर ह्रास की ओर जा रहा हो, जो अपना स्टैंड मेनटेन न कर पाता हो उस को आप लेंगे तो इस में कौन सी मजबूरी है?

जमींदारी को समाप्त कर दिया गया, कोई दिक्कत मुआवजा देने में नहीं हुई, मैं जमींदार नहीं रहा हूं किसी को कोई गलतफहमी न हो, कृषि के उत्थान के लिये और कृषकों की दशा सुधारने के लिये आवश्यक समझा गया कि भूमि व्यवस्था में परिवर्तन लाना आवश्यक है और हमने दृढ़ता के साथ उस पुराने तरीके को खत्म किया और मुआवजा दिया गया। मैं आप से सारे प्रदेश की जनता की तरफ से और अपने साथियों की तरफ से कहता हूं कि अगर मुआवजे के रुपये की कमी है तो हम डुग्गी पीटेंगे, अगर आप प्रदेश की चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण की बात सोचें और साहस करें। सब जगह की बात तो जाने दीजिये अकेले देवरिया जिले से ४ करोड़ रुपया प्रतिवर्ष लेते हैं और १०० करोड़ के लिये मजबूरी का नकशा हमें दिखाया जा रहा है कि मुआवजा कहां से आयेगा। कहा जाता है कि हमारे पास आदमियों की कमी है, बिड़ला के पास आदमियों की कमी नहीं है, बिड़ला क्या अपने यहां के लिये आदमी पाकिस्तान या अमरीका से मंगाते हैं, वह सब अपने देश के आदमी हैं जो आज शुगरफैक्टरीज में काम करते हैं। लेकिन यह जरूर है कि वह लोग यह जरूर समझते हैं कि आप के हाथ में पड़ने पर उनको भी दुर्गति हो जायगी और उसका नतीजा यह होगा कि उनकी दक्षता और हुनर का आप लाभ न उठा सकेंगे और यही कारण है कि वह आप से बिदकते हैं। इसलिये आज जरूरत है कि आप कर्मचारियों से अपने व्यवहार में आमूल परिवर्तन कीजिये ताकि वह आप से न बिदकें।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी की बातों को क्या दोहराऊं, वह कहते हैं कि हम यहां एक ऐसा वातावरण निर्मित करना चाहते हैं जिसमें उद्योग धंधे पनपें और उन्होंने इधर के बैठने वालों के लिये कहा कि केवल समाजवाद का नारा ही वह बुलन्द करते हैं। मैं उन को ऊंचे जी के शब्दों में तो उत्तर नहीं दे सकता, लेकिन मैं उन से पूछना चाहता हूं कि उनके विभागों द्वारा प्रकाशित साहित्य जिसके आधार पर हम सिद्ध कर सकते हैं कि जब से उन के हाथ में मुख्य मंत्री की बागडोर आई है तब से प्रदेश में और भी अधिक परेशानी, भुखमरी, बेरोजगारी बढ़ी है, क्या समाजवाद की ओर जाने का यही लक्षण है? समाजवाद क्या है? आप का यह समाजवाद है या नहीं इस का फैसला तो आगे आने वाले जमाने के लोग करेंगे। मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर आग्रह करूंगा कि वह हमारी मजबूरी से इतना लाभ न उठावें। आज जनता उनकी आशा भरी दृष्टि से देख रही है। पिछले जमाने में डाक्टर सम्पूर्णानन्द के बारे में कहा जा सकता था कि वह दार्शनिकता और गृह ज्योतिष विज्ञान में विशेष

रुचि रखते हैं, लेकिन सौभाग्य से हमारे नये मुख्य मंत्री जी को तो उद्योग से विशेष दिलचस्पी है। हम आशा करते थे कि उन के आने वाले जमाने में हमारा प्रदेश उद्योग के क्षेत्र में किसी से पीछे न रहेगा, लेकिन हमें इसमें निराशा ही हुई। जो भूल पहले उद्योग मंत्री जी ने की थी वही फिर दोहराई गई मैं आग्रह करता हुं उनसे कि वह सच्चाई का रास्ता पकड़ें।

जो लोन दिया जाता है, मेरी बात उन्होंने सुनी या नहीं, मैंने कहा था कि जिस परपज के लिये वह लोन दिये जाते हैं वे पूरे नहीं होते....

**श्री उपाध्यक्ष**—आपका समय समाप्त।

**श्री रामायण**—मैं अन्त में केवल इतना आग्रह जरूर करूंगा कि अगर प्रोसीडिंग्ज को देखा जाय तो सारे सदन ने मेरे विचारों का समर्थन किया है और मैं सदन के सदस्यों से भी आग्रह करूंगा कि जिस साहस के साथ उन्होंने अपने विचार इस अनुदान पर व्यक्त किये हैं उसी साहस के साथ वह मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करें।

**लघु उद्योग मंत्री (श्री फूलसिंह)**—उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सभी सदस्यों का जो दोनों ओर के बैठने वाले हैं बहुत आभारी हूं क्योंकि उन्होंने उद्योग के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालने की कृपा की और मुझे आशा है कि अगर और समय होता तो और लोग भी अपने अपने विचार रखते। मैं कोशिश करूंगा कि उन सब साथियों से जिनको इस काम से दिलचस्पी है सम्पर्क स्थापित करूं और उनके मश्विरे से फायदा उठाऊं।

मान्यवर, जिन सदस्यों ने इस मांग का समर्थन किया है वे तो धन्यवाद के पात्र हैं ही, पर जिन्होंने आलोचना की वह ज्यादा धन्यवाद के पात्र हैं क्योंकि बिना किसी स्वार्थ के बिना किसी दुश्मनी निकालने के कोई बहुत आनन्द का विषय नहीं होता इस पर भी जब सदस्य कुछ बातें कहते हैं उन पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिये। मैंने जब यह मांग पेश की तो कहीं मैंने यह दावा नहीं किया कि जो कुछ काम हम करते हैं उसमें कोई त्रुटि नहीं है। मनुष्य में खुद त्रुटियां होती हैं, उसके सब काम अपूर्ण होते हैं इसके बरअक्स मैं तो सदस्यों से सहायता चाहता हूं जिससे अपनी त्रुटियों को आहिस्ता-आहिस्ता दूर कर सकें। हजरत ईसा के समय एक कायदा था जिसके अनुसार चोर को जमीन में गाड़ कर पत्थर से मारा करते थे। तो एक आदमी को चोरी की सजा हो गई और उसे जमीन में गाड़ा जा रहा था और मेरे ऐसे बहुत से लोग पत्थर लिये खड़े थे। हजरत ईसा वहां से गुजरे, उन्होंने कहा ठीक है, पहले पत्थर उस आदमी को मारना चाहिये जिसमें खुद कोई ऐब न हो। मैं तो खामियों से भरा हुआ इन-सान हूं। मैं नहीं कह सकता कौन-कौन सदस्य ऐसे हैं जिनका कोई काम अधूरा न हो इस-लिये अगर किसी सदस्य ने कोई आलोचना की तो उसके माने यह नहीं है कि वह मांग का समर्थन नहीं करता आलोचना प्यार से भी और समर्थन की गरज से भी होती है और माननीय रामायण जी मेरी सहायता ही करेंगे।

मैं कह रहा था कि इस काम में त्रुटियां हैं। यह प्रश्न किसी ने उपस्थित नहीं किया कि इंडस्ट्री अपनी तरक्की की आखिरी सीमा को पहुंच गई है। अगर यह कहा जाता है तो यह कहने की गुंजायश थी कि उसमें गलतियां हैं जिनके सुधार की जरूरत है। मैंने कहीं निवेदन नहीं किया कि उद्योग के काम में कोई त्रुटि नहीं हुई केवल निवेदन इतना है कि इन पिछले ३, ४ सालों में इंडस्ट्री की उत्तरोत्तर तरक्की हुई है, जिसके आंकड़े मुख्य मंत्री जी ने पेश कर दिये, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। मगर दूसरी बात को मैं कबूल करता कि समस्या इतनी जटिल है कि जितनी तरक्की हुई है वह काफी नहीं है उससे बहुत ज्यादा होने की जरूरत है। उसमें आप सब की और जनता की सहायता की जरूरत है। इंडस्ट्री कोई छूमन्तर का

[श्री फूलसिंह]

पिटारा नहीं है लेक्चर से अगर इंडस्ट्री बढ़ती तो अब तक बहुत बढ़ जाती यह तो आहिस्ता-आहिस्ता परिश्रम से, कंस्ट्रक्टिव सजेशन दे करके उन पर अमल करके आगे बढ़ेगी । मैं अगर यह कहूं कि जितने सुझाव माननीय सदस्यों ने यहां दिये हैं उन सबको नोट कर लिया है और उन सब पर गम्भीरता से विचार होगा तो शायद ठीक रहेगा, लेकिन इसके मानी यह नहीं हैं कि मैं किसी की चर्चा भी नहीं करूंगा न इसके मानी यह है कि जिसकी चर्चा करूंगा उसका सुझाव रद्द कर दिया जायगा। इतना आश्वासन मैं देता हूं कि जिन-जिन जिलों में जो-जो कठिनाइयां हैं अगर माननीय सदस्य उन जिलों के मुझ से बातचीत करेंगे तो मैं भरसक यत्न करूंगा कि उन कठिनाइयों को दूर कर दूं ।

कुछ बातें ऐसी हैं जिनकी चर्चा करना आवश्यक है और जैसा मैंने निवेदन किया इस महकमे में जो काम हुआ है उसके धन्यवाद के पात्र ये अधिकारी हैं और जो त्रुटियां हैं उनका एक मालिक यह बन्दा है । जब मैं यह कहता हूं कि अधिकारी धन्यवाद के पात्र हैं तो इस वजह से कहता हूं कि इंडस्ट्री को प्रगति करना एक बड़ा कठिन कार्य है और ये सब अधिकारी उस कार्य के लिये शुरू से ट्रेंड नहीं थे । इसकी तरक्की ट्रायल और एरर से ही हो सकती है । यह शिकायत करना कि फलां काम में घाटा होगा कोई व्यावहारिक बात नहीं है। शियासत में जो कहा जाता है कि काम करने वाले की १०० गलतियां और न करने वाले की १ गलती, न करेगा तो गलती नहीं होगी करेगा तो गलती होगी। तो इस प्रयत्न में कुछ खामियां रहना स्वाभाविक है। जब मैं यह कहता हूं कि ये धन्यवाद के पात्र हैं इसे मैं इनको ब्लैंक चेक नहीं देता हूं। यह स्वाभाविक ही है जो व्यक्ति इस काम में लगे हुए हैं जो रोज के सम्पर्क में सरकार के आये, सरकार उनकी तरफ सद्भावना की दृष्टि से देखती रहें, इसलिये इस बात की जरूरत है कि जो खामियां उस काम में हों उन खामियों को मेंगनीफाई किया जाय, ताकि उनका पूरा इलाज हो सके । मैं यह बात मानता हूं कि जो एजेंसी है इसका पवित्र होना बहुत जरूरी है मैं यह कोशिश करूंगा कि हम आहिस्ता-आहिस्ता इस काबिल बनें कि आपके सामने अपने महकमे की प्रशंसा करने का काम हम न करें और आशा करता हूं कि ऐसा मौका आयेगा ।

दूसरी बात जो चर्चा के काबिल है वह है लोन्स की एजेंसी के बारे में। उस संबंध में कुछ सुझाव आये एक तो डाक्टर जयगोपाल ने फरमाया कि कर्जा लेने में बड़ी दिक्कत होती है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने थोड़ी चर्चा बड़े उद्योगों और छोटे उद्योगों के विषय में की । सरकार का ध्यान इस तरफ जा चुका है उन्होंने यह कायदा कर दिया है कि ५०० रुपये तक कर्जा पर्सनल बांड पर मिल जाय, ५०० से २,००० तक कर्जा दो जमानतों से मिल जाय और दो हजार तक जो कर्जा है इसको देने के लिये जिला इंडस्ट्री आफिसर जामिन को खुद देखते और २ हजार से ५ हजार तक का कर्जा महकमा माल के अफसरान की मारफत तसदीक होगा, यह कायदा कर दिया है । इससे कुछ आराम जरूर मिल जायगा । फिर और देखेंगे कि इसमें और क्या तरक्की हो सकती है, लेकिन साथ ही साथ दूसरी बात भी कही गयी कि यह जो कर्जे दिये जाते हैं इनका सही इस्तेमाल नहीं होता ।

श्री रामायण ने चर्चा की और इधर से भी बनारस से जो श्री ऋषिनारायण शास्त्री जी हैं उन्होंने चर्चा की । दो तरह के सुझाव आये कि क्या होना चाहिये कुछ साथियों ने तो यह सुझाव दिया कि कर्जा कैश में मत दो काइन्ड में दो इस सुझाव पर गौर करेंगे । मुझे इस महकमे का तो बहुत तजुरबा नहीं, लेकिन मुझे कुछ याद है--माननीय गेंदासिंहजी यहां मौजूद नहीं हैं। सन् ३९--४० में जब असेम्बली बनी थी उस वक्त इस बात की बड़ी चर्चा हुई थी तो खेती के महकमे ने पर्शियन व्हील्स भेज दिये थे बजाय कर्जा देने के वे सारे के सारे शायद नीलाम ही करने पड़े थे और दो तीन मिसालें मुझे याद हैं यह जो गन्ने का महकमा है केन कोआपरेटिव्ज, यह कुट्टी काटने की मशीनें बेचा करता था । तो जिस भाव से बाजार में बिकती थीं उससे वह महंगी और खराब बेचता था और भी मुझे याद है हमारे प्रदेश की

बात तो नहीं है। स्वायल कंजरवेशन की स्कीम है यू० पी० की है, बम्बई की है और शायद मैसूर की भी है मैंने इन तीनों को देखा। यू० पी० की स्वायल कंजरवेशन स्कीम में तो हम खुद काम नहीं करते, गांव वालों से करवाते हैं, महज टेक्निकल गाइडेन्स देते हैं, लेकिन वहां सब काम सरकार कर लेती है और लोगों से पैसा वसूल कर लेते हैं। तो जितना खर्चा यहां होता है उससे चार, पांच गुना वहां होता है। डर यह है कि अगर इन फाइन्ड कर्जा कर दें तो क्वालिटी घट जायगी और दाम बढ़ जायेंगे।

मैंने कल इंडस्ट्रियल इस्टेट्स के सिलसिले में चर्चा की थी कि हम वहां जमीन को डेवल करते हैं, मकान बना कर देते हैं। अब हमें यह अनुभव हुआ कि ऐसा करने के बजाय अगर हम डेवलप कर के जमीन को छोड़ दें और उसी शख्स से कहें जो इंडस्ट्री चलाने वाला है कि तुम अपना मकान बना लो तो वह सस्ते में बना लेगा तो यह कठिनाई इसमें है। एक मुझे और मिसाल याद आयी यह जो कर्जा देती हैं कोआपरेटिव्ज उत्तर प्रदेश में इसके बारे में। उत्तर प्रदेश में जो फर्टिलाइजर बिकता है वह और स्टेट्स के मुकाबले में कम बिकता है तो यहां यह तरकीब सोची गयी कि जो अच्छा बीज लेना चाहे वह फर्टिलाइजर खाद भी ले। यह पंजाब में भी था। जो बलवन्तराय मेहता कमेटी थी जिसने आपकी सब योजना बनायी, मैं उसका मेम्बर था। उस सिलसिले में जब मैं बटाला (पंजाब) गया तो उस इलाके के डिप्टी कमिश्नर आये हमारे पास। उन्होंने कहा कि पंजाबी तो यह पूछता है कि "केड़ा नवां कर्जा आया है" और कहने लगे कि हम यह कहते हैं कि फर्टिलाइजर आया है। तो वे फर्टिलाइजर ले जा कर बाजार में बेच देते हैं। तो हमारा भाव महंगा है और बाजार का भाव सस्ता है। तो आप इन काइंड देंगे तो यह गारंटी नहीं कर सकते कि इस्तेमाल होगा ही। आपके यहां जब किसान को पैसे की जरूरत होती है तो जो सामान कोआपरेटिव्ज देती है वह वे बेचारे बाजार में बेंच देते हैं, क्या करें।

मैं दूसरी बात कहता हूं। इसमें दूसरा खतरा है। अगर प्लानिंग एजेन्सी और हो और एक्जीक्यूटिव एजेन्सी मुख्तलिफ होगी, योजना बनाने वाले और हों और अमल करने वाले दूसरे हों तो उसमें बहुत समय लगने का खतरा है। जहां इंडस्ट्रियल स्टेट्स नई बनी और वहां मकान नहीं बन पाये, वह इसलिये कि प्लान महकमा तैयार करता है और पी० डब्ल्यू० डी० बनवाता है तो इसमें बहुत देर हो जाती है। हमारा खादी बोर्ड है उत्तर प्रदेश का वह प्लानिंग करता है। हमारे विभाग से खादी बोर्ड को ५० लाख रुपया देने के लिये मिलता है और १५ लाख से ज्यादा वह नहीं दे पाता। कर्जे की स्कीम बैंक की भी है। लोग उसके बारे में शिकायत करते हैं कि बैंक वाले पया ही नहीं देते। अगर सारा रुपया बैंक के पास रख देंगे तो वह रुपया वैसे ही वापस आ जायगा। यह दिक्कत इसमें है, लेकिन तब भी इन दिक्कतों के कहने से समस्या हल नहीं होती है और वह सामने है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों से चाहता हूं कि वे कोई रास्ता निकालें जिससे हम ऐसी एजेंसी बना सकें कि जो कुछ रुपया हम दें उसका उपयोग हो जाय। यह एक निवेदन कर दिया। अब दो चार बातें और कहना चाहता हूं। श्री रामायण राय जी ने दो बातें कहीं। एक तो यह कि उत्पादन घट रहा है। यह बात सही नहीं है और गुप्ता जी ने इसकी चर्चा कर दी है। जिस किताब का हवाला रामायण राय जी दे रहे थे तो उसके सारे आंकड़े वे नहीं पढ़ रहे थे, बल्कि वे केवल १९५७–५८ की ही चर्चा कर रहे थे। शकर की पैदावार एक साल गिरी। बाकी सालों में बढ़ी है तो ऐसा तो होता रहता है कि किसी साल कम हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि हर साल बढ़ती ही रहे।

दूसरी बात आपने इंडस्ट्रियल एजूकेशन की चर्चा की। बात माकूल है। मैंने कल बताया था कि हमने दूसरी प्लान में इस काम के लिये ७६ लाख पये का अनुदान रखा था और तीसरी

[श्री फूलसिंह]

प्लान में ७ करोड़ का अनुदान रखा है। इससे अन्दाजा लगा सकते हैं कि इधर भी ध्यान दिया जा रहा है। ५ डिप्लोमा इंस्टीट्यूट्स गोंडा, आजमगढ़, गढ़वाल, बस्ती और मुरादाबाद में खोलने जा रहे हैं। इसके सात प्राइवेट इंस्टीट्यूशन्स थे जो एडेड थे जैसे इलाहाबाद, बलिया, मुजफ्फरनगर, रुड़की, बड़ौत, मेरठ और गोरखपुर, इनको इम्प्रूव करके हम सिविल, मेकैनीकल और इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा कोर्स जारी करने वाले हैं। इसके अलावा फारेन कंट्रीज में लोग शिक्षा पाने जायंगे उसका भी प्रबन्ध है।

**श्री रामायण**---आपकी दूसरी योजना के ७० पृष्ठ पर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरों की मांग ३३०० है और उपलब्धि २६०० है। डिप्लोमा वालों की ९७०० की जरूरत है और मिलेंगे ७००० यह आपकी पिक्चर है।

**श्री फूलसिंह**---यह सही है मगर एक बात सोचिये जरा जो बढ़ायेंगे इस तरह से हम। एक बात तो मैं यह निवेदन करूं कि हर बात का जवाब देना नहीं चाहिए। हर बात का जवाब होता भी नहीं।

**श्री उपाध्यक्ष**---और समय भी ज्यादा लगता है।

**श्री फूलसिंह**---फिर मुझे खतरा है कि कोई गलत बात मैं कहूं तो मैं भी पाप का भागी हूंगा। दिक्कत यह है कि हमने ट्रेनिंग की बी० एल० डब्ल्यूज० की। कहा गया कि सीटें बढ़ाओ। जब वह खप नहीं सके तो अनइम्प्लायमेंट आ गया। इसके अतिरिक्त जो स्कूल कालेज बन जायंगे वह तो चलते रहेंगे। फिर उनको भी यहां जगह देनी है। ऐसा तो है नहीं कि थर्ड फाइव इयर प्लान तक रखें और बाद में बन्द कर दें। जियोमेट्रिकल प्रोग्रेस है, उसको भी देखना होगा। फिर हमारे प्रान्त के काफी लड़के ऐसे हैं जो गैर प्रान्तों में पढ़ने जाते हैं और नौकरी यहां करते हैं। उसको देखना होगा।

मथुरा की इंडस्ट्री के सिलसिले में कहा गया। गुप्ता जी ने चर्चा कर भी दी थी। मैं इतना कह दूं कि १९५७ में वहां नम्बर आफ युनिट्स १७ थी और अब २९ हो गयी है और प्रोडक्शन जो ५१ लाख था वह १३५ लाख हो गया। तो प्रोडक्शन बढ़ रहा है।

दो-तीन चीजें और अर्ज कर दूं। एक तो यह कहा गया कि सर्वे करवाया जाय और उनसे कहें कि लोन्स वगैरह की सहायता करें। यह हिदायतें जारी हो गयी हैं।

श्री ऊदल ने एक बात कही मिक्स्ड एकोनामी की, लेकिन जरा ज्यादा जोर से कह दी।

**श्री लखीसिंह** (जिला मथुरा)---मेरी समझ में नहीं आया जो मंत्री जी ने कहा। क्या कहा कि मथुरा में बड़ा उद्योग बढ़ रहा है?

**श्री फूलसिंह**---दिक्कत यह है कि आपकी बात मैं नहीं समझा। बात बहुत ठंढे दिल से होनी चाहिये। आवेश में आकर बात कर दें तो मशीन में हाथ पैर आ जाय तो बड़ी मुश्किल होगी। तो इसलिए मेरा निवेदन है जो बातें भी आप कहें वह ठंढे दिल से कहें। तो उसके सुनने में भी लुत्फ आता है और ध्यान देने में भी आसानी रहती है। मैं इतना बड़ा पंडित तो हूं नहीं कि जितने माननीय ऊदल हैं। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं कि स्टेट जो इंडस्ट्री चलाती है उसका प्राफिट प्राइवेट इंडस्ट्री से कम हो जाय तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि स्टेट को आयडियल एम्प्लायर भी बनना होता है। अगर प्राइवेट इंडस्ट्री से कंपीट करेंगे तो वह सुविधा अपने इम्प्लाइज को स्टेट नहीं दे सकेगी। उसी तरह से पैसा देगी जैसे प्राइवेट इंडस्ट्री वाले देते हैं। बहुत सी त्रुटियां हैं जिनकी चर्चा हो सकती है, लेकिन दैट इज दि केस आफ थींग्स वाइज आफ्टर दि इवेंट।

मेरा समय समाप्त हो गया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे ज्यादा समय नहीं मांगना चाहता हूं। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस मांग को स्वीकार करें और जो-जो त्रुटियां इसमें होंगी वह दूर करने की कोशिश की जायगी।

**श्री उपाध्यक्ष**––सबसे पहले मैं माननीय रामायण राय जी के कटौती के प्रस्ताव पर मत ले रहा हूं और जो इस कटौती का नतीजा होगा वही बाकी सब कटौतियों का होगा।

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान २५ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य––विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

**श्री उपाध्यक्ष**––प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, सन् १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २५––उद्योग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ७,०३,०७,४०० पयों से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ––

पक्ष में––९०,

विपक्ष में––४६।)

**श्री उपाध्यक्ष**––अब मैं अनुदान संख्या ४८ के अन्तर्गत श्री रामायण राय जी के कटौती के प्रस्ताव को ले रहा हूं। और जो इसका नतीजा होगा वही बाकी सब कटौती के प्रस्तावों का नतीजा होगा।

**श्री टम्भेश्वरीप्रसाद** (जिला सीतापुर)––श्रीमन्, यह प्रक्रिया नियमावली के किस नियम के अनुसार है कि जो रामायण राय जी के कटौती के प्रस्ताव का नतीजा होगा वही सब कटौती के प्रस्तावों का नतीजा होगा?

**श्री उपाध्यक्ष**––यह तो उसी तरह से अन्डरस्टुड है जैसे कि एक कटौती के प्रस्ताव के मूव होने पर सब को मूव हुआ मान लिया गया है उसी तरह से यदि यह प्रस्ताव गिर जायगा तो अन्य कटौती के प्रस्ताव भी गिरे मान लिये जायंगे।

**श्री उपाध्यक्ष**––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४८ के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक पया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य––विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

**श्री उपाध्यक्ष**––प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, सन् १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४८––औद्योगिक विकास पर पूंजीगत लागत के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २,८१,४५,३०० रुपयों से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## अनुदान संख्या ३९—सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान तथा अनुदान संख्या ४६—प्रकीर्ण व्यय

**स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)**—श्रीमन्, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, सन् १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३९—सार्वजनिक निर्माण-कार्यों के लिये सहायक अनुदान के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये, आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ७६,७७,४०० रुपयों से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, सन् १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४६—प्रकीर्ण व्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ३,७९,२५,९०० रुपयों से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्रीमन्, मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि सदन की राय ऐसी है कि इस विभाग पर कम से कम विवाद हो और इसीलिये बहुत थोड़ा सा समय इन अनुदानों के लिये रखा गया है और उस समय में भी कुछ समय इससे पहले जो अनुदान था उस पर विभाजन आदि की मांग कर के कटौती कर लिया गया । मुझे ऐसी आशा है कि जो साहित्य हमारे विभाग द्वारा सदन को उपलब्ध कराया गया है उसके आधार पर बहुत कुछ जानकारी माननीय सदस्यों को हो गयी होगी । यह विषय इतना बड़ा है कि सैकड़ों नगरपालिकायें हैं, टाउन एरियाज हैं, नोटीफाइड एरियाज हैं, उन सब का अगर विवरण मैं यहां देने बैठूं तो सारा समय उसमें ही लग जायगा । अच्छा यह होगा कि जिन बातों की तरफ खास तौर से माननीय सदस्यों को शिकायत होगी और वह चाहेंगे कि उस तरफ कुछ सुधार होना चाहिये, वहां कुछ कमी है, उन्हीं पर अगर मैं अपनी तवज्जेह दूं और वहां की स्थिति स्पष्ट कर दूं तो वह शायद ज्यादा लाभकारी होगा । इसके अतिरिक्त मैं केवल दो तीन बातें निवेदन करना चाहूंगा ।

एक तो यह कि इन संस्थाओं को अपना प्रबन्ध करने का अधिकार स्वयं दिया गया है । साधारणतः हमारे देश में जिसे प्रजातंत्र प्रणाली के अनुकूल वातावरण कहना चाहिये, वह अभी पैदा नहीं हुआ है । यह हमारे दुर्भाग्य की बात है, लेकिन उसका दोषारोपण किसी संस्था या व्यक्ति पर करना उचित न होगा, क्योंकि जहां तक इस किस्म की संस्थाओं का ताल्लुक है, वे आम जनता के चरित्र, उसका स्वभाव, उसके विचार, आदि के रिएक्शन्स पर मुनहसिर करती हैं । दुर्भाग्य से आज हमारे यहां सार्वजनिक दृष्टिकोण की तो उपेक्षा हो जाती है और जो व्यक्तिगत ग्रुप के अलग-अलग हित हैं उन पर कुछ हमारा विशेष ध्यान चला जाता है । इस वजह से जो समान हित की बात है उसकी बहुत बार उपेक्षा हो जाती है । ऐसी स्थिति में यह भी संभव नहीं है कि स्थान-स्थान पर, जगह-जगह पर सरकार बीच में आये और उन संस्थाओं के काम करने में हमेशा एक तरह से अंगुली पकड़ कर उन्हें चलाने की कोशिश करे । अगर हम ऐसा करेंगे तो जो सारा मकसद है इन स्वायत्त शासन संस्थाओं को खड़ा करने का, वह विफल हो जायगा वांछनीय इसलिये यह है कि जो एक आम तरीका है कि भूल करो, ट्रायल करो और उससे लाभ उठाओ, वह अपनाया जाय, क्योंकि हर इंसान की यह प्राकृतिक इच्छा होती है वह गलती करके उससे कुछ लाभ उठाता है । सरकार आज यह समझती है कि देश के अन्दर ऐसा वातावरण पूरी तौर से अभी नहीं बन पाया है कि यह संस्थायें आदर्श तरीके से चल सकें, किन्तु जैसी भी चल सकती हैं उनको चलने दिया जाय ताकि अपनी गलतियों से यह संस्थायें लाभ उठा सकें और उनमें भविष्य में कुछ सुधार भी कर सकें और आगे जो चुनाव हों उनमें पिछले चुनाव से कुछ सीख ले सकें । कभी-कभी सरकार को भी उनमें हस्तक्षेप करना पड़ता है जबकि कुप्रबन्ध एक हद से ज्यादा बढ़ जाता है, किन्तु मैं यह बताना चाहता हूं कि सरकार की नीति यह है कि हम कम से कम उनमें हस्तक्षेप करें और उनके प्रबन्ध को अपने हाथ में लें । जहां इन

संस्थाओं की संख्या ५०० से कुछ कम है, वहां हमने केवल १०-१२ संस्थाओं से ज्यादा में हस्तक्षेप नहीं किया है और जल्दी से जल्दी जो वहां की शिकायतें हुईं उनको दूर कर वहां फिर से इलेक्शन करा दिये हैं ।

एक भूल कहिये या दृष्टिकोण में संघर्ष कहिये, इस हाउस में अकसर ऐसा मौका आता है जब कि गलती किसी नगरपालिका या नोटीफाइड एरिया की होती है, मगर उसे सरकार की गलती बताया जाता है, चाहे वह वेतन का मामला हो, चाहे प्रबन्ध का मामला हो, चाहे कोई भूख हड़ताल का मौका हो, झट कामरोको प्रस्ताव आ जाता है । यह जाहिर करता है कि हम कभी तो सरकार से बहुत ज्यादा यह आशा करते हैं कि वह हर छोटे-छोटे कामों में भी दखल दें और इन संस्थाओं में जरा सी भी गलती होने का अवसर न दे, और दूसरी तरफ हम यह भी आक्षेप करते हैं कि सरकार बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करती है । अगर हम किसी को सुपरसीड करके अपने हाथ में, ले लेते हैं तो या कोई संशोधन ले आते हैं तो, उसकी भी मुखालफत होती है और यह कहा जाता है कि सरकार कुछ भी अधिकार संस्थाओं को देना नहीं चाहती । तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन दोनों चरम सीमाओं में हमें संतुलन रखना चाहिये । मैं यह कहना चाहता हूं कि आज सरकार का दृष्टिकोण यह है कि इन संस्थाओं को ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्र होना चाहिये । आज चूंकि वे एक आदर्श तरीके से नहीं चल सकती हैं, उनमें कुछ त्रुटियां होंगी, कमियां रहेंगी , उसके लिये स्थानीय लोगों को अपने सर से प्रभाव डाल कर उनको दूर करना चाहिये और सरकार को हस्तक्षेप करने के लिये कम से कम मौका देना चाहिये । हमारी नीति यह है और मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारी इसी नीति को दृष्टि में रख कर आलोचना करनी चाहिये और सरकार से अपेक्षा करनी चाहिये ।

इन संस्थाओं की बाबत और अधिक नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे आशा है कि जो साहित्य दिया गया है वह माननीय सदस्यों ने देख लिया होगा और उसके आधार पर मुझे सदन का समय लेना उचित नहीं लगता । कुछ चीजें हैं जो हमारा विभाग सीधे करता है । जैसे बहुत सी म्युनिसिपैलिटीज में पानी का प्रबन्ध है, ज्यादातर हमारा विभाग ही पेय जल का प्रबन्ध करता है और उसका भी बहुत कुछ विवरण इसमें आ गया है । कुछ पहाड़ी इलाके और ऐसे क्षेत्र हैं जहां पानी का कोई प्रबन्ध नहीं है, वहां प्रबन्ध करने की कोशिश की गयी है और उसका भी थोड़ा विवरण इसमें दिया गया है ।

तीसरी हाउसिंग की स्कीम है इसमें म्युनिसिपैलिटीज को और दूसरी संस्थाओं को, कोआपरेटिव सोसाइटीज को हम अनुदान व कर्ज दे देते हैं । ४-५ किस्म की स्कीम्स हैं, स्लम क्लियरेंस की है, कुछ में बड़े-बड़े कारखाने चलते हैं उनके लेबरर्स के लिये हाउसिंग स्कीम्स चलायी गयी हैं एक लोअर इनकम ग्रुप और एक मिडिल इनकम ग्रुप स्कीम है और अन्त में गांवों में छोटे-छोटे मकानों के बनाने के लिये स्कीम है । इनका भी थोड़ा विवरण दिया गया है ।

यह सब कहते हुये मैं आशा करता हूं कि सदन इन मांगों को स्वीकार करेगा । माननीय सदस्यों को इस विषय में जो आपत्ति होगी या सुझाव उनके होंगे उनको मैं बहुत ध्यान से नोट करूंगा और अन्त में जो समय मुझे मिलेगा उसमें उन शंकाओं का निवारण करने का प्रयत्न करूंगा और यथा संभव प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा । आशा है कि ये मांगें बिला किसी अपोजीशन और विभाजन के स्वीकार की जायंगी ।

**श्री विश्वनाथप्रसाद** (जिला वाराणसी)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे खड़े होते ही बिजली कम हो गयी, कैसे मैं पढ़ूंगा ?

**श्री उपाध्यक्ष**---बिजली को भी आपका डर मालूम होता है ।

**श्री विश्वनाथप्रसाद**--मेरी वजह से बिजली डरती होती तो सामने वाले शायद आते भी नहीं ।

श्री अध्यक्ष---अब बिजली आ गयी है, आप पढ़ सकते हैं ।

*श्री विश्वनाथप्रसाद---मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३९---संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग को राशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य---विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

अनुदान संख्या ४६ में संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है

श्रीमन् उपाध्यक्ष महोदय, मैंने स्वायत्त मंत्री का भाषण भी सुना और किताब भी पढ़ी जिसमें गांधीवाद की चर्चा से इन महापालिकाओं के स्वायत्त शासन में स्वतंत्रता की बात कही गयी है उसके बिलकुल ही विपरीत आचरण इस कांग्रेसी शासन ने किया है । मिसाल के तौर पर आपको बताना चाहता हूं कि सन् १९४७ के पहले डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की जो स्वतन्त्रता थी, आपने अपना नया ढांचा रचकर उनकी स्वतंत्रता का हरण किया है । डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के अध्यक्ष जनता के चुने हुये रहते थे जिनको आपने हटाकर कलक्टर को अध्यक्ष बना दिया । आपकी मनमानी का यह पहला उदाहरण है । जब आपके मन में जो आता रहा उसको आप करते रहे । कुछ दिनों के बाद जब आपने देखा कि कांग्रेस के पाये खिसकने लगे हैं तो आपने संशोधन करके जनता द्वारा चुने हुये अध्यक्ष बना दिये । इससे यह मालूम होता है कि कभी आप यह नहीं तय कर सके कि कौन सा काम सही है और कौन सा काम गलत है । आप अपना वोट सीधा करने के लिये हमेशा कार्यवाही करते रहे हैं। यह तो डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के बारे में हुआ ।

अब मैं म्यूनिसिपैलिटियों के बारे में बताना चाहता हूं । जब उसके चुनाव आते हैं तब प्रशासन की तरफ से यह कहा जाता है कि अगर कांग्रेसी नुमाइन्दों को वोट नहीं दिया गया तो पालिकाओं को सरकारी सहायता नहीं दी जायगी । आप केवल कहते ही नहीं, बल्कि उसको करके भी दिखलाते हैं । जिन पालिकाओं को आप चाहते हैं उनको सहायता और अनुदान देते हैं और जिनको नहीं चाहते उनको नहीं देते । मंत्री जी ने कहा कि हम उनकी गलतियों को तरह देते जाते हैं । यह बिलकुल गलत है बल्कि असलियत यह है कि कोई गलती न होने पर भी आप लांक्षन लगाकर उनको सुपरसीड करने की तरकीब सोचते हैं जिसका उदाहरण मिर्जापुर की नगर-पालिका आपके सामने है । आपने एलेक्शन होने के आठ दिन पहले मिर्जापुर नगरपालिका को जब्त किया जबकि काफी दिन पहले से आप उसके खिलाफ कार्यवाही करते रहे और हाईकोर्ट से हारते रहे, लेकिन आपने उसका जरा भी लिहाज नहीं किया । एलेक्शन के आठ दिन पहले उसको जब्त कर लिया । भगवान की दया से आप मिर्जापुर का एलेक्शन भी हार बैठे जैसा कि किताब में दिया हुआ है आपने और पालिकाओं के साथ इस तरह का व्यवहार किया, समय कम होने के कारण मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, केवल थोड़े में ही बतलाना चाहता हूं कि आप मथुरा वगैरह बहुत सी पालिकाओं को जब्त करने की नीति अख्तियार करते हैं और उसमें आप फेल होते हैं, मुंह की खाते रहे हैं । यहां पर आप कहते हैं कि सुझावों का स्वागत करेंगे और गलतियों को भी तरह देंगे लेकिन वास्तव में आप कोई गलतियों को तरह नहीं देते, बल्कि उनपर वास्तव में जुल्म करते हैं और जैसी इच्छा होती है उस प्रकार की कार्यवाही करते हैं । जिन पालिकाओं में कांग्रेस का बहुमत नहीं है उनको रद्द करने के उपाय आप सोचा करते हैं जिसमें आप नाकामयाब रहते हैं और आगे भी आप नाकामयाब रहेंगे ।

इस प्रान्त की ५ महानगरियों में ५ महापालिकाएं बनाने की बात सोची गयी । आपने फिर क्या किया ? उनके शासन को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया । जो नगरपालिकायें अच्छी तरह से काम कर रही थीं, अपने भरोसे पर चल रही थीं, उनमें आपने कलेक्टर या असिस्टेन्ट कमिश्नर को भेजा और इन ५ महानगरियों का सत्यानाश कर दिया उदाहरणस्वरूप वाराणसी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

म्युनिसिपल बोर्ड के अन्दर अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा था, कर्जा केवल कुछ हजार बाकी रह गया था, लेकिन आपने उसको महानगरी बनाने की बात सोच कर बड़ा उपकार किया और पौने दो करोड़ रुपये का कर्जा उसके सिर पर थोप दिया। ६० लाख रुपया आपने वाटर वर्क्स के काम पर खर्च किया और आपकी लाडली एल० एस० जी० डिपार्टमेन्ट ने उस ६० लाख रुपये का दुरुपयोग कर दिया, जो पानी की नालियां बिछाई गई हैं वे फट जाती हैं, रोज-रोज सड़कों को तोड़ा जाता है और उनकी मरम्मत की जाती है, टंकी जो बनायी गयी हैं, वह काम नहीं करती लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जाता है और ६० लाख रुपये के कर्जे का ब्याज आप लेने के लिये तैयार रहते हैं। जब तक कर्जे की रकम को अदा नहीं किया जाता है तब तक महापालिका के काम को अच्छे तरह से नहीं चलाया जा सकता। पानी पिये बिना चाहे मर जाये, लेकिन आपको पहले कर्जे की रकम अदा करें।

जिस शहर के अन्दर यह दशा हो उसके अन्दर आपने क्या किया? एक क्षय रोग का अस्पताल बना दिया गया, जमीन खरीदी गयी और थोड़े से कमरे बना दिये गये। न मालूम प्रशासक और सरकार के दिमाग में क्या हुआ कि दोनों ने सांठ-गांठ की और २० लाख रुपये मंजूर हो गये और उससे बिल्डिंग बनाना शुरू कर दिया महापालिका के लिये। यह स्थान बिलकुल शहर के किनारे है। जनता को वहां जाने में बड़ी परेशानी होती है। अगर महापालिका की पहली बिल्डिंग में आपको कुछ दिक्कत थी, कुछ दफ्तर उसमें नहीं आ पाते थे तो केवल दो ढाई लाख रुपया लगाकर उसको ठीक किया जा सकता था और उसी बिल्डिंग में पूरा काम हो सकता था, लेकिन आप उसको ठीक कराने को तैयार नहीं और इस प्रकार से २० लाख रुपये का कर्जा उसके ऊपर थोप दिया गया।

दूसरी स्कीम है गन्दे पानी को वरुणा के पार ले जाकर के उसकी खाद बनाने की। यह स्कीम तो गवर्नमेंट ने बनायी थी, लेकिन मालूम पड़ता है कि वह उसको महंगी जान पड़ी, उसको नुक्सान जान पड़ा या प्रशासक महोदय ने उसमें कुछ गड़बड़ किया होगा, उन्होंने उसे म्युनिसिपल बोर्ड के मत्थे ठोंक दिया और करीब २० लाख रुपये का कर्जा उसके मत्थे दे दिया। इस तरह से करीब १ करोड़ रुपया महापालिका पर कर्जा लाद दिया। थोड़ी-सी सड़कों को चौड़ा कर दिया गया जिनकी कोई जरूरत नहीं थी। पांडेयपुर के चौराहे को इतना ज्यादा चौड़ा कर दिया गया कि शायद कलकत्ते में भी इतना चौड़ा चौराहा न होगा। जनता के मकानों को तोड़ कर आपने-अपने शासन काल में इस तरह से रुपया बर्बाद किया। सारनाथ में बुद्ध भगवान के आश्रम में एक उद्यान बनवाया गया और उस उद्यान में हरिणें छोड़ी गयीं और बाद में बुद्ध भगवान के आश्रम में ही उन हरिणों के भक्षण का काम भी प्रशासक महोदय ने शुरू करा दिया और भी वहां बहुत सी बातें हुईं प्रशासक महोदय के द्वारा जिनको मैं यहां नहीं कह सकता, क्योंकि यहां बहुत सी मातायें और बहनें बैठी हुई हैं। इस तरह से करीब पौने दो करोड़ रुपये कर्जे के रूप में महापालिका को देकर प्रशासक महोदय बिदा हुये।

इतना ही नहीं अपने प्रशासन काल में उन्होंने महाराज विजयानगरम् से सांठ-गांठ करके उनका एक दो ढाई लाख पये का मकान महापालिका के जिम्मे थोप दिया और विजयानगरम् मारकेट बनाया गया। उसकी जांच भी हुई, लेकिन जांच करने ही वाला कौन? जो जांच करे, वही फैसला करे तो वह क्या कर सकता है? चाहिये तो यही था कि किसी निष्पक्ष आदमी के हाथ से उसकी जांच करवायी जाती और उसकी रिपोर्ट आवे और तब पता लगे कि क्या बात है। विजयानगरम् के साथ क्या कार्यवाही की गयी और उस प्रशासक महोदय ने क्या किया। मैंने सुना है कि जांच की कार्यवाही चल रही थी और वे बनारस से हटा दिये गये थे। अब मैंने यह भी सुना है कि वे शायद कमिश्नर बना कर भेजे जा रहे हैं।

आप देखें कि मंत्री महोदय ने जो महापालिका अधिनियम बनाया है वह क्या है। इनकी जो मर्जी आती है वही करते हैं। जब पालिका थी तो पालिका ऐक्ट के अन्दर केवल १० कमेटियां थीं– वाटरवर्क्स कमेटी, एजूकेशन कमेटी, लाइट कमेटी आदि आदि, मगर अब जनाब ने केवल एक ही एक्जीक्यूटिव कमेटी रखी है जिसका काम है कि वह टैक्स लगावे, और कुछ नहीं। काम

[श्री विश्वनाथप्रसाद]

कौन करेगा, इंतजाम कौन करेगा और सारा काम मनमाने ढंग से कौन करेगा, नगर अधिकारी करेगा। यह आप की हालत है, आप गौर करें इस दफा ५६४ पर जो आप ने बनाकर ऐक्ट में पांचों महापालिकाओं पर लाद दी है। इस में लिखा है कि "मुख्य नगराधिकारी किसी व्यक्ति के विरुद्ध जिस पर निम्नलिखित किसी अपराध के सम्बन्ध में दोषारोपण किया गया हो कार्यवाही कर सकता है अथवा कार्यवाही वापस ले सकता है---इस अधिनियम अथवा किसी नियम, विनियम अथवा उपविधि के अधीन कोई अपराध, कोई ऐसा अपराध जिससे महापालिका की सम्मति अथवा स्वत्व पर अथवा इस अधिनियम के उचित प्रशासन पर, प्रभाव पड़ता हो या पड़ने की आशंका हो। यानी जितने भी पाप किये जा सकते हैं वह सब नगर अधिकारी कर सकता है। मैं आप को बता दूं कि जब से महापालिका का चुनाव हुआ है उस वक्त से कोई भी ऐसा मकान नहीं बना है जो इजाजत से बना हो, बराबर मकान बिना इजाजत के बनते चले जा रहे हैं और नहीं मालूम कि महापालिका क्या कर रही है।

बड़े सौभाग्य की बात है कि इस वक्त जो नगरअधिकारी बनारस के अन्दर है वह बेचारे वहां थोड़े दिन से ही आये हैं और वह वाकई सीधे और नेक आदमी हैं और मैं समझता हूं कि उन के लिये महापालिका में रहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वह इतने सीधे हैं कि वह ठीक से वहां के कायदे कानून का पालन नहीं कर पाते हैं और जितने भी वहां नगर अधिकारी रहते हैं उनके बारे में क्या कहूं इतना ही कह सकता हूं कि वह ऐसा पद है कि अगर उस पर कोई बेईमान पहुंच जाय तो वह न मालूम कितना रुपया रिश्वत में ले सकता है और लाखों रुपया लगाकर जो बेकायदा मकान बने जा रहे हैं उनके मालिकों से खूब मनमानी कर सकता है। लोग कहते हैं कि लाखों रुपया मकान में लग गया है अब महापालिका क्या करेगी ५०० रुपया तवान का लेकर सब ठीक हो जायगा। आप स्वयं समझ सकते हैं कि अगर वह किसी की लाखों रुपये के मकान को गिराने का नोटिस दिला देंगे और जरा तत्परता दिखायेंगे तो उन की जेब कितने रुपए से भरी जा सकती है। मैं नहीं समझ सकता कि इस लालच से कोई भी बच सकता है, जरूर वह गलत काम करेंगे। इस तरह से आप ने ऐसी गुंजायश कर के खुद ही गन्दे कानून बना कर सत्यानाश किया है।

दूसरी तरफ जहां गांधी जी महाराज ने कहा था कि खाने की बड़ी कमी है, गल्ले की बड़ी कमी है और कमरों में अनाज बोया जाय, बड़े-बड़े राजे महाराजाओं के बगीचे खोदकर फुलवाड़ी उजाड़ कर भुट्टे लगाये गये, लेकिन गांधी जी महाराज के राज में आज क्या हो रहा है? उन की आड़ में क्या-क्या कुकर्म हो रहे हैं। टाउन प्लानर ने ढाई-ढाई सौ फुट चौड़ी सड़कें हमारे यहां बना दीं, लेकिन जब इतनी चौड़ी सड़कें होंगी तो शहर कहां जायगा और लोग कहां रहेंगे। इस तरह कानून बनते जा रहे हैं और आप लोगों को मजबूर करते हैं कि वह गलत कार्यवाही करें और नतीजा यह है कि बिना इजाजत के मकान बन रहे हैं और कोई चेक नहीं है। ऐसे कानूनों से शहर की जनता बहुत ही परेशान हो रही है और अफसर लोग जेब भरने का इंतजाम करते हैं।

मैं आपको बताऊं, आपने अब यह भी रख दिया है कि गंदी बस्ती सुधार योजना महापालिका चलाये, यह महापालिका के ऊपर है। मैं भी जानता हूं आज महापालिका को बहुत छूट दे दी गई है, मगर ८ वर्ष के अन्दर जो पाप आपने किया है यहां बहुत से सदस्य हरिजन और पिछड़ी जातियों के नाम पर बड़ी दया दरशाते हैं, हमारे कुछ भाई तो इतने आवेश में आ करके पागल हो गये थे कि मनुस्मृति के पन्ने फाड़ने की बातें तक कह गये, उस समय मैं खून की घूंट पी कर रह गया। मैं पूछता हूं क्या आप कुरान के पन्ने फाड़ने की बात करने में सक्षम हैं यह हिन्दू धर्म ही ऐसा है जिसके बारे में आप कुछ कह दें।

**श्री बनवारीलाल विप्र** (जिला आगरा)---श्रीमन्, मैं एक प्वाइंट आफ आर्डर रेज करना चाहता हूं। जो विषय सदन में चल रहा है उसके विपरीत माननीय सदस्य कहते-

कहते गलत रास्ते पर चले गये इस विषय में मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ताकि आइन्दा भविष्य में ऐसी बातें पैदा न हों जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंचे।

**श्री उपाध्यक्ष**––यह कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है।

**श्री विश्वनाथप्रसाद**––उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को जरा समझने में दिक्कत हुई, मैंने किसी के प्रति कोई भी खिलाफ भावना की बात नहीं कही। मैंने सिर्फ यह कहा कि यहां जिस विषय पर बार्ता होनी चाहिये उसके अतिरिक्त धार्मिक बातों पर कटाक्ष नहीं होना चाहिये। यही उदाहरण दिया था।

मैं कह रहा हूं गंदी बस्ती सुधार योजना जिस तरह से चल रही है, हमारे बनारस में, हर कोने में, मोहल्ले में ऐसी बस्तियां हैं जिनमें हरिजन और गरीब जाति के लोग रहते हैं, उनको रोज उजाड़ने की बात की जाती है, रोज प्लान बनता है कि इनको खत्म कर दो, क्या गंदी बस्ती उजाड़ योजना के यही माने हैं? अगर आप उनके सुधार के हामी हैं तो मैं आपको सुझाव देता हूं, आपको गंदी बस्ती सुधार करना चाहिये और वह इस तरह से जहां गंदी बस्तियां हों और वहां ड्रेनेज न हो तो ड्रेनेज सिस्टम ले जायं, जहां पानी न हो पानी ले जायं। जहां रास्ते न हों वहा रास्ते बनवा दें। और इसके बाद भी अगर आप देखें इन गरीबों के पास इतना पैसा नहीं कि आपकी स्कीम के मुताबिक मकान बना सकें, अपनी झोपड़ी पर फूंस डलवा सकें तो उनकी नींव को पक्का बना करके उनको दे दें कि भाई इस नक्शे के मुताल्लिक अपनी कुटिया बना लो। पर ऐसा नहीं होता। आपके कानून से फायदा उठा करके लोग उन गंदी बस्तियों की जमीन को १०० रु० में ले कर हजारों में बेचते हैं और वे गरीब जो शहर से निकल कर जाना चाहते हैं उनको कहीं स्थान नहीं मिलता। या तो वह पटरियों पर रहते हैं या गांव में मारे-मारे फिरते हैं। आपने देखा जो गंदी बस्तियां उजाड़ी गई हैं....।

**श्री उपाध्यक्ष**––जल्दी समाप्त करने की कोशिश करें।

**श्री बैजनाथसिंह** (जिला सुल्तानपुर)––उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है माननीय सदस्य जितनी देर से भाषण दे रहे हैं वे केवल बनारस, और गंदी बस्तियों का ही जिक्र कर रहे हैं और कटौती का प्रस्ताव स्वायत्त शासन पर है। तो मैं चाहता हूं वह स्वायत्त शासन पर भी कुछ बोलें।

**श्री उपाध्यक्ष**––जिस विषय की माननीय सदस्य चर्चा कर रहे हैं वह उसी में आता है।

**श्री विश्वनाथप्रसाद**––हमारे भाई ने गौर नहीं किया। मैं तो बनारस की खाली मिसाल दे रहा हूं। गंदी बस्तियां तो बनारस, इलाहाबाद, आगरा, कानपुर और लखनऊ में सभी जगह हैं और अगर आप देखने की कोशिश करें तो इसी अमीनाबाद पार्क में जहां तरकारी बाजार है उसके नीचे गलियों में चले जाइये और देखिये कितनी गंदगी में वह रहते हैं। आपको पता नहीं है कि इन ५ महानगरियों की हालत इतनी ही खराब है।

दूसरी बात मुझे यह भी कहनी है कि आप इस पर गौर करें कि इन पांच महानगरियों में बड़े ही आदमी नहीं रहते, बहुत ज्यादा तादाद में गरीब लोग भी बसते हैं। जब कोई फारेनर या मंत्री वहां जाता है तो बड़ा छिड़काव, बड़ी धुलाई होती है, लेकिन जब वह फारेनर सड़कों के किनारे पटरियों पर की गंदगी को देखता है तब क्या सोचता होगा। शहरों में गरीब औरतों के लिये पाखाने नहीं हैं उनके लिये आप अनुदान दें। आपकी कमेटी ने यह सिफारिश की थी कि सेल्स टैक्स तथा मनोरंजन टैक्स में से आप महानगरियों को, म्युनिसिपल बोर्ड्स को, टाउन एरियाज को हिस्सा दें, लेकिन आपने मंजूर नहीं किया, क्योंकि आप चाहते हैं कि लोग कर्जदार रहें। आपके पैरों पर घुटने टेकें और माथा टेकें और आपके यहां जी हुजूरी करें तब आप उनको ऋण दें। आपको चाहिये कि कमेटी ने जैसी सिफारिश

[श्री विश्वनाथप्रसाद]

की थी सेल्स टैक्स और एन्टरटेनमेन्ट टैक्स में से आप हिस्सा दें ताकि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और अपने काम को पूरा कर सकें।

---

[अनुदान संख्या ३९—सार्वजनिक निर्माण-कार्यों के लिये सहायक अनुदान

| क्रम-सं० | प्रस्तावक का नाम | प्रस्ताव का रूप |
|---|---|---|
| १ | श्री शराफत हुसेन रिजवी | सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।<br>कमी करने का उद्देश्य—शिकायतें करना और सुझाव देना। |
| २ | श्री जे० पी० मिश्र | सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।<br>कमी करने का उद्देश्य—(१) अधिक धन की मांग करना, (२) विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना। |
| ३ | श्री खुशी राम .. | सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।<br>कमी करने का उद्देश्य—सड़कों का निर्माण स्थानीय जनता के हितों को ध्यान में रखते हुये किया जाना चाहिये। |
| ४ | श्री उग्रसेन .. | सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय।<br>कमी करने का उद्देश्य—विभागीय भ्रष्टाचार को समाप्त करना। |
| ५ | श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह, .. श्री भानुप्रताप सिंह, श्री काशी नाथ बहादुर, श्री प्रेम सिंह, श्री मुन्नू सिंह, श्री विजय सिंह, श्री बलवीर सिंह, श्री नवरंग सिंह, श्री चिरंजी लाल तथा श्री चैतन्य राज सिंह। | सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय।<br>कमी करने का उद्देश्य—सम्पूर्ण नीति की आलोचना तथा सुझाव देना। |

---

[ ] कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये माने गये।

## अनुदान संख्या ४६––प्रकीर्ण व्यय

| क्रम सं० | प्रस्तावक का नाम | प्रस्ताव का रूप |
|---|---|---|
| १ | श्री उग्रसेन .. | सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय।<br>कमी करने का उद्देश्य––कमी करने का सुझाव देना। |
| २ | श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह,<br>श्री भानुप्रताप सिंह,<br>श्री काशीनाथ बहादुर,<br>श्री प्रेम सिंह,<br>श्री मुन्नू सिंह,<br>श्री बलवीर सिंह,<br>श्री विजयसिंह,<br>श्री चैतन्यराज सिंह तथा<br>श्री चिरंजी लाल। | सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय।<br>कमी करने का उद्देश्य––सम्पूर्ण नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।] |

***श्री बृजमोहनलाल गुप्त** (जिला बांदा)––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो स्वायत्त शासन के संबंध में अनुदान आपके सामने पेश है उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इसमें कोई शक नहीं है कि पूज्य बापू का स्वप्न था कि हम अपने स्वराज्य को गांव तक पहुंचाने में समर्थ होंगे। तभी हमारा वास्तविक स्वराज्य होगा। आज देश में विकेंद्रीयकरण का युग है और हमारा स्वायत्त शासन विभाग इसी दृष्टिकोण को लिये हुये है। स्वायत्त शासन विभाग के अन्तर्गत अन्तरिम जिला परिषद्, नगरपालिकाएं, टाउन एरियाज, नोटिफाइड एरियाज, गांव सभाएं आदि आदि आ जाती हैं। आपने देखा कि जिस वक्त हम स्वराज्य का वास्तविक रूप देखना चाहते हैं और साधारण नागरिक को शिक्षित करना चाहते हैं तो हमारे लिये यह आवश्यक है कि हम अपने इस विभाग को पूर्ण रूप से समझें और इसका अधिक से अधिक उपयोग जनसाधारण के लिये हो सके। तब हमारा वास्तविक प्रजातंत्र होगा।

हमारी नगरपालिकाओं के अन्दर कई विभाग आते हैं, शिक्षा विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सफाई विभाग, टैक्स, पानी आदि आदि विभाग। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी नगरपालिकाओं को स्वतंत्रता है अपने यहां पूरा प्रबन्ध करने की। मुझको मालूम है, शिक्षा विभाग में जो शिक्षा विभाग का चेयरमैन होता है उसको पूरा अधिकार होता है। वह अध्यापकों को नियुक्त कर सकता है और पाठशालाओं को पूरी देखरेख कर सकता है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्दर सड़कों, नालियों और जितना निर्माण का संबंध है वह हमारी कमेटी के अन्तर्गत आता है। जो हमारे शहरों की सफाई और देखरेख की बात है वह सफाई कमेटी के अन्तर्गत आता है। इसी तरह से टैक्स वसूल करना भी टैक्स कमेटी के सुपुर्द है। इसी तरह से अन्तरिम जिला परिषद् की जो योजनाएं हैं वह सब पूर्णरूप से अन्तरिम जिला परिषदों के द्वारा ही कार्यान्वित होती हैं और पंचायतों में भी यही काम हमारा चलता है। आपने पहले देखा होगा कि ये सब काम जिलाधीश के अन्तर्गत हुआ करते थे। जिलाधीश को कोई जानकारी उस क्षेत्र की परिस्थिति के संबंध में नहीं रहती थी। उसके मुकाबले में जो हमारी कमेटी होती है या जो नगरपालिकाएं होती हैं उनमें जो सदस्य चुन कर आते हैं वे जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और वे जनता की कठिनाइयों और जरूरतों को अच्छी तरह अनुभव करते हैं। मैं समझता हूं कि आज जिस रूप में हमारे सामने नगरपालि-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बृजमोहनलाल गुप्त]

काग्रों की व्यवस्था है वह अंग्रेजी जमाने के मुकाबले में बहुत विकसित रूप में है। आज उसका काफी सुधार हो चुका है। अगर स्वायत्त शासन विभाग की ओर हम पूरी तरह से तवज्जह देंगे तो हम देखेंगे कि वास्तविक स्वराज्य हम इसी विभाग के द्वारा ला सकते हैं।

अभी हाल में आपने देखा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का रूप बदल गया और अन्तरिम जिला परिषद् का रूप आया और गांव सभाएं समाप्त हो कर इसी के अन्तर्गत ब्लाक के रूप में व्यवस्था आ गयी है और नियोजन विभाग के बहुत से अधिकार भी इसकी कमेटियों के अन्तर्गत आ गये हैं। मैं समझता हूं कि इस विभाग की वास्तविकता उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। इसलिये इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुये हमको पूरी तरह से इनका साथ देने की जरूरत है। लेकिन इसमें कुछ खराबियां भी हैं जिनकी तरफ मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इनके जो कर्मचारी हैं वे १२-१२, १५-१५ और ३०-३० साल से चले आ रहे हैं। इन कर्मचारियों के हाथ में उनकी अच्छाइयां और बुराइयां होती हैं। मैं समझता हूं कि इन कर्मचारियों का प्रांतीयकरण होना चाहिये ताकि एक मुलाजिम किसी एक स्थान में अधिक समय तक रह कर उसका नाजायज फायदा न उठा सके। मैं यह भी समझता हूं कि प्रांतीय सरकार की काफी जिम्मेदारी है। पानी की बड़ी समस्या इन स्थानों में होती है।

मैं बुन्देलखंड के इलाके से आया हूं। वहां पानी की एक विशेष समस्या है। वहां ६०,७० हाथ नीचे पानी रहता है। पाठा जैसा वहां का इलाका है वहां की हालत आपको मालूम है कि एक-एक घड़े पानी के लिये एक रुपया देना पड़ता है। इसकी जिम्मेदारी विशेष-रूप से हमारी नगरपालिकाओं की है। मैं आशा करता हूं कि हमारे मंत्री महोदय बुन्देलखंड में विशेषरूप से इसके लिये अनुदान देने की कृपा करेंगे। ताकि जो हमारे पिछड़े हुये इलाके हैं, जहां सड़कें नहीं हैं, जहां गंदगी है और मच्छरों का राज्य, हर साल मलेरिया, टाइफाइड और हैजे की बीमारियां फैलती हैं, मैं समझता हूं कि अगर स्वायत्त शासन विभाग द्वारा इस ओर विशेष तवज्जह दी गई तो इन पिछड़े इलाकों का काफी सुधार हो सकता है और वहां की जनता को राहत मिल सकती है।

एक बात की ओर मैं उपाध्यक्ष महोदय आपके द्वारा माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि महापालिकाओं का जो नया गठन हुआ है उसके द्वारा हमारी इन संस्थाओं को काफी अधिकार मिले हैं और जनता को काफी राहत मिलेगी। जिन सज्जन ने इस अनुदान में कटौती का प्रस्ताव रखते हुये जो बातें रखी हैं, उसके संबंध में, मैं समझता हूं कि यह हो सकता है कि जोकि उन्होंने विशेषरूप से इस विभाग की बुराइयां ही देखी हों। मैं यह नहीं कहता कि हर विभाग में अच्छाइयां ही होती हैं, उसमें बुराई भी होती है। इसलिये जब किसी विभाग के संबंध में चर्चा की जाय तो उस विभाग की अच्छाई और बुराई दोनों पर यदि विचार किया जायगा तभी वास्तविक रूप में हम अपनी राय कायम कर सकते हैं।

मैं समझता हूं कि जैसा हमारा यह विभाग है इसमें कोई विशेष विरोध करने की आवश्यकता नहीं थी। हम गांधी जी के विचारों को मानने वाले हैं, रामराज्य की स्थापना करने वाले हैं, इसलिये मैं समझता हूं कि सदन इस अनुदान को पास करने की कृपा करेगा। इन शब्दों के द्वारा मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

**श्री सन्तसिंह यूसुफ** (जिला कानपुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हाउस में इस वक्त लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की ग्रांट के बारे में जो कटमोशन पेश हुआ है उसका मैं समर्थन करता हूं। मैं मंत्री जी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं ये बहुत पुराने गांधीवादी हैं और मुझे आज बहुत ज्यादा दुख हुआ कि उन्होंने जो एक बात कही वह गलत कही। उन्होंने कहा कि हमने सारी पावर इन बाडीज को दे रखी है, यह गलत बात

कही। मैं समझता हूं कि आपने प्रांत के ५-६ शहरों में कारपोरेशन कायम किये हैं। इसका हाल है कि "नाम बड़े और दर्शन छोटे"। इन कारपोरेशन को आज उतने भी अख्तियार नहीं हैं जितने कि म्युनिसिपैलिटीज को थे। हमारे यहां भी एक कारपोरेशन है, मैं कानपुर से ही आता हूं। जितने म्युनिसिपल ऐक्ट में म्युनिसिपैलिटीज को अधिकार थे उतने भी कारपोरेशंस को नहीं है। मुख्य नगराधिकारी कारपोरेशंस के अन्दर जो चाहता है वह करता है और उसके पूरे अधिकार हैं आपके जो चुने हुये मेयर और डिप्टी मेयर हैं, उनको वे अधिकार नहीं हैं जो इनको हैं, कोई काम मुख्य नगराधिकारी की स्वीकृति के बिना नहीं हो सकता है। कारपोरेशन तो केवल पास करता है और उसको अमल में लाने का काम इसी के हाथ में है और सूबे की सरकार में जो सेक्रेटरी होता है वही लखनऊ में बैठकर सारी मशीनरी को चलाता है। उसके इशारे पर ही कारपोरेशन का सारा काम चलता है। इसलिये आप इन बाडीज को पावर देने की बात मत कहिये। बिना मुख्य नगराधिकारी की स्वीकृति के कारपोरेशन करप्शन के मामले में भी जांच नहीं कर सकता है। बिना इस अधिकारी की स्वीकृति के पाइप भी नहीं लगाया जा सकता। मैंने दो तीन कारपोरेटर्स से पाइप के लिये कहा तो मुझे यह मालूम हुआ, इसलिये कारपोरेशन में मुख्य नगराधिकारी ही शक्तिशाली है। शर्मा जी जैसे चाहें इनको चलायें, लेकिन यह न कहें कि सारी पावर इनको दे रखी हैं।

इसके बारे में दो तीन मिसालें और दूंगा। कानपुर में मकान जब बनते हैं तो उनका नक्शा चीफ इंजीनियर के द्वारा पास होता है और इसके पास होने के बाद वह टाउन प्लानर के पास जाता है। वह पास न करे तो वह अमल में नहीं आ सकता है। आपका जो एक्जीक्यूटिव आफिसर है वह २,२०० रुपये माहवार तनख्वाह पाता है टाउन प्लानर १२ सौ रुपये तनख्वाह पाता है। २२ सौ तनख्वाह पाने वाले ने एक नक्शा पास किया वह दोबारा टाउन प्लानर के पास जायगा जो १२ सौ रुपये पाता है, तब पास होगा।

किसी आदमी को डिस्मिस नहीं कर सकते। एक चपरासी को कारपेरेशन डिस्मिस नहीं कर सकता बिना मुख्य नगर अधिकारी की स्वीकृति के। यू० पी० सरकार इन एम० एल० एज० के हाथ में भी नहीं है, जो इतनी बड़ी मिनिस्टरों की बारात है, वह भी नहीं, चार या पांच आदमी हैं वही कंट्रोल करते हैं पूरी गवर्नमेंट को। प्रजातंत्र का तो बहाना है, ढोंग है। इसमें कोई असलियत नहीं है।

मैं तीन चार बातें और जिनको मैं अहम समझता हूं कहना चाहता हूं। १९५२ के चुनाव के बाद मुझे अफसोस है कि हमारे मुख्य मंत्री जी नहीं हैं, वह उस मीटिंग में मौजूद थे, पंडित जवाहरलाल ने कानपुर में पब्लिक मीटिंग में नारा लगाया था कि इन स्लम्स को जला दो। अभी पिछले चुनाव के पहले फिर पंडित जवाहरलाल जी ने चुनाव का उद्घाटन करते समय उन स्लम्स के बारे में कहा। जिस तरह से गांधी जी को अछूतोद्धार की सबसे ज्यादा परेशानी थी उसी तरह से पंडित जवाहर लाल को स्लम्स से सबसे ज्यादा परेशानी है। वह चाहते हैं कि स्लम्स जल्दी से जल्दी साफ हो जाने चाहिये। कानपुर में १६ हजार मकान गवर्नमेंट आफ इंडिया ने बनवाये हैं और ८ हजार मकान कारपोरेशन ने बनवाये हैं, लेकिन कारपोरेशन ने जवाहरलाल जी के स्वागत में जो मीटिंग की उसमें जवाहरलाल जी को बताया कि हमने २४ हजार मकान बनवा दिये ताकि खुश हो जायं, लेकिन तब भी उन्होंने कहा कि बहुत कम हैं। उन्होंने अहमदाबाद कारपोरेशन की और मिलों की मिसाल दी कि उन्होंने इतने मकान बनवा दिये। माननीय मंत्री जी मेरे पुराने दोस्त हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं अगर गांधी जी का और जवाहरलाल जी का सपना पूरा नहीं होगा तो गंदी बस्तियां वैसे ही रहेंगी। इसलिये स्लम्स क्लियरेंस होना चाहिये। सेंट्रल गवर्नमेंट ने २५ परसेंट से बढ़ा कर साढ़े ३७ परसेंट मदद कर दी है। साढ़े १२ परसेंट स्टेट गवर्नमेंट और साढ़े १२ परसेंट कारपोरेशन देती थी। अगर किराया लगाया जाय तो पौने चार रुपये बनता है और कारपोरेशन दस रुपये चार्ज करता है, दो पये पानी के और तीन रुपये बिजली के। उस भंगी से इतना लिया

[श्री सन्तसिंह यूसुफ]

जाता है जिसको तीस-बत्तीस पये तनख्वाह मिलती है। यह हरिजन उद्धार हो रहा है। मैं मंत्री जी को दावत देता हूं कि कानपुर में आकर वह देखें। मैं तो एम०एल०ए० बन गया मेरे गले पड़ गयी। जब जाता हूं तो कहते हैं कि यहां टट्टी नहीं। कौन सुनता है। हम कह दें कि टट्टी बनवा दीजिये, टट्टी बन जायगी ? मकानों को जहां स्लम क्लीयरेंस करते समय हटाया जाता है, वहां के रहने वाले जाकर दूसरी जगह बस जाते हैं और वहां दूसरा स्लम बन जाता है। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि यह स्लम क्लीयरेंस कभी नहीं होगा।

अब दूसरी बात मैं शर्मा जी से कहना चाहता हूं। कानपुर इतना बड़ा शहर है, १०५ मील के रकबे का शहर है। खुशी की बात है कि आपको सेक्रेटरी अच्छे मिल गये हैं, वह कानपुर शहर की हालत को समझते हैं, वह शर्मा जी की इस मामले में मदद करेंगे। उस १०५ मील के रकबे के शहर में यातायात के साधन के लिये केवल रिक्शा और २० टूटी हुई बसें हैं। कारपोरेशन ने सरकार से कहा कि तुम और बसें चलाओ, तो वह नहीं किया। कारपोरेशन कहता है कि हमें उसके लिये कर्जा दे दो तो कर्जा भी नहीं देंगे। आज अगर आप कानपुर में जायं तो सिवाय रिक्शा के या अगर अपनी कार हो तो बात दूसरी है, और कोई दूसरी सवारी आपको नहीं मिलेगी। कुल २० टूटी हुई बसें वहां हैं। खड़े रहिये उनके इन्तजार में। मैं कहता हूं कि यू० पी० का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सेंटर और उसमें यातायात के साधनों का यह हाल है, इससे बढ़कर यू० पी० की सरकार के माथे पर कलंक का टीका और हो नहीं सकता। बम्बई में ५ मिनट से ज्यादा आपको इन्तजार नहीं करना पड़ेगा। कलकत्ते में चले जाइये, वहां भी ऐसा ही है, लेकिन कानपुर में जाइये, कुछ है ही नहीं।

दूसरी बात कारपोरेशन को पूरी पावर्स होनी चाहिये। बम्बई की तरह पुलिस उनके हाथ में होनी चाहिये। आज आप जाइये, सड़क पर दोनों तरफ खरबूजों का ढेर दस बजे तक लगा हुआ मिलेगा। दोनों तरफ का फुटपाथ बड़े बड़े लोग पहले ही से घेरे हुये हैं, क्योंकि इस कांग्रेस राज का डबुल स्टैंडर्ड है, गरीब के लिये दूसरा कानून है और बड़े बड़े आदमियों के लिये दूसरा कानून है। कारपोरेशन से कहते हैं तो वह कहते हैं कि हम क्या करें। पुलिस का काम है और पुलिस उसके पास है नहीं। इसलिये कारपोरेशन के पास पुलिस होनी चाहिये। बिना पुलिस के वह कोई भी चीज रेगुलेट नहीं कर सकते हैं।

**डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी** (जिला इलाहाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय स्वायत्त शासन मंत्री द्वारा उपस्थित अनुदान का समर्थन और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने के लिये मैं खड़ी हुई हूं। माननीय स्वायत्त शासन मंत्री महोदय ने अपने भाषण में जहां पालिसी मैटर का उल्लेख किया, वहां उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की नीति है कि जो लोकल बाडीज हैं उनके कार्यों में कम से कम दखल दिया जाय और धीरे धीरे वह इस स्तर पर पहुंच जायं कि अपना काम कर सकें। अगर आज वह नहीं कर पा रही हैं तो कुछ दिनों में करने लग जायेंगी। मुझे प्रसन्नता है और मैं समझती हूं कि यह हमारी सही नीति है, लेकिन इस समय जिस प्रकार लोकल बाडीज के कार्य हो रहे हैं उसमें और हमारी जो पालिसी है उसमें बहुत अन्तर है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान कुछ उन बातों की ओर दिलाना चाहती हूं जिनको यदि हम कार्यरूप में परिणत कर सकें तो संभव है कि आज सदन के सामने, जिस पालिसी का उल्लेख उन्होंने किया है उसको हम पूर्ण रूप से निभा सकें।

यों हम सब जानते हैं कि महापालिका या नगरपालिका या जो लोकल बाडीज हैं उनके संबंध अपने क्षेत्रों में जो वहां की जनता है, वहां के नागरिक हैं, उनसे अधिक रहता है। मैं तो यह कहूंगी कि जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त मनुष्य की जो विशेष आवश्यकताएं हैं, जो विशेष अधिकार की बातें हैं उनका सीधा सम्पर्क प्रायः लोकल बाडीज के साथ रहता है। बच्चा पैदा होता है तो उसके लिये मैटरनिटी होम या अस्पताल का इन्तजाम या स्वास्थ्य से संबंधित बातों का इन्तजाम लोकल बाडीज को करना पड़ता है। बच्चों के खेलने-कूदने के पार्क, उनके

स्कूल, उनकी प्राइमरी शिक्षा और जन-स्वास्थ्य का प्रबन्ध इस तरह की जितनी प्रारम्भिक मनुष्य की अनिवार्य आवश्यकताएं हैं उनका प्रबन्ध सीधे लोकल बाडीज के हाथ में रहता है। इसलिये लोकल बाडीज की बड़ी जिम्मेदारी है। मैं अपने भाषण का क्षेत्र महापालिका की बातों से ही संबंधित रखकर सदन और मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूं।

जहां एक ओर लोकल बाडीज या महापालिकाओं को बड़ा कार्य सौंपा गया है और महत्त्व का कार्य सौंपा गया है इसके साथ-साथ उनके जो अधिकार हैं वह काफी कम हैं। इन लोकल बाडीज के लिये और महापालिकाओं के लिये अपना कार्य चलाने के लिये यह आवश्यक है कि उनकी आमदनी अधिक हो, लेकिन इस समय आज जो महापालिका का अधिनियम है उसके अन्तर्गत जो टैक्स लगाने का अधिकार महापालिका को दिया गया है उसमें सबसे बड़ा आइटम आता है सम्पत्ति कर का। अब सम्पतिकर में कम से कम जो लोएस्ट रेट रखा गया है वह १५ परसेंट होना चाहिये। उसमें भी वाटर टैक्स और हाउस टैक्स मिला हुआ है। होता यह है कि अगर १० प्रतिशत वाटर टैक्स या ५ परसेंट हाउस टैक्स लगायें तो महापालिका का अधिनियम यह है कि १२० से लेकर १८० तक उसमें गरीबों को छूट दे मगर यह छूट देने का यह नियम है कि ६० गज की दूरी पर अगर महापालिका का कोई नल है तो वहां पर जो मकान स्थित हैं उनके ऊपर भी, चाहे उनके ऊपर हाउस टैक्स माफ हो, लेकिन वाटर टैक्स उनसे लिया जाता है। उसका नतीजा यह होता है कि उनको हाउस टैक्स चाहे ६ रुपया हो, लेकिन वाटर टैक्स के रूप में उनको ९ रुपया या १० रुपया देना पड़ जाता है। एक ओर अधिनियम यह कहता है कि गरीबों के साथ कुछ रियायत होनी चाहिये दूसरी तरफ इस तरह का नियम बना हुआ है कि जो यह कहता है कि १५ प्रतिशत अनिवार्य टैक्स लेना चाहिये। तो यह रियायत जो गरीबों के साथ करना चाहिये वह हो नहीं पाती है। मैं चाहती हूं कि डिपार्टमेंट इस पर विचार करे। इस प्रकार का प्रबन्ध होना चाहिये कि कम से कम इस प्रकार के जो गरीब आदमी हैं, जिनके मकान मिट्टी के हैं, खपरैल के हैं, जिनके घर में नल या बंबा नहीं है उनके ऊपर वाटर टैक्स के रूप में रियायत हो सके और उनसे इस तरह से टैक्स न लिया जाय।

दूसरी बात जिसकी ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं वह जन स्वास्थ्य से संबंधित है। हमारी नगर महापालिकाओं में अभी तक भंगियों के लिये वह प्रबन्ध नहीं है, वह सुविधा नहीं है जिसके द्वारा वह गाड़ी से मैला ढो सकें और गर्भवती मजदूरों की स्त्रियां काफी बोझा सिर पर ढोने से वंचित रह सकें या कोई हैन्ड कार्ट हो जिसकी सहायता से वह मैला एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें। मैं यह जरूरी समझती हूं, इसमें कुछ खर्चा हो सकता है, लेकिन यह इतनी आवश्यक चीज है कि जिस पर विशेष ध्यान देना चाहिये।

हमारे नगरपालिका अधिनियम में, मैं समझती हूं कि, एक सुधार यह भी होना चाहिये कि जिस प्रकार अंतरिम जिला परिषद् में हमारे विधायक उसके एक्स-आफिशियो के रूप में मेम्बर होते हैं उसी प्रकार नगरपालिका में भी उनको रहना चाहिये। वे नगरपालिका के एक्स-आफिशियो मेम्बर हों। नगर के चुने हुए प्रतिनिधियों को जनता की उन्नति के कार्यों से विशेष संबंध होता है और यदि उनका संबंध इस प्रकार महापालिका के साथ रहता है तो वे कुछ अधिक काम कर सकते हैं। जनता केवल यही नहीं चाहती कि वे विधान सभा में आकर लम्बी स्पीचें दें वरन वह उनसे यह आशा करती है कि वे नगर की, ग्राम की स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारने में मदद करेंगे।

एक सुझाव मैं और देना चाहती हूं कि नगर महापालिकाओं के बन जाने से जो नगर का क्षेत्र विस्तृत हुआ है उसमें बहुत से ग्रामीण क्षेत्र भी नगर के क्षेत्र में आ गये हैं, लेकिन उन पालिकाओं की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि उन ग्रामीण क्षेत्रों का सुधार किया जा सके। इसलिये मेरा सुझाव है कि उन ग्रामीण क्षेत्रों की उन्नति के लिये, कि जो पालिका के क्षेत्र में तो

[डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी]

आ चुके हैं, लेकिन उनकी दशा वही है, उनमें आज भी स्लम्स हैं, कुछ विशेष अनुदान विभाग की ओर से हर नगरपालिका को मिलना चाहिये जिसके द्वारा वहां पानी की सुविधा दी जा सके, बिजली का प्रबंध किया जा सके और सफाई और स्वास्थ्य की सुविधा लोगों को उपलब्ध करायी जा सके ।

**श्री राधेश्याम** (जिला मथुरा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। कांग्रेस सरकार ने इस प्रदेश में बेकारी, भुखमरी, गरीबी, ज्यादती-जुल्म, बेईमानी, भ्रष्टाचार और रिश्वत खोरी को काफी बढ़ावा दिया है, लेकिन उससे मुझे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि यह तो हर पूंजी वादी सरकार का कर्त्तव्य हमेशा से होता आया है और होता रहेगा, परन्तु सबसे बड़ा काम जो प्रदेश की सरकार ने किया है और जिसे इतिहासकार जब कभी प्रदेश का इतिहास लिखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे, वह यह कि कांग्रेस सरकार ने अपने किये हुए वायदों को पूरा नहीं किया है और इससे आगे आने वाले जमाने में जनता में सभी पार्टियों के विश्वास को उसने खत्म कर दिया है। इतिहासकार भी इस दोष से इस सरकार को मुक्त नहीं कर पायेंगे। स्वायत्त शासन संस्थाएं आज बिल्कुल अनाथ मालूम पड़ती हैं।

मान्यवर, चौखम्भा राज्य की बात समाजवादी पार्टी ने बार-बार कही है और मोटे तरीके से मैं फिर भी निवेदन करना चाहता हूं कि एक दिल्ली की सरकार है, दूसरी प्रान्त की सरकार है, फिर जिले की सरकार है और उसके बाद ग्राम पंचायत का नम्बर आता है। तो यह म्युनीसिपल-बोर्ड आदि दूसरे नम्बर पर आते हैं जिले की सरकार के अंतर्गत। इनको जब तक प्रान्त की सरकार अपनी आमदनी का एक चौथाई भाग अदा नहीं करेगी तब तक दुनियां की कोई ताकत उनकी तरक्की नहीं कर सकती। एक मंत्री नहीं हजार मंत्री भी अगर कोशिश करे तो उनका सुधार नहीं हो सकेगा, क्योंकि उनकी आमदनी का कोई बढ़िया साधन नहीं है। मंत्री जी मेरा यह सुझाव नोट करें कि प्रान्त की सरकार की आमदनी का एक चौथाई भाग म्युनीसिपल बोर्ड, टाउन एरियाज, नोटी फाइड एरियाज को दिया जाय और जब तक वे इस प्रकार का फैसला नहीं करेंगे तब तक इनकी उन्नति नहीं की जा सकती।

श्रीमन्, मैं एक दूसरी बात भी रखना चाहता हूं। प्रदेश में जितने बेकारों की संख्या है उनके आंकड़े कुछ बड़े नेताओं के भाषण से और कुछ अपने स्वाध्याय से मैंने इकट्ठा किये हैं। उनमें से आधे लोग इन टाउन एरियाज और कारपोरेशन में और म्युनीसिपिल बोर्ड में रहते हैं। जो सरकार जनतंत्र की बात करती है उसने १५ सालों के अपने कार्य काल मे इतनी बी० ए० और एम० एज० को बेकार रखा इससे ज्यादा शर्म और लज्जा की बात कोई हो नहीं सकती।

(इस समय ३ बज कर ५० मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

मैं भी डिग्री कालेज का विद्यार्थी रहा हूं और मैं विद्यार्थियों की कठिनाइयों को अच्छी तरह से जानता हूं, बद किस्मती से मैं यहां एम० एल० ए० चुन कर आ गया हूं और एक मंत्री को हरा कर आया हूं। मेरे पास स्थानीय निकायों के लोग नौकरी के लिये आकर कहते हैं, मैं उनसे कह देता हूं कि भाई मैं तो विरोधी दल का सदस्य हूं मैं क्या कर सकता हूं। तो आप उनको डिग्री देकर उनकी तौहीन करते हैं साथ में अपनी डिग्री की भी, बेकारों की संख्या कहीं इतनी नहीं है जितनी की अपने प्रदेश में। आप या तो उनको डिग्री देना बन्द कर दीजिये या उनको नौकरी दीजिये और अगर नौकरी नहीं दे सकते तो उनको उसके लिये कोई बेकारी का भत्ता वगैरह दीजिये। योरोप के कितने ही मुल्कों में आज बेकारों को भत्ता दिया जाता है। अगर आप उनको भत्ता नहीं दे सकते तो आप अपने को समाजवादी सरकार मत कहिये। जब तक आप उनको भत्ता नहीं दे सकते, तब तक आप स्थानीय निकायों में बेकारी का प्रबन्ध कर ही नहीं सकते।

आपको मालूम है कि आप के राज्य में आप गांधी वादी हैं और गुप्ता समाजवादी हैं। उनके राज्य में आज इन्सान को घोड़ा बनाया जाता है। इससे लज्जा की बात और क्या हो सकती है? मैंने चाइना और रूस के इतिहास को पढ़ा है, पूंजीवादी मुल्कों के इतिहास को पढ़ा है, कहीं भी इंसान, इंसान के ऊपर नहीं चढ़ता। आपके यहां इंसान, इंसान के ऊपर चढ़ता है और वह रिक्शा-चालक का काम करता है। आपको मालूम है कि आज रिक्शा चालकों की कितनी बुरी हालत है। गांधी जी का फोटो आपके सामने है, वे कहते थे कि किसी से बरतन मंजवाना या बिस्तर बिछवाना भी एक तरह से शोषण करना है। मैं कहता हूं माननीय गुप्ता जी से कि वे इस बात का सर्वेक्षण करायें कि आज रिक्शाचालकों की क्या हालत है। जरा आप और माननीय मुख्य मंत्री जी स्टेशन पर रिक्शा लेकर जायं और उस पर राजा यादवेन्द्रदत्त जी जैसे किसी मोटे आदमी को बिठायें और दो घंटे तक उसको घुमाये तो आपको पता चल सकता है कि रिक्शा चालक को कितनी परेशानी होती है। आप रिक्शा को कतई बन्द कर दीजिये, अगर आप अपने को गांधीवादी और समाजवादी कहते हैं तो। यदि आप ऐसा नहीं करते तो आप एलान कर दीजिये कि हम पूंजीवाद में विश्वास करते हैं। अंग्रेजों के काल से आज आपके राज्य में कितने रिक्शा चालक बढ़ गये। उनकी कितनी बुरी हालत है। आप रिक्शा पर पाबन्दी लगाकर उनको किसी अन्य उद्योग में लगाइये।

एक बात और कहना चाहता हूं। अभी स्थानीय निकायों की बात अखबार में पढ़ी कि उनके चुनाव होंगे। हमारे नेतागणों ने बाहर इसका एलान किया। उनको इस बात का भी एलान करना चाहिये कि फलां समय में होंगे और किस तरह से होंगे। चुनाव के संबंध में जो तरीका है वह मेरी नजर से और जनवाद की नजर से गलत है। प्रत्येक चुनाव प्रत्यक्ष होना चाहिये। अप्रत्यक्ष चुनाव से बड़ा नुकसान होता है। अक्सर अविश्वास के प्रस्ताव लाये जाते हैं जिससे काम में रुकावट पड़ती है। इसलिये आप नगरपालिकाओं के चुनाव प्रत्यक्ष करायें, अध्यक्ष का चुनाव भी प्रत्यक्ष करायें। इन ५–६ सुझावों के बाद में अपनी बात को समाप्त करता हूं। यदि आप समाजवाद और गांधीवाद का नारा लगाते हैं तो आपको रिक्शा चालकों की समस्या को तुरन्त हल करना चाहिये.....।

**श्री अध्यक्ष**—आपका समय समाप्त।

**श्री शुगनचन्द मजदूर** (जिला मुजफ्फरनगर)—माननीय अध्यक्ष महोदय माननीय स्वायत्त शासन मंत्री ने जो अनुदान उपस्थित किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। आपकी कृपा से मैं आज जिन्दगी में पहली बार इस प्रकार सदन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। राज्य की नगर महापालिकाओं, नगरपालिकाओं, टाउन एरियाज और नोटीफाइड एरियाज में जो सफाई का कार्य कर रहे हैं जिनको आज भी सभ्य और पढ़े लिखे भाई मेहतर और भंगी के नाम से पुकारते हैं उनकी थोड़ी सी दिक्कतों को मैं, आपके द्वारा माननीय मंत्री जी को बतलाना चाहता हूं। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जबसे सृष्टि हुई और वर्ण व्यवस्था बनी, तब से सफाई करने का कार्य हम लोगों पर थोपा गया उस समय से आजतक ईमानदारी के साथ हम राष्ट्र की सेवा करते चले आ रहे हैं। यह भी आशा है कि अगर समाज के यह झगड़े इसी प्रकार चलते रहे तो शायद अभी काफी दिनों तक यह कार्य हमें मजबूरन करना पड़ेगा।

हमारे पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी स्वराज्य की कुंजी खोजने के लिये दिल्ली में भंगी बस्ती में ठहरे थे तो हम यह भी आशा करते थे कि हमारे माननीय मंत्री जी जोकि कट्टर गांधी-वादी हैं वह भी किसी भंगी बस्ती में जाकर उनके रहन-सहन के ढंग, उनके बच्चों की तालीम, उनके मकानों की दशा देखने की कृपा करेंगे और यह भी देखेंगे कि हमारे ऊपर नगरपालिकाओं

[श्री शुगनचन्द मजदूर]

के सेनिटरी इंस्पेक्टर, चीफ सेनिटरी इंस्पेक्टर और एग्जीक्यूटिव आफिसर किस प्रकार का शोषण करते हैं, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। सफाई करने के औजार और पात्र जो बाबा आदम के जमाने में थे वही आज भी चले आ रहे हैं।

आप यह सोचिये कि हमारे बच्चे और हमारी औरतें जो झुके-झुके झाड़ू लगाते और पाखानें की टोकरियां कई फर्लांगों तक ढोती हैं वह भी इस देश की वैसी ही नागरिक है जैसेकि देश की अन्य भद्र महिलायें। आज भी उनके सर से पाखाने की टोकरी नहीं हट सकी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक पशु, गदहा, घोड़ा या बैल से भी उसी समय काम लिया जाता है जब वह बालिग हो जाता है दांत कर लेता है लेकिन इन्सान के बच्चे, राष्ट्र की सफाई का कार्य करने वाले, राष्ट्र की नोबुल सर्विस करने वाले आठ, दस, ग्यारह साल के बच्चे डेढ़-डेढ़, दो-दो फर्लांग झुकी हुई कमर के साथ सफाई का कार्य करते हैं। इसके एवज में उनको क्या मिलता है?

मैं मेरठ नगरपालिका की मिसाल रखना चाहता हूं। जो औरतें और बच्चे प्राइवेट घरों को कमा कर सरों पर मैला ढोते हैं जिनका खाद बनता है उसकी बिक्री डेढ़ लाख रुपया वार्षिक है, अगर मुझे सही इत्तला है। जितने भंगी उसमें मुलाजिम हैं, औरतें भी हैं उन पर जो वार्षिक खर्च है वह भी डेढ़ लाख रुपया है। इसका अर्थ यह है कि मेरठ नगरपालिका में जितने भी ६००–७०० भंगी काम करते हैं वे सारे के सारे बेगार करते हैं। बरसात के मौसम में जब कि पानी बरस रहा होता है वे अपने सर पर पाखाने का टोकरा रख कर ले जाते हैं जो चू चू कर उनके मुंह व सारे बदन पर भी जाता है। वह पाखाना जो एक तरह से उनकी अपनी गाढ़ी कमाई है उसको भी म्युनिसिपैलिटी एक डेढ़ लाख रुपये में वार्षिक बेच दिया करती है और वही पैसा उनको वेतन के रूप में दे दिया करती है। इस तरह से वहां भंगियों से एक तरह से मुफ्त में काम लिया जाता है। कई मर्तबा इसकी मांग की गयी, लेकिन उस पर कोई विचार अभी तक नहीं किया जा सका। हमारे यहां की सूबे में जितनी भी टाउन एरियाज हैं वहां की हालत बड़ी बुरी है। जिस क्षेत्र से मैं आता हूं वहां के टाउन एरिया की हालत यह है कि भंगियों को दस-दस महीने तक की तनख्वाह नहीं दी जाती है और यह दशा दसियों साल से है और वहां मरे हुए मवेशियों के चमड़े का ठेका स्वयं चेयरमैन ने दे दिया है। चौकीदाराना वही बदस्तूर जारी है। टाउन एरिया के किसी भी हरिजन मुहल्ले में सफाई व रोशनी का कोई इन्तजाम नहीं है। कहीं भी न तो खड़ंजे फर्श का इन्तजाम है और न पीने के लिये पानी की ठीक व्यवस्था है। इस परिस्थिति में हमारी औरतों व बच्चों को यह राष्ट्र की सफाई का काम करना होता है।

जहां तक यू० पी० की टाउन एरियाज का सवाल है, आपके द्वारा माननीय मंत्री से अदब के साथ मेरी यह मांग है कि या तो इन तमाम टाउन एरियाज को सुपरसीड कर दिया जाय या इनकी जगह नगरपालिकायें बना दी जायं तब शायद कुछ सुधार हो सकता है, वरना उनका सुधार नहीं हो सकता है। उनका जो शोषण होता है वह बदस्तूर जारी रहेगा।

पूज्य महात्मा गांधी का कहना था कि चूंकि सेवा भाव मुझे प्यारा है इसलिये भंगी भी मुझे प्यारा है। चाहे कोई भी बीमारी ताऊन, हैजा, चेचक फैला हुआ हो, लेकिन अपनी जान को खतरे में डाल कर भी सफाई करने के लिये ईमानदारी से बराबर जाते हैं। उनको इस बात की परवाह नहीं होती कि इस बीमारी के कीटाणु हमारे घर के बीबी-बच्चों को लग जायेंगे या उससे हमारी बस्ती में बीमारी फैल जायगी। जो काम उनके सुपुर्द आपने कर रखा है उसको ईमानदारी के साथ वे करते हैं फिर भी उसका मुआवजा उनको यह मिलता है ६–६ महीने के बाद कमाने पर उनकी तनख्वाह उधार खाते में पड़ी रहती है।

सन् १९४६ में सरकार ने एक कमेटी बनायी थी, लेकिन उसकी सिफारिश को सभी टाउन एरियाज में पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया है। आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि जहां तक उनकी तनख्वाह की समस्या है, उसके लिये और आप कोई ऐसी कमेटी बिठाल दें तो लोगों पर आपका बड़ा उपकार होगा। जहां तक उनकी व्यवस्था का प्रश्न है उसके

लिये आपको कोई ऐसा प्रबन्ध करना चाहिये कि कुछ दिनों के बाद आगे चल कर उनके वे निजी मकान हो जायं । सफाई करने के जितने औजार हैं वे भी नये ढंग के होने चाहिये । जब कि हर एक सेवा की ट्रेनिंग होती है तो सफाई करने के कार्य की भी ट्रेनिंग स्कूल खोलकर दी जानी अति आवश्यक है ।

श्री बनवारीलाल विप्र––माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार की ओर से जो अनुदान की मांग की गयी है उसके विरोध में और हमारे विरोधी पक्ष की ओर जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है उसके समर्थन के लिये मैं खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, स्वायत्त शासन से एक प्रकार से स्वशासन शब्द का आभास होता है । जहां लोगों को अपनी मर्जी के मुताबिक अपने क्षेत्र की जो आवश्यकता है, जनता की चिकित्सा के सम्बन्ध में, शिक्षा के सम्बन्ध में, सफाई, सड़कें आदि आदि, यदि वे आज भी कोई परेशानी महसूस करें तथा वहीं पर वे लोग अपनी कंडिशंस के मुताबिक वहीं के वहीं कोई निष्कर्ष निकालें, कोई तरीका निकालें तो अधिक अच्छा होगा ।

पहले तो यह विभाग म्युनीसिपैलिटी के रूप में काम करता था और आज भी कर रहा है लेकिन पहले जहां केवल पालिकायें थीं वहां अब कई नगर महापालिकायें हो गयी हैं । ऐसी महापालिकाओं के बीच में रह कर अच्छी तरह से आप देख सकते हैं कि वहां होता क्या है । सरकार की तरफ से तजुर्बा करने के लिये ही प्रशिक्षण की कोई योजना बन सकती है जिससे भविष्य में और भी महापालिकायें बनाई जावें । अगर यह सफल हो गई तो आगे चल कर जनता को इसका फायदा अच्छी तरह से मिल सकता है । मैं ज्यादा विशेष आलोचना नहीं करूंगा लेकिन एक विशेष प्रकार की योजना के बारे में अवश्य कुछ निवेदन करना चाहता हूं । जिसे मैं अपने शब्दों में घटवासिनी योजना के नाम से पुकारता हूं । "घटवासन" शब्द हमारे आगरा क्षेत्र में लोगों को किसी समय बड़ा सुन्दर लगता था । लेकिन उस योजना के नाम पर गरीब लोगों के घरों को गिराया गया गन्दी बस्ती के नाम पर जो मकान गिराये जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि वह योजना इतनी अच्छी सिद्ध नहीं हो पा रही है, जितनी कि घटवासन योजना के नाम पर पहले व्यवस्थित की गयी थी । इस योजना में एक मकान मोतीलाल जी का था, जिनकी विधवा स्त्री ने बहुत कहा कि यह मकान न तोड़ा जाय । लेकिन बगल में कलकत्ते वाली कोठी के नाम से एक बहुत बड़ा बंगला बना हुआ है । उसके तोड़ने की योजना को रद्द करके उस गरीब विधवा के बाड़े को तोड़ दिया गया और वहां से सड़क बनाई गयी । केवल एक सड़क बनाने के लिये सारे मकान तोड़े गये और जो खाली जमीन रही उसे, बजाय इसके कि उन गरीब लोगों को दिया जाता, नीलाम किया गया और बड़े बड़े पूंजीपतियों ने, सेठों ने , उसे खरीदा । इन गरीब लोगों को भी गृह-निर्माण योजनाओं के अन्तर्गत सुविधायें प्रदान करनी चाहिये ।

मान्यवर, हमारे यहां बलकेसर कालोनी केवल मजदूरों के लिये बसाई गई थी । लेकिन आज इस बलकेसर कालोनी में अधिकतर, पूंजीपति, व्यापारी वर्ग और ३५०, ३५० रुपये की तनख्वाह पाने वाले लोग रहते हैं । गरीबों के लिये वहां जगह नहीं है । उस कालोनी का पानी नीचे के बसे हुये क्षेत्र में जिसमें लगभग ४५० घर बसे हैं, जाता है, जिसमें तमाम मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं और बीमारी की आशंका बनी रहती है । पानी से वहां के मकान गिर जाते हैं लेकिन महापालिका से कोई हरजाना नहीं मिलता है । महापालिका को कर्ज के रूप में पैसा दिया जाता है कि वह जनता के संकट को घर बनवा कर दूर करें । परन्तु अभी तक इससे कोई फायदा नहीं हुआ है ।

महापालिकाओं के विकसित होने से उनके क्षेत्रों में देहाती इलाका भी आ गया है । हमारी प्रार्थना है कि इन देहाती क्षेत्र वालों को भी नागरिक सुविधायें प्रदान करने की कृपा करें । इन्टरटेनमेंट टैक्स जो महापालिकायें वसूल करती हैं उसमें से कम से कम आधा महापालिका को वहीं का वहीं दे दिया जाना चाहिये । जिससे उन्हें राज्य सरकार से कर्जा न लेना पड़े और ब्याज से भी बच सकें । रिजिनल ट्रांसपोर्ट आफिस के मार्फत जो ट्रक महा-

[श्री बनवारीलाल विप्र]

पालिकाओं की सड़कों पर चलते हैं वे वहां की सड़कों को खराब करते हैं, इसलिये उनके टैक्स से अगर रुपये में से चार आने महापालिकाओं को दे दिये जावें तो उनको इस नुकसान से छुटकारा मिल सकता है।

बलकेसर कालोनी के पास टोल टैक्स पर दो रुपये की गाड़ी लेकर खरबूजे की गाड़ियां निकाल दी जाती हैं। इस तरह के भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये आवश्यक है कि समय समय पर जांच कमेटियां बैठाई जावें। और आफिसर लोग जाकर वहां देखें। इसी प्रकार तहबाजारी की रसीद न काट कर कर्मचारी लोग २ आने लेकर जेब में रख लेते हैं। मैंने बहुत पतले लोगों को भर्ती होते देखा और कुछ ही समय में देखा कि वह मोटे ताजे हो जाते हैं। मेरी समझ में इसका कारण भ्रष्टाचार ही है। एतमादुद्दौला की चौकी पर तो इतना करप्शन है कि वहां साझेदारी चलती है। लोडेड ट्रक से ५ पये बंधे हुये हैं। यह हमारे यहां एक अजीब सी परम्परा होती जा रही है जिससे महापालिका को बहुत हानि हो रही है।

मेरी सरकार से मांग है कि घटवासिनी योजना को तुरन्त वापिस लिया जाय। वहां के लोगों को बसाने के लिये राजकीय स्तर पर कुछ भी नहीं किया गया है। उनके पास महापालिका की ओर से यह नोटिस भेजा दिया गया कि तुम्हारे मकान गिराये जावेंगे, तुम उन्हें खाली कर दो लेकिन हमारे ही बच्चे निकाल कर फेंक दिये जावें और नीम के पेड़ के नीचे रहें तो यह हमारे लिये गौरव की बात नहीं होगी। कोई कठिनाई हो तो वह हमारे सामने आनी चाहिये और उस को राज्य सरकार को स्वीकार करने में भी कोई नुकसान नहीं है लेकिन जब कोई योजना बनाई जाय और उसमें डिक्टेटरशिप की नीति बरती जाय कि नहीं आप के मकान तोड़े जायेंगे, हम उन को लिखें और सारी बातें पूरी करें लेकिन फिर जवाब आये कि नहीं हम तो तोड़ेंगे, फिर जनता कहां रहेगी और इस तरह से सरकार की तोड़ने की योजना नहीं होनी चाहिये, उसकी योजना बनाने की होना चाहिये। ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करूंगा कि इस योजना को फौरन वापस करना चाहिये और परिवारों के और सरकार के प्रतिनिधि पहले आपस में बैठ कर बात कर लें और जब तक कोई हल न निकल आये किसी तरह का प्रतिबन्ध लगाना उचित नहीं है।

**श्रीमती सुशीला रोहतगी** (जिला कानपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान के समर्थन के लिये खड़ी हुई हूं। सब से पहले मैं इतना कहना चाहती हूं कि यह जो लोकल बाडीज का क्षेत्र है यह बहुत बड़ा क्षेत्र है और इस थोड़े से समय में अगर मैं चाहूं भी और एक सरसरी निगाह भी पूरे विभाग पर डालने की चेष्टा करूं तो यह मुमकिन है और सम्भव हो सके लेकिन फिर भी सारी बातों के साथ इन्साफ और जस्टिस न हो सकेगी। इसलिये मैं अपने को केवल महापालिकाओं तक ही सीमित रखूंगी।

मेरे पहले मेरे भाई जो कानपुर से चुनकर आये हैं उन्होंने कानपुर के संबंध में बहुत सी बातें आप के सामने रखीं और मैं भी उन की उन बातों से सहमत हूं लेकिन कुछ चीजें रह गई हैं, मुमकिन है कि उनके पास वक्त होता तो शायद वह उन के विषय में भी कह सकते। जो बातें रह गई हैं उन्हीं पर मैं प्रकाश डालने की चेष्टा करूंगी।

अभी पिछले साल बम्बई में इस संबंध में महापालिकाओं के मेयरों या नगर-प्रमुखों की एक कांफ्रेंस हुई थी और देश के विभिन्न महापालिकाओं के प्रतिनिधि उस में उपस्थित हुये थे। मुझे भी उसमें सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और मैं वहां पर गई थी। मैंने जब वहां के प्रतिनिधियों की बातों को सुना तो मैंने यह फील किया कि वहां बहुत सी ऐसी समस्यायें थीं कि जो हमारी सब की कामन थीं। मैं आज माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि जो पिछली हमारी वह कांफ्रेंस बम्बई में हुई थी उस में जो प्रस्ताव पास हुये थे उन में से कितनों की पूर्ति यहां हुई है और कितनों पर हम अमल कर सके हैं। मैं कहना चाहूंगी कि यह जो लोकल बाडीज के या महापालिका के चुनाव होते हैं वह सब शक्ति के विकेन्द्रीकरण के आधार पर होते हैं और उसी के अनुसार यह महापालिकाओं का हमारे यहां एक नया एक्सपेरीमेंट हो रहा है।

जनता के प्रतिनिधि एक नई आशा लेकर, एक जिम्मेदारी लेकर यहां आते हैं और जनता के और हम प्रतिनिधियों के दिल में एक उमंग होती है और बड़े बड़े स्वप्न होते हैं जिन को साकार करने की चेष्टा वह लोग वहां करते हैं। लेकिन उन को साकार करने में तरह तरह की और बड़ी-बड़ी अड़चनें उन के सामने आती हैं, कभी-कभी तो उन को देखकर अजीब फ्रस्ट्रेशन सी होती है कि क्यों यह सब नई नई चीजें बनाई जा रही हैं जब इन में इतनी दिक्कतें है। लेकिन फिर भी हमें धैर्य के साथ उन अड़चनों का मुकाबला करना है और कोशिश करनी है कि धीरे धीरे वह दूर होती जायं और जनता के हित में जो कुछ भी किया जा सके, वह करें क्योंकि जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि एक प्रतिनिधि की हैसियत से एक कारपोरेटर की या मेम्बर की बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है।

यह सच है कि मुख्य नगर अधिकारी ही एक मुख्य अथारिटी कारपोरेशन की है और उसके हाथ में बहुत से अधिकार होते हैं। उन से सम्पर्क जो रखता है वह रखता ही है और शिष्टता के नाते ही कुछ काम की बात हो जाती हैं। लेकिन मैं यह समझती हूं कि उन के लिये यह आवश्यक है कि इस नये एक्सपेरीमेंट में उनका यह फर्ज हो जाता है कि वह और हम सब मिल कर एक उत्तरदायित्वपूर्ण नागरिक की तरह स्वस्थ परम्परायें बनायें और जो अड़चनें हमारे सामने आती हैं उन का मुकाबला करें। हमारे देखने में आता है कि बहुत से प्रस्ताव महापालिका से पास होते हैं लेकिन जब वह सरकार के पास आते हैं तो सरकार उन की पूर्ति नहीं करती। जैसे मिसाल के तौर पर कानपुर नगर महापालिका ने नगर ट्रान्सपोर्ट को लेने की बात की जैसा कि अभी यहां जिक्र किया गया। माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा कम कहा। वास्तविकता यह है कि नगर ट्रान्सपोर्ट का विषय महापालिका के लिये कोई कार्मशियल आय की चीज नहीं होनी चाहिये। बल्कि जरूरत है इस बात की कि इतना बड़ा शहर कानपुर जिस की आबादी ९ लाख ४३ हजार की है वहां के नागरिकों को शहर की इतनी बड़ी दूरी में जाने आने की सुविधायें हों, जहां १०० स्क्वायर माइल का क्षेत्र हो, इतने बड़े शहर में एक कोने से दूसरे कोने तक जाने के लिये नागरिकों को यातायात की सुविधा होना चाहिये, हरएक नागरिक को समय से बसें मिल सकें, कितने कितने लोगों को घंटों इंतजार करना होता है और उस के बाद भी सुविधा नहीं मिलती। इस के अलावा जो हमारी बसें हैं वह बहुत खराब हालत में हैं। इसलिये ज्यादा अच्छा होता कि यह सब सोच समझकर महापालिका का जो निर्णय है उस को सरकार स्वीकार करती और ट्रान्सपोर्ट सर्विस को वह अपना ले लेकिन अभी तक तो सरकार ने महापालिका के इस निर्णय को स्वीकार नहीं किया है। मुझे तो यह जानकार आश्चर्य हुआ, मैं तो मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगी कि कानपुर ९ लाख ४३ हजार आबादी का प्रदेश का सब से बड़ा शहर है और वहां सबसे बड़ी प्रदेश की ८० सदस्यों की महापालिका है। उसका भी थोड़ा हक ध्यान में रखते हुए इस पर जल्द से जल्द कार्यवाही सरकार करेगी।

दूसरा प्रस्ताव महापालिका द्वारा पास हुआ है कर्मचारियों के संबंध में। कानपुर बहुत बड़ा नगर है, बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जिनको १०० रु० से कम तनख्वाह मिलती है। यह निर्णय हुआ था कि जो १०० रु० से कम तनख्वाह पाते हैं उनको २० रु० नगर भत्ता दिया जायगा। पर उस पर भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। यहां तक कि ऐग्जीक्यूटिव कमेटी ने सवा ९ लाख रुपया इस काम के लिये अलग से रख दिया था, परन्तु आज तक कोई निर्णय नहीं हुआ। मैं चाहूंगी इस पर तुरन्त ध्यान दिया जाय।

इसके अलावा स्लम क्लीयरेंस योजना है। यह सही है बहुत अनुदान हमको मिल रहा है इस काम के लिये और कानपुर में ६ हजार के करीब क्वार्टर्स बने हैं। लेकिन जहां इंसीडेंस आफ टी० बी० संसार में सबसे ज्यादा हो, जहां शहर में एक तरफ बड़ी-बड़ी अट्टालिकायें हैं उसी के बगल में लोग ऐसा नारकीय जीवन उन बस्तियों में व्यतीत कर रहे हैं जिनको देखा नहीं जाता और जो लोग बेचारे वहां रह रहे हैं उनके पास बेसिक एमेनिटीज नहीं है। तो किस प्रकार से हम सोच सकते हैं कि वे लोग स्वस्थ नागरिक बन सकते हैं। उनके बच्चों को प्राइमरी

[श्रीमती सुशीला रोहतगी]

शिक्षा में हम जबरन जरूर भेज सकते हैं पर उनके मन की इच्छा के विरुद्ध हम उनके लिये क्या कर रहे हैं ? मैं कहूंगी स्लम क्लीयरेंस योजना के लिये बहुत जरूरी है कि जो लोग वहां पर रह रहे हैं उनको एकदम न हटाये बल्कि उसके पहले मेरा सुझाव है कि एक बड़ी इम्पार्टेन्ट कमेटी बनायी जाय जो विचार करे कि जो हटाये जा रहे हैं उनको जहां तक हो उसके पास रहने दिया जाय। लक्ष्मीपुरवा की बस्ती में हरिजन रह रहे हैं अब उनको शहर से ६ मील दूर भेजा जा रहा है। अगर वह ६ मील दूर शहर से रहते हैं तो उनके आने जाने, खाने पीने, रोजगार को देखने वाला कौन है ? तो इस काम के करते समय हमको थोड़ा ह्यूमन ऐप्रोच भी एडाप्ट करना चाहिये। अगर स्लम्स हटाने हैं तो यह सोचना है कि उजड़ा हुयी बस्ती के लोगों को शहर के जहां तक पास हो सके वहीं उनको रखा जाय। नहीं तो कानपुर में मैं देखती हूं कि एक स्लम हटता है उसी के नजदीक में दूसरा स्लम एरिया तैयार हो जाता है।

अब मुझे हातों के सम्बन्ध में कहना है। हाता बाई लाज बने हुए हैं। कानपुर में अनेक हाते हैं, मैंने कोशिश की स्वच्छता के बारे में, मैंने मासिक स्वच्छता दिवस का प्रस्ताव पास करवाया और उसको कार्यान्वित भी करवाया, परन्तु हर महीने डी० डी० टी० का छिड़काव होने से काम नहीं चलता। हमने देखा १५ वर्ष पहले, १९४६ में हाता बाई लाज बनाये गये थे और आज तक उसी को हम लोग एनफोर्स कर रहे हैं। इसलिये आवश्यक है कि चेन्ज्ड कंडीशन को देखते हुए नये हाता बाई लाज बनाये जायं ताकि महापालिका को इतनी शक्ति मिल सके कि वह हाता के मालिकों को जल्दी से जल्दी मजबूर कर सके अपनी बात मनवाने के लिये कि वे अपने किरायेदारों को बेसिक एमेनिटीज प्रोवाइड करें। और अगर वे ऐसा न करें तो महापालिका उनके खिलाफ उचित कार्यवाही शीघ्र से शीघ्र करने के लिये सक्षम हो सके।

अब मुझे थोड़ा सा अनिवार्य शिक्षा के बारे में कहना है। कानपुर में सैकड़ों स्कूल हैं। लेकिन खाली स्कूल की इमारत खड़ी कर देने से ही काम नहीं चलता, उसकी बेसिक वैल्यू क्या है, अगर उसके पास अच्छा खेल का मैदान नहीं है, अच्छे टीचर्स नहीं है, क्योंकि टीचर्स को कम तनख्वाह मिलती है इसलिये स्वाभाविक है कि अच्छे टीचर्स नहीं मिल सकते, न लाइब्रेरी का प्रबन्ध है, न बच्चों के मिड डे मील का प्रबन्ध कर सकते हैं, तो आप सोचें कैसे स्कूल चलेगा ? यह एक फार्स है। हम लोगों को ऐसा लेजिस्लेशन बनाना चाहिये कि जिस प्रकार दिमाग के विकास के लिये कुछ साधन होना आवश्यक है उसी प्रकार उन स्कूलों में शारीरिक शिक्षा के लिये भी उचित साधन तथा प्रबन्ध होना चाहिये।

अतः मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि ऐसा सरकारी आदेश जारी हो कि कोई भी नया स्कूल बने, इसके पहले यह देख लिया जाये कि उसके साथ खेलने का मैदान अवश्य है।

इसके अतिरिक्त स्कूल बनाने में अनेक अड़चनें पड़ती हैं। जमीन ऐक्वायर करने में सालों लग जाते हैं। इसके लिये इनेक्टमेंट की आवश्यकता है। स्कूल, अस्पताल, मार्केट के लिये मुख्य नगराधिकारी के पास इतनी शक्ति हो कि वह शीघ्र से शीघ्र इन चीजों की स्थापना कराने के लिये उचित कार्यवाही कर सके।

एक बात जो खास तौर से कानपुर से संबंधित है वह नई बस्तियों की है। इतने बड़े शहर में १०० नये गांव महापालिका के अन्तर्गत आये हैं। हाउस टैक्स लिया जाता है लेकिन रोशनी, पानी और शिक्षा की व्यवस्था नहीं होने पाती है। मैं तो देखने गई हूं कि बाढ़ आने से कुछ कांस्ट्रक्शन हो गया है। लेकिन ऐसा भ्रष्टाचार फैला हुआ है इस डिपार्टमेंट में कि धर्म तो इस डिपार्टमेंट का है सेवा करना, लेकिन होता यह है कि शहरों में अनआथाराइज्ड कांस्ट्रक्शन जो हो गया है उसे माफ कर दिया जाता है कम्पेनसेशन ले कर लेकिन गांव में लोग टूटी-फूटी जगह में रहते हैं, धूप में रहते हैं लेकिन लोग गांव में जहां रहते हैं वहां डिमालिशन आर्डर सर्व हो जाता है। इन सब बातों की ओर सरकार को ध्यान रखना चाहिये।

दो साल में कानपुर महापालिका ने जो काम किया है उसके लिये हमें नाज है, गर्व है। फाइव ईयर प्लान बनाया गया है। सड़कों को चौड़ा किया गया है। मैं तो यहां तक कहने के लिये तैयार हूं कि हजरतगंज जिसका नाम सारे प्रांत और देश में लिया जाता है जरा कृपा करके कानपुर में मोती-झील भी चल कर देखिये और वहां का दृश्य हजरतगंज से किसी तरह से कम नहीं होगा।

सड़कें वहां अच्छी तरह से चौड़ी की जा रही हैं। नये बाजार बनाये जा रहे हैं। टैगौर स्मारक का शिलान्यास हुआ है, नये सीवर का कनेक्शन हो रहा है, केंद्रीय पुस्तकालय की स्थापना में सहायता दी जा रही है। मेरा खयाल है कि हम लोगों के अरमान दस साल के अन्दर पूरे हो जायेंगे।

**श्री लखपतराम शर्मा** (जिला झांसी)—अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस अनुदान पर अपने विचार व्यक्त करने के लिये जो समय दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। झांसी की नगरपालिका और महापालिकाओं के जिम्मे जनता के प्रति बहुत बड़ी जिम्मेदारी और कर्त्तव्य होता है और शहर के अन्दर रोशनी, बिजली, पानी, सफाई, बच्चों की शिक्षा शुद्ध चीजों के मिलने आदि में नगरपालिका का प्रबन्ध होता है। मगर यह हमारा दुर्भाग्य है कि अब तक अधिकांश नगरपालिकायें व महापालिकायें इस जिम्मेदारी से दूर हैं और अगर कोई फर्ज या कर्त्तव्य बना रखा है तो सिर्फ यह बना रखा है कि आये दिन जनता जनार्दन को लूटें और उसके पैसे को अच्छी तरह से हड़पने की कोशिश करें। बदकिस्मती से मैं भी करीब १० साल से झांसी नगरपालिका का सदस्य हूं और यह दुर्भाग्य समझिये या सौभाग्य समझिये कि जहां पहले वहां २० सदस्य थे अब उनकी संख्या ४० कर दी गयी है। ४० सदस्यों का जो सम्मान व चर्चा जनता में है मैं उस संबंध में इतना ही सिर्फ कह सकता हूं "अली बाबा और चालीस·····" इसके आगे के शब्द को आप स्वयं समझ लीजिये इसी में पता चल जाता है कि हम लोगों को कितनी इज्जत और सम्मान वहां मिलता है।

जहां तक इस सफाई, शिक्षा और बिजली आदि का संबंध है नगरपालिकायें उससे बहुत दूर हैं। इस हद तक दूर होने का कारण यह है कि आज के युग में उस आदमी की खास इज्जत की जाती है जो चुनाव में हार जायं। जीते हुये आदमी का सम्मान उतना नहीं होता। यह सौभाग्य झांसी को भी प्राप्त है कि वहां के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। वह एक वार्ड की मेम्बरी तक में सन् ५७ में हार गये और हार जाने के बाद भी इनको नगरपालिका का अध्यक्ष बना दिया गया डेढ़ लाख की आबादी पर जबरदस्ती बैठा दिया गया। यह खूबी है हारने की। टाइम कम है वर्ना मैं इतनी तैयारी के साथ आया था कि दिन भर का समय मिलता तो आइटमवाइज लूट-खसोट का जिक्र करता।

कानपुर की अदालत में २७ मामले एक शक्ल में चल रहे हैं जिसमें नगरपालिका के ४ सदस्य हैं जो सस्पेंडेड हैं और ९ दूसरे मुलजिम हैं। बोगस रिफंड केस के नाम से यह केस मशहूर है। इसी तरह से झांसी में जुडीशियल मैजिस्ट्रेट की अदालत में एक दिलचस्प केस इस बात का चल रहा है कि एक अभियोगी शहर के बड़े-बड़े व्यापारियों का माल ले जाता था और रात्रि में तकसीम करवा देता था। इस बात की इत्तिला हमने जिलाधीश को दी और उसके यहां पुलिस को लाया गया और बहुत व्यापारियों का माल पकड़ा गया और उन व्यापारियों का भी माल है जो लखपती व्यापारी हैं और इनकम टैक्स देते हैं। कोर्ट के अन्दर केस मौजूद है। आखिर यह सब होता क्यों है? इसलिये होता है कि इसकी सारी जिम्मेदारी हम लोगों पर है। वर्तमान म्युनिसिपैलिटीज के लिये आपने कानून बनाये हैं और वे कानून ऐसे हैं कि अधिकारियों की रक्षा होती रहे।

जिस शहर की नगरपालिका में मैं दस साल से म्युनिसिपल बोर्ड का मेम्बर हूं वहां ८५ आदमियों को बिना कलेक्टर या कमिश्नर व बोर्ड की स्वीकृति के नाजायज तरीके से नौकर रख लिया गया और यहां तक हुआ कि अध्यक्ष ने अपने रिश्तेदारों को तरक्की देने के लिये चपरासी

[श्री लखपतराम शर्मा]

और मुंशी लोगों को इंस्पेक्टर बना दिया। श्रीमन्, हम लोग इतने भी बदनसीब हैं इस मामले में कि करीब २५ हजार रुपये के पानी के मीटर जो सरकार की तरफ से वहां लगाने के लिये दिये गये थे वह सारे के सारे एकदम गायब हो गये हालांकि इतने मीटरों को ले जाने के लिये कई बैलगाड़ियों की आवश्यकता थी। दूसरी खूबी यह है कि कहीं से दरवाजा नहीं टूटा, कहीं से खिड़की नहीं टूटी और जहां मीटर रखे थे वहां बक्सों के ऊपर धूल वगैरह जमी होने पर भी किसी तरह का कोई हाथ या पैर का निशान नहीं था लेकिन २५ हजार रुपये के सारे के सारे मीटर गायब हो गये यह अचरज की बात है।

इसी प्रकार मैं बताऊं, जहां तक पानी का सवाल है, एक दो घड़ा पानी के लिये झांसी के लोग तरसते हैं। कई तार मेरे पास आये, मैंने उन्हें जिलाधीश के पास भेज दिया। प्रबन्ध में कड़ाई की आवश्यकता थी लेकिन रियायत की जाती है। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा सदन के समक्ष एक अजीब घटना रखने जा रहा हूं। जिन बिजली के मीटरों द्वारा झांसी की डेढ़ लाख जनता को पानी दिया जाता है उन मीटरों को जानबूझ कर जला दिया जाता था और यह घटना एक वर्ष में तीन, चार बार झांसी में हुई। श्रीमन्, तेजाब डाल कर उन मीटरों को जला दिया जाता था उनके क्वायल जला दिये जाते थे। हमने यह लिखकर माननीय रामसहाय जी कमिश्नर साहब से शिकायत की, सरकार को भी लिख कर दिया, जांच हुई। इसमें एक और बड़ा भारी रहस्य था कि मीटर के एक या दो क्वायल जलते थे और नगरपालिका के अध्यक्ष द्वारा दो, ढाई हजार रुपये का पेमेंट कर दिया जाता था और बताया यह जाता था कि १८–२० क्वायल जल गये। एक क्वायल की ठीक कराई २५–५० रुपये होती है लेकिन १८–१८ क्वायल जले हुये बता कर दो, ढाई हजार रुपया पब्लिक का वेस्ट कर दिया जाता था। हम लोगों के शिकायत करने पर माननीय रामसहाय ने उस मामले की और भी जांच कराई थी उसके बाद फिर आजतक मशीन नहीं जली, श्री रामसहाय जी द्वारा स्वयं मौके पर तेजाब की बोतल पकड़ी गई थी। लेकिन आज भी झांसी के लोग एक एक घड़ा पानी के लिये तरसते हैं।

इसके अलावा श्रीमान् की सेवा में एक बात और रखना चाहता हूं। झांसी के लोगों ने यह मांग की कि बिना वापसी चुंगी वहां शीघ्र लागू की जाय। करीब १२–१३ हजार रुपये विज्ञापनों पर खर्च किया गया कि झांसी में बिना वापसी चुंगी लागू होगी। होता क्या है कि किशमिश आती है तो उसकी जगह महुआ लिख दिया जाता है। इस तरह का केस पकड़ा गया झांसी के अन्दर लेकिन झांसी की नगरपालिका के अध्यक्ष को उत्तर प्रदेश में यह सौभाग्य तक प्राप्त था कि विधान सभा के ४८ माननीय सदस्यों ने एक साथ, जिसमें सभी विरोधी पार्टियों के नेता लोग भी थे, यह मांग की कि उनके खिलाफ तफतीश की जाय और मुकदमा चलाया जाय, व उन्हें उनके पद से हटा दिया जाय। जैसा कि देश के बड़े बड़े अखबारों ने भी लिखा कि झांसी के वर्तमान चेयरमैन को मुअत्तल किया जाय, उसे कोर्ट में दिया जाय। मैं आभारी हूं इस बात का कि माननीय कैलाश प्रकाश के मंत्रित्व काल में उस चेयरमैन को सस्पेंड भी किया गया, लेकिन यह एक अभूतपूर्व घटना है कि १४–८–६१ को यहां से टेलीफोन से उनको बहाल करा दिया गया। मैं उनका निज का कोर्ट का बयान भी बताता हूं जिसमें उन्होंने तस्लीम किया था कि मैं कर्ज में मकरूज हूं और उन्होंने श्रीमन्, एक स्टेटमेंट भी दिया था। इसके अलावा श्रीमन्, मैं आपके सामने यह भी रखना चाहता हूं कि वह केवल दर्जा आठ पास हैं और इससे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, कर्ज से मकरूज थे, फिर भी अगर आज उनकी माली हालत देखी जाय तो लखपतियों से कम नहीं समझी जाती।

श्रीमन्, एक चीज और मैं आपके द्वारा रखना चाहता हूं कि अध्यक्ष द्वारा जिला बोर्ड की स्वीकृति के कानपुर से एक पिक अप गवर्नमेंट के सूचना विभाग द्वारा नीलाम जो १,७०० रु० में हुयी थी, ७,१०० रुपये में खरीदी गई। उसकी श्रीमन्, सी० आई० डी० द्वारा इंक्वायरी हुई। जब अध्यक्ष ने यह देखा कि मामला संगीन हो गया है और उनके

खिलाफ कार्यवाही न हो, इसके लिये उन्होंने कोर्ट में एक मुकदमा दीवानी में दायर कर दिया । किसी मुकदमे में राय देना अपराध हो सकता है लेकिन उस मुकदमे के वाकयात के बयान करने में कोई अपराध नहीं है । श्रीमन्, मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट व प्रीवी कौंसिल की रूलिंग रखने को तैयार हूं कि कानून की मंशा यह है कि कानून के कर्त्तव्य पालन करने में किसी को रोका नहीं जा सकता है मैं जानना चाहता हूं कि किसी व्यक्ति के खिलाफ यदि पुलिस स्टेशन में नाम दर्ज रिपोर्ट है और पुलिस उसको गिरफ्तार करना चाहती है और वह आदमी अदालत दीवानी में कोई मुकदमा दायर कर दे तो क्या उसको गिरफ्तार नहीं किया जायगा ? जो नीति झांसी नगरपालिका के अध्यक्ष के साथ बरती गई क्या वह हर व्यक्ति के साथ बरती जायगी ? यदि सरकार की यह नीति है तो कोई जांच या कार्यवाही उत्तर प्रदेश में हो ही नहीं सकेगी । क्या अध्यक्ष को ससपेंड नहीं किया जा सकता है, क्या उसके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, क्या उसके खिलाफ तफतीश नहीं हो सकती है, क्या उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है ? जब विधान सभा के ४८ सदस्य यह कहें कि अध्यक्ष को मुअत्तिल किया जाय, सस्पेंड किया जाय फिर भी उसका कुछ नहीं होता है ? झांसी के मुअज्जिज आदमियों ने यह लिखा कि उनको सस्पेंड किया जाय, उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाय, इसके अलावा बार एसोसियेशन के प्रेसीडेंट ने भी मांग की कि उनको मुअत्तिल किया जाय । लेकिन उनका कुछ नहीं हुआ । श्रीमन्, जितने वैधानिक तरीके हमारी जनता के पास थे सब हमने कर लिये और यहां तक कि विधान सभा के माननीय ४८ सदस्यों ने मांग तक की कि इनको सस्पेंड किया जाय और उनके विरुद्ध मामले न्यायालय में दिये जायं । लेकिन सस्पेंड करने के बाद उनको फिर से बहाल कर दिया गया । मंत्री जी ने जवाब दिया है कि वह किताब जिसमें अध्यक्ष के खिलाफ करीब १०० इल्जाम दर्ज थे और उनके अतिरिक्त भी ४८ गम्भीर मामले विचाराधीन हैं । श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि कौन सा कानून है, कौन सा इंसाफ है कि मामला साबित होने पर भी उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही आज तक नहीं हुई ?

**श्री अध्यक्ष**---आपका समय समाप्त ।

**श्री लखपतराम शर्मा**---श्रीमन्, दो मिनट और दे दीजिये

**श्री अध्यक्ष**---आपको १२ मिनट दे चुका हूं । अब आप बैठ जायं ।

**श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल** (जिला इटावा)---अध्यक्ष महोदय, मुझे यह निवेदन करना है कि माननीय सदस्य क्या कह गये, हम नहीं समझ सके । यह तो वही समझे होंगे ।

**श्री लखपतराम शर्मा**---श्रीमन्, आधा मिनट और चाहता हूं । मैं सुझाव रखना चाहता हूं कि झांसी में बिला वापसी चुंगी शीघ्र लागू की जाय ।

**श्री जगदीशनारायण सिनहा** (जिला सहारनपुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

मैं स्वायत्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान की स्वीकृति के समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं । मुझे ८ वर्ष से रुड़की नगरपालिका के अध्यक्ष पद पर कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त है । उस सिलसिले में मुझे जो तजुर्बा है उसके संबंध में कोई लम्बा भाषण न देकर, अपने सुझाव रखना चाहता हूं ।

आज यह जाहिर है कि प्रजातंत्र के ढांचे में प्रत्येक इकाई अत्यन्त महत्वपूर्ण है और उसे अपना कार्य सुचारु रूप से चलाना चाहिये । टाउन एरिया कमेटीज है, नोटीफाइड एरिया कमेटीज है या नगरपालिकायें हैं व महापालिकायें हैं इनका कार्य सुचारु रूप से तब ही चल सकता है जब इनके कर्मचारी एफीशियेंट हों, योग्य हों और सेवा भाव से कार्य कर सकें । नगरपालिका जिसका कि मुझे तजुर्बा है मैं यह कह सकता हूं कि रुड़की जैसे स्थान में जहां यूनिवर्सिटी है और मिलिटरी का सेंटर है और वह बचत वाली नगरपालिका भी है ।

[श्री जगदीशनारायण सिनहा]

वहां की दशा यह है कि वहां जो चपरासी काम करता है उन बेचारों को अगर बाहर सहारनपुर जाना पड़े तो एक रुपया दस आने मिलता है जिसमें आना जाना भोजन भी नहीं हो सकता, इतना कम डी० ए० या टी० ए० मिलता है। तो क्या उम्मीद की जाय कि वह ढंग से काम करेंगे जब कि आज के युग में मैट्रिक पास भी चपरासी का कार्य करने के लिये मजबूर होते हैं ?

लिपिक को वेतन ५० रुपये रखा हुआ है, नगरपालिका में काम करने के लिये और ६० रुपये सरकारी नौकरी में। तो म्युनिसिपैलिटी में वही काम करने आयेंगे जो कि सरकारी नौकरी नहीं पायेंगे। ऐसे लोग जिनसे जनता का रोज की जिन्दगी में काम पड़ता है, सरकारी नौकरों में जनता को रोज काम नहीं पड़ता, ऐसे लोगों से इफीशेंसी की कैसे उम्मीद की जा सकती है ? कम से कम उनको जो ६० रुपये सरकारी नौकरी में मिलते हैं उतने तो मिलने ही चाहिये। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि चपरासी और लिपिक का सरकारी लिपिक के अन्तर को वह दूर करें ताकि लोग योग्यता से काम कर सकें।

जहां तक अडल्ट्रेशन (adultration) का ताल्लुक है, मेडिकल आफिसर आफ हेल्थ पर डुअल कंट्रोल है। जहां तक सैनिटेशन का ताल्लुक है, उसका म्युनिसिपैलिटी से ताल्लुक है, जहां तक अडल्ट्रेशन का ताल्लुक है उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल है, वह सीधे गवर्नमेंट से ताल्लुक रखता है। अगर वह ठीक से काम नहीं करता, जो कि आम तौर से नहीं करता है, तो म्युनिसिपल बोर्ड उसकी सुधार नहीं सकती। शहरों में दूध, आटा, या मिठाई में जो मिलावट होती है, उसके संबंध में किसी तरह से बोर्ड को या अध्यक्ष को ऐक्शन लेने का हक नहीं है वह सिर्फ डाइरेक्टर महोदय को लिखते हैं। वहां से जवाब आ जाता है कि आपके कहने से हम कहां तक मेडिकल आफिसर को बदलें। मैं निवेदन करूं कि इसकी बहुत ही प्रोग्रेसिव टाउन है। जितनी ड्यूटीज हैं म्युनिसिपैलिटी पूरा करती है। यहां तक कि सफाई के कर्मचारियों के मकानों के सामने मर्करी लाइट्स लगी हुई है। सीमेंट की सड़कें हैं लेकिन वह अडल्ट्रेशन के मामले में कोई सुधार नहीं कर सकती इसलिये कि मेडिकल आफिसर आफ हेल्थ पर कोई कंट्रोल नहीं है। इस गम्भीर समस्या के ऊपर भी मंत्री जी ध्यान दें।

म्युनिसिपैलटी सड़कें व भवन बनाती है, रोशनी का वह प्रबन्ध करती है, लेकिन उसके लिये सीमेंट, लोहे और ईंटों का कोई विशेष प्रबन्ध नहीं। जैसे राम आसरे और लोग रहते हैं उसी तरह से वह भी है। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस प्रकार का कोई आदेश दे जिससे नगरपालिका या महापालिका को अलग से लोहा, सीमेंट और कोयला वगैरह मिल जाया करे ताकि जैसे वह भंगियों के क्वार्टर बनाती है, और अन्य कार्य करती है, वह उनकी पूर्ति कर सके।

कहा जाता है कि अध्यक्ष वहां का फर्स्ट सिटिजन होता है मगर आप ताज्जुब करेंगे कि हालत यह है कि अगर वर्षों से कोई कागज लखनऊ पड़ा हुआ है और अगर वह हिम्मत करके कहीं सीधे गवर्नमेंट को लिख , तो पूछा जाता है कि अध्यक्ष की हिम्मत कैसे हुई कि सीधे गवर्नमेंट से बात करता है कि जिनके करने के लिये यह आवश्यक है कि वह या तो अपने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के माध्यम को या सीधे यहां लिखें। तो मैं यह भी चाहूंगा कि मंत्री महोदय ध्यान दें कि जैसे अगर उसको बाहर जाना होता है, बोर्ड पास कर देता है कि वह जाय लेकिन जब तक कलेक्टर की आज्ञा न हो तब तक वह एक कदम बाहर नहीं रख सकता, जबकि उसे जनता के कामों के लिये बाहर जाना है, तो माननीय मंत्री जी इस पर विचार करें क्योंकि इससे बहुत से जनहित के कार्यों के करने पर रोक होती है।

एक बात यह बहुत जरूरी है कि जो बोर्ड इस स्थिति में है कि वह अपने यहां सामाजिक कार्य, जैसे खेल-कूद आदि के कार्य करते हैं, जिससे कि जनता का या बच्चों का बहुत हित होता है उनको अगर कोई ग्रांट देना चाहते हैं तो कभी कमिश्नर की आज्ञा बगैर ग्रांट नहीं दे सकते हैं। इसका यह फल होता है कि बहुत ही लिमिटेड तरीके से काम हो पाता है। तो जो

म्युनिसिपल बोर्ड्स इस स्थिति में है कि वह अपने यहां चलने वाले फिजिकल, सोशल, कल्चरल आदि कार्यों को धन देना चाहते हैं जिससे कि बच्चों और नगर के लोगों के स्वास्थ्य में फर्क पड़े तो उस पर जो यह रोक है हटे इसके ऊपर भी माननीय मंत्री जो विचार करें ।

अभी हमारे साथी शुगनचन्द मजदूर साहब ने मेहतरों के बारे में कहा । बिलकुल उन्होंने वस्तुस्थिति को बयान किया है, उसको मैं दोहराता नहीं हूं, केवल इतना कहना चाहूंगा कि जब वह नगरपालिका का कार्य करते हैं तो उनको बहुत थोड़ी रकम उसके लिये मिलती है । निश्चित है कि फिर वह अपना पेट पालने के लिये और घरों का काम भी करते है क्योंकि उसको न करें तो उनके बच्चों का पालन पोषण न हो । उसकी वजह से यह होता है कि नगरपालिका को जो उनकी जिम्मेदारी है वह उसको ईमानदारी और मेहनत से नहीं कर पाते हैं क्योंकि समय तो उतना ही है । तो मैं उनकी तमाम बातों से ऐग्रो (Agree) करता हुआ यह प्रार्थना करता हूं कि जो मेहतरों की दशा है उसको सुधारने के लिये उनके एमाल्यूमेंट्स में किसी किस्म की वृद्धि की जाय ।

प्रांविशियलाइजेशन (Provincialization) की बात सबसे आखिर में कही गई । मैं भी यह कहना चाहता हूं कि सुपरिंटेंडेंट एजूकेशन, एग्जीक्यूटिव आफिसर और टैक्स सुपरिंटेंडेंट इन सब पदों को भी प्रांविशियलाइज कर दिया जाय ।

**श्री यादवेन्द्रदत्त** (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि चूंकि यह विभाग बड़ा महत्वपूर्ण है और बहुत से लोग इस पर बोलना चाहते हैं, इसलिये सदन का समय एक घंटा बढ़ा दिया जाय ।

**श्री अध्यक्ष**—इस वक्त से एक घंटा पौने छः बजे तक ।

**श्री यादवेन्द्रदत्त**—अगर आपकी इच्छा हो तो इसी समय से मान लिया जाय कि एक घंटा बढ़ा दिया जाय ।

**श्री कल्पनाथसिंह** (जिला गोरखपुर)—अध्यक्ष महोदय, दुबे जी के प्रस्ताव पर मेरा एक संशोधन है कि पांच बजे से छः बजे तक बढ़ा दिया जाय ।

**श्री अध्यक्ष**—प्रश्न यह है कि सदन का समय पौने छः बजे तक बढ़ा दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । )

**श्री केसरीप्रसाद पांडेय** (जिला जौनपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विश्वनाथ जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, स्वायत्त शासन ऐसी प्रिय वस्तु के विरोध में बोलना या उसके प्रति कटौती का प्रस्ताव पेश करना बहुत अच्छा नहीं मालूम होता, लेकिन जब कभी ऐसी स्थिति होती है अर्थात् ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा प्रिय होती है और करोबुलमर्ग हो रही हो, तो उस पर कुछ नुक्ताचीनी करनी पड़ती है । और कभी उस पर नश्तर भी चलाना आवश्यक है । इसलिए यह कर्तव्य बहुत ही कष्ट के साथ पालन करने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

मान्यवर, नगरपालिकायें, महापालिकायें, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया, इनका आकार दिन प्रति दिन बढ़ता चला जा रहा है और यह संस्थायें उस आकार के बढ़ाव में, आप साधारणतः समझ सकते हैं, कि गांवों को खाती चली जा रही हैं । नगरपालिकायें गांवों को खा रही हैं, टाउन एरियाज गांवों को खा रही हैं, महापालिकायें गांवों को खा रही हैं । इनका अगर इसी प्रकार से बढ़ाव चलता रहा तो एक दिन आ सकता है

[श्री केसरीप्रसाद पांडेय]

जब गांव के रहने वाले लोगों के लिये परेशानी पैदा हो सकती है। मैं चाहता हूं कि इनके आकार के बढ़ाव पर रोक लगा दी जाय जिससे कि गांव के रहने वाले लोग सुख और शान्ति की जिन्दगी बसर कर सकें। जब मैं बढ़ाव की बात करता हूं तो निश्चय मेरे मन में यह बात आती है कि हजारों एकड़ जमीन इन नगरपालिकाओं के अन्दर आकर काहिल हो जाती हैं। उसका उत्पादन खत्म हो जाता है जिसके जरिये से जीवनयापन होता है। जिन्दगी चला करती है, उसका जरिया हमेशा के लिये खत्म हो जाया करता है।

दूसरी चीज यह होती है कि गांव के रहने वाले कुछ दिनों के लिये, वर्षों के लिये पिछड़े हुये इलाके के समझे जाते हैं और उनके लिये जिन्दगी का निर्वाह मुश्किल हो जाता है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा और यह सुझाव देना चाहूंगा कि जिन नगरपालिकाओं में गांव ले लिये गये हैं उनमें एक सब-बोर्ड स्थापित कर दिया जाय जो कम से कम आने वाले १० वर्षों तक निरन्तर उन गांवों के बढ़ाने की बात सोंचे और उनको बढ़ाती रहे जिससे कि वह एक दिन, नगरपालिक में पहले से स्थित नागरिकों की, बराबरी में आ सके। अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो वह पिछड़े हुये इलाके सदा के लिये पिछड़े ही रहेंगे ?

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इन नगरपालिकाओं का गठन, एक अजीब ढंग से हो रहा है। जहां पर नीति का प्रश्न नहीं उठता, जहां पर भाव-अभाव का प्रश्न नहीं उठता, जहां पर गुटबन्दी नहीं होनी चाहिये, दुराव नहीं होना चाहिये वहां पर चुनाव आज पार्टी पद्धति पर हो रहा है। चूंकि इस विभाग के अध्यक्ष माननीय विचित्र नारायण जी शर्मा हैं, मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि वह इस पर विचार करने की कृपा करें कि इस तरह के चुनाव खत्म कर दिये जायं और 'पक्षातीत' प्रथा उनके बीच में कायम की जाय जैसा कि हम पंचायतों के स्तर पर कर रहे हैं। ब्लाक के स्तर पर कर रहे हैं। यदि ऐसा हो सके तो कम से कम ये छोटे-छोटे नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया अपनी दयनीय अवस्था से ऊपर अवश्य खड़े हो जायंगे अन्यथा इनमें गुटबन्दी और पार्टी बन्दी हो जाती है जिसमें गरीब पिस जाता है मजलूम पिस जाता है। उसका कुछ भी ठिकाना नहीं रह जाता है। वह किस हद तक पिसता है इसकी इंतहा नहीं है। मैं चाहता हूं कि पक्षातीत और सीधे चुनाव की प्रथा कायम हो तो यह कठिनाई दूर हो जायगी और सब के हित सन्निहित हो जायंगे और सब के हित सन्निहित होने पर ही सभी लोग उसमें दिलचस्पी लेने लगेंगे। उनका विकास भी बहुत जल्द हो सकेगा।

तीसरी बात मैं खर्चे के सिलसिले में पेश करना चाहता हूं। खर्चे के लिये जो टैक्स लगाया जाता है वह अजीब ढंग से लगाया जाता है। उसमें अमीर लोग छूट जाया करते हैं, क्योंकि प्रचलित चुनाव पद्धति में टाउन एरिया और नोटीफाइड एरिया में बड़े लोग ही अमूमन चुनकर चले आया करते हैं। उनमें छोटे लोगों का, गरीब लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में उस खर्चे के सवाल को हल करने के लिये बहुत ही साधारण तरीका पेश करना चाहता हूं जिसका विश्वनाथ सिंह जी ने भी जिक्र किया है। माननीय बलवन्त राय मेहता कमेटी ने सिफारिश की थी कि स्थानीय निकायों को तभी सुदृढ़ एवं सक्षम बनाया जा सकता है जबकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा काम करने की छूट हो। उनके खर्चे के लिये कहा गया है कि जो आमदनी उनके क्षेत्र में होती है उसका ४० से ६० प्रतिशत तक उन्हें स्वयं व्यय करने दिया जाय, उनके खर्चे के लिये और उनके सुधार के लिये। मैं अर्ज करूंगा कि यह नीति सरकार को अपना लेनी चाहिये और यही बलवन्तराय कमेटी की मंशा थी। उसका विश्वास जनता में है और जनता का विश्वास उसमें है।

चौथी चीज, जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं, वह सैनीटेशन के बारे में है। अभी हमारे पहले एक भाई ने सफाई के बारे में बात की। स्वच्छता और सफाई की स्थिति ऐसी दयनीय है कि बरसात के दिनों में यदि आप किसी टाउन एरिया में चले जायं तो फिर वहां नरक का दृश्य ही आपको दिखाई देगा। अगल-बगल की सड़कें और गलियों में पानी की नालियां गन्दगी से इतनी जबरदस्त तरीके से भरी रहती हैं कि अगर वे संयोग से बन्द हो गईं तब तो मुसीबत ही मुसीबत है। इसकी ओर पूरा ध्यान देना होगा।

साथ ही एक बात मैं और आपके सामने कहना चाहूंगा इस सिलसिले में। जो रिक्शा खींचने वाले हैं उनके भोजन-छाजन, काम-काज का प्रबन्ध आपको करना ही होगा, अन्यथा भरी जवानी में ही कालकवलित हो जायंगे। लेकिन यदि ऐसा नहीं हो पा रहा है तो वे कम से कम आपको ध्यान देना होगा कि आज ११ और १२ वर्ष की आयु के बच्चे रिक्शा खींचने के लिये विवश न हों। आपको सोचना पड़ेगा कि उनको रिक्शा खींचने का लाइसेंस दिया जाय अथवा नहीं। यदि हो सके तो आप कल ही इस बात का आदेश दें कि उन बच्चों से रिक्शा खींचने का काम न लिया जाय। ऐसा न करना जनता के लिये प्राण घातक होगा।

दूसरी बात शिक्षा के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। मैंने पहले शिक्षा अनुदान के अवसर पर निवेदन किया था कि 'आल फाउण्ड स्कूल्स' की व्यवस्था होनी चाहिये और नगरपालिकायें, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरियाज इसके लिये उपयुक्त स्थान हैं जहां माडल के रूप में इन 'आल फाउण्ड स्कूल्स' की स्थापना की जा सकती है। वहां सभी बच्चे रहें, खेलें, खायें, सोयें, और पढ़ें, ताकि उनकी मनोवृत्ति बदले, उनमें राष्ट्रीयता आये, उनमें भाई चारा आये, इंसानियत की भावना पैदा हो और जो रोज यहां मनुस्मृति और कुरान के पन्ने फाड़ने की बात कही जाती है, उसकी नौबत न आने पाये। इसलिये मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जो इन म्युनिसिपल बोर्ड्स, टाउन एरियाज और नोटीफाइड एरियाज में इन आल-फाउण्ड स्कूलों को खोलें और उनको विकसित करें।

तीसरी चीज जो मैं कहना चाहूंगा वह यह है कि टाउन एरियाज में सीवेज स्कीम लागू होनी चाहिये। यह इतनी अच्छी स्कीम है कि जिससे वहां की खेती-बारी सरसब्ज हो सकती है और वहां की गंदगी दूर हो सकती है। इस स्कीम को जितनी जल्द चलाया जा सके, चलाया जाना चाहिये।

पीने के पानी के बारे में भी कुछ निवेदन करना चाहूंगा। लखनऊ की सड़कों पर भी किसी बाहरी आदमी को पीने के पानी के लिये परेशानी उठानी पड़ती है; उसकी कोई उचित व्यवस्था नहीं है। कोई अजनबी आदमी अपनी प्यास किसी शहर में समय पर नहीं बुझा सकता। इसका इंतजाम हर जगह पर होना जरूरी है। इजरायल जैसे मुल्क में भी वहां के लोगों ने अपने खेतों में, बगीचों में फव्वारे लगा रखे हैं, वहां इतनी गरमी पड़ती है कि इंसान का रहना मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम अपने देश में अपने भाइयों को पानी पिलाने की व्यवस्था भी आज तक नहीं कर सके हैं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता था कि लैट्रीन्स और यूरिनल्स की व्यवस्था हर जगह होनी चाहिये। नगरपालिकाओं में तो कुछ हैं, लेकिन नोटीफाइड एरियाज और टाउन एरियाज में इनकी कोई व्यवस्था नहीं है। पाखाना सड़क की बगल में फेंक दिया जाता है। वह बदबू करता है और पास ही में लोग बसे रहते हैं और उससे हर प्रकार की गंदगी वहां पैदा होती है। मैं चाहूंगा कि नोटीफाइड एरियाज और टाउन एरियाज में विशेषतौर पर पाखानों की व्यवस्था हो और यूरिनल्स बनाये जायं ताकि आने-जाने वाले लोगों को या दूसरे लोगों को सुविधा हो सके और जब उनको हाजत महसूस हो तो वे उसे आसानी से रफा कर सकें।

दूसरी स्लम्स की बात कही जा रही है और इस सिलसिले में कानपुर का नाम बार-बार आता है इसलिये कि वहां पं० नेहरू पहुंच गये थे। लेकिन टाउन एरियाज और नोटीफाइड एरियाज में बहुत से ऐसे हैं जिनको यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है कि वहां पं० नेहरू पहुंच सकें। मैं चाहूंगा कि जो वहां के स्लम्स, जो बदस्तूर चले आ रहे हैं, हमेशा के लिये समाप्त कर दिये जायं; उनको साफ और स्वच्छ बनाने की कोशिश की जाय। यह स्लम्स देश के लिये एक कलंक है, और कलंक हैं हमारी मानव जाति के लिये। उस पार्टी के लिये तो अवश्य ही है जो समाजवाद के

[श्री केसरीप्रसाद पांडेय]

नाम पर यहां शासन कर रही है । किसी कीमत पर इनके उच्छेदन की व्यवस्था होनी चाहिये । अगर इंसान को जिन्दा रखना है, अगर इंसानियत को किसी तरीके पर भी पनपने देना है तो स्लम्स यहां से हटाने ही होंगे ।

श्री अध्यक्ष—आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री विश्वनाथप्रसाद—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका दोनों तरफ के माननीय सदस्यों ने समर्थन किया है । उन भाइयों का जिन्होंने हमारे प्रस्ताव का समर्थन किया, बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं । मैंने तो कभी यह नहीं सुना कि किसी ने हमारे प्रस्ताव का विरोध किया हो, भले ही "हां" और "ना" के समय कुछ साथी हमारा साथ न दें, मगर उनकी बातों को अगर तरतीब बार लगा दिया जाय तो उससे यही पता चलेगा कि उन सभी ने हमारे प्रस्ताव का समर्थन किया है ।

मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि दो वर्ष से ऊपर हो गये महापालिकाओं के चुनाव हुये, मगर अभी तक उनके सर्विस रूल्स नहीं बने हैं । हमारे सेक्रेटरी महोदय मन्त्री महोदय के इशारा पर चलते हैं या क्या करते हैं, यह पता नहीं, मगर आज तक वहां के कर्मचारियों के सर्विस रूल्स नहीं बने हैं जिसके कारण महापालिकायें परेशान हैं, वहां के कर्मचारी परेशान हैं । आज वहां के कर्मचारी यह नहीं समझते कि उनकी नौकरी रहेगी भी या नहीं ।

श्रीमन्, और जो बातें मुझे कहनी थीं, उन्हें मैं पहले ही कह चुका हूं। इन बातों के साथ मैं माननीय मंत्री महोदय को बहुत धन्यवाद देता हूं; वे बहुत ही उच्च विचार के व्यक्ति हैं और आशा करता हूं कि हमारे सुझाव पर विचार करेंगे और जो गलतियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, जो बहस आदरणीय सदन में हुई उसे मैंने यथासम्भव बहुत ध्यान से सुना और मैं उन सभी माननीय सदस्यों का जिन्होंने इस बहस में भाग लिया अनुगृहीत हूं । जिन खामियों की तरफ इशारा किया गया है उनमें कोई बहुत ज्यादा मतभेद की गुन्जायश नहीं है । आज चारों तरफ काफी काम करने के लिये पड़े हुये हैं । आज पार्लियामेंट में जाकर देखें, एम० पीज० की स्पीचों को देखें, उनसे पता चलेगा कि आज हजारों काम करने को पड़े हुये हैं ।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि इसराइल में पानी पीने के लिये जगह-जगह बगीचों आदि में फुहारे लगे हुये हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि हमारे यहां भी ऐसा ही होना चाहिये । हम इसमें कोई दो राय नहीं रखते । लेकिन यह सब हो कैसे । आखिर सरकार के पास कोई अलाउद्दीन का चिराग तो है नहीं कि जला दिया और सारा काम हो गया । जब भी सरकार कोई टैक्स लगाने की बात करती है तो उसकी मुखालफत होती है, उधर से भी होती है और इधर से भी होती है, क्योंकि यह मानी हुई बात है कि हमारा देश गरीब है । और हमारी ख्वाहिश है अमरीका और दूसरे प्रगतिशील देशों की बराबरी करने की । एक दम से यह कैसे हो जाय ? शेखचिल्ली की बात हो तो सम्भव हो सकता है, लेकिन व्यावहारिक संसार में हर चीज को करने में समय लगता है ।

स्लम क्लियरेन्स की बात ही ले लीजिये । इस सम्बन्ध में फौरन जमीन पर कब्जा नहीं मिल सकता । जो लोग रह रहे हैं उनके लिये कोई प्रबन्ध होना चाहिये । नगरपालिका अधिनियम में खास तौर से यह रखा गया है कि जिन लोगों को हटाया जाय उनके लिये आल्ट्रनेटिव अरेन्जमेंट होना चाहिये । कहना जितना आसान है उतना करना आसान नहीं है । विश्वनाथ जी ने कहा कि गन्दी बस्तियों में पानी दे दीजिये, लाइट दे दीजिये, नाली बनवा दीजिये, सड़क बनवा दीजिये । वहां सड़क बन जाय, पानी हो जाय, लेकिन रहे झोपड़ी की झोपड़ी । यानी स्लम क्लियरेन्स भी हो जाय और उनको हटाया भी न जाय, यह कैसे सम्भव हो सकता है ।

ऐसी-ऐसी जगहें हैं जो खास बस्तियों के पास हैं, वहां पर लोग टाट डालकर दुकान और झोपड़ी बनाकर बैठे हुए हैं। उनको एक दम से हटाना आसान नहीं है, हर चीज का प्रबन्ध करने में समय लगता है, साधन लगते हैं और पैसा लगता है। मैं कबूल करता हूं कि इन योजनाओं को मिनिस्टर यहां बैठ कर नहीं करता है। स्थानीय फैक्टर्स भी सामने आते हैं। कहीं पर गलत कन्सीडरेशन्स भी हो सकते हैं, यह भी मैं मानता हूं। लेकिन इन योजनाओं को हिन्दुस्तान के इन्सानों की मार्फत चलाना है तो फिर दूसरा कोई तरीका नहीं है।

रिक्शे की बाबत कहा गया। मैं स्वयं इस प्रथा को गलत समझता हूं। सरकार कोशिश कर रही है कि यह न हो, यहां तक कि १० साल की हद भी लगा दी गई थी कि उसके बाद कतई खत्म होना चाहिये, लेकिन इस सदन के जनता द्वारा चुने हुये सदस्य ही इसका सबसे अधिक विरोध करते हैं। इसके अलावा रिक्शा पुलर भी विरोध करता है। एक तरह से उसकी बात जायज भी है। वह कहता है कि हम जब इनसान नहीं हैवान का काम करने के लिये तैयार हैं, क्या तब भी हमें रोटी नहीं मिलेगी। कहने के लिये सिद्धान्ततः यह बात अच्छी है कि कोई हैवान का काम न करे, लेकिन हम जब तक उनको आल्टर्नेटिव इम्प्लायमेंट न दें, उनका वह काम भी छीन लें तो वह दया नहीं होगी।

**एक सदस्य**—बच्चों को क्यों रिक्शा चलाने दिया जाता है ?

**श्री विचित्रनारायण शर्मा**—ऐसा तो नहीं होता। यह बात दूसरी है कि कोई १५ साल का लड़का २० साल की उम्र का सर्टिफिकेट देकर लाइसेंस ले ले। इस तरह से तो आपने देखा ही होगा कि पोस्टमैनों की हड़ताल होनी थी तो सबको डीसेन्ट्री हो गई। डीसेंट्री का एपिडेमिक केवल पोस्टमैनों को ही हुआ, जनता में किसी को नहीं हुआ। यह बात हो सकती है।

यह कहा गया कि नगर महापालिकाओं को अधिकार दिया गया है, यहां से मिनिस्टर जिस तरह से मुख्य नगर अधिकारियों को इशारे दे देते हैं उसी तरह से वहां काम होता है। अगर आप विश्वास कर सकते हैं तो हमारा आदेश यही है कि ज्यादा से ज्यादा नगर महापालिका अधिनियम के मुताबिक ही वे अधिकारी काम करें। सरकार का कोई डाइरेक्टिव यहां से नहीं जाता है। जहां इल्लीगल कोई काम किया जाता है तभी सरकार दखल देती है वरना वहां जो मेजारिटी चाहती है उसी के मुताबिक सारा काम होता है। विश्वनाथ जी की शक्ल देख कर तो मैं यही समझता था कि वे बड़े सज्जन हैं, महात्मा हैं, लेकिन वे ऐसी अनर्गल बात कैसे कह गये, मेरी समझ में नहीं आया, मैं तो उनको देखता ही रह गया। नगर महापालिका विधेयक यहां पेश हुआ, फिर सेलेक्ट कमेटी में गया और उस सेलेक्ट कमेटी ने यूनैनिमसली उस रिपोर्ट को पास किया, और फिर एक सदन से तथा उस सदन से पास हुआ और तब कानून बना, फिर भी विश्वनाथ जी ने कह दिया कि इसे विचित्र नारायण ने लाद दिया।

कारपोरेशन के लिये जिन लोगों को शौक होता है वे ही समझते हैं कि इसका महत्व क्या है। हिन्दुस्तान में और भी कई जगह कारपोरेशंस हैं। कारपोरेशन की जो स्कीम है उसका सेंट्रली बेसिस यही है कि एक्जीक्यूटिव फंक्शन अलग हो। जिनका काम पालिसी मेकिंग का है उनको यह शौक नहीं होना चाहिये कि वे यह जाकर देखें कि इस सड़क का ठेका किसे दिया गया है, या इसमें किस किस्म का ईंटा लग रहा है या कहां से किस चीज की सप्लाई होती है। जबरदस्ती इसे किसी के ऊपर लादा नहीं गया है। वह तो सारे हिन्दुस्तान भर के जो माडेल थे उनको देखने के बाद और सब लोगों के विचार करने के बाद इस सदन ने और उस सदन ने यूनैनिमसली इस बिल को पास किया तब यह कानून बना और आज यूसुफ साहब कह रहे हैं कि हमारे ऊपर इसे लाद दिया गया तो इस समझ के लिये मेरा क्या कसूर है।

यहां तो इस तरह की बातें कही गयीं जिनको सुन कर मैं हैरान हो गया। उन्होंने ट्रान्सपोर्ट के सिलसिले में कहा कि कानपुर को हमने क्यों दे दिया। मेरे रेकर्ड में सारी चीजें मौजूद हैं,

[श्री विचित्रनारायण शर्मा]

सरकार की फाइल में है, कानपुर के मेयर साहब जो सबसे पहले मुझे मिले तो मैंने उनसे कहा कि सिटी ट्रान्सपोर्ट आपसे नहीं चलेगी तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब हम इसे चलायेंगे और हिम्मत के साथ चलायेंगे। फिर आप डेमोक्रेसी में एक मिनिस्टर से क्या उम्मीद करते हैं, क्या मैं उसे रूल आउट कर देता? अगर एडमिनिस्ट्रेटर का प्रबन्ध रहता तो हम इस समस्या पर कुछ सोच भी सकते थे लेकिन जब चुनाव के द्वारा लोग आये हैं तो वे जो कहेंगे उसी के अनुसार वहां का काम चलेगा। अगर मैं इस तरह की कोशिश करता तो लोग यही कहते कि यह सोने की एक तरह की खान थी जिसे सरकार ने हड़प लिया। इलेक्शन का समय भी बहुत कम रह गया था, इसलिये लांछन से बचाने के लिये भी मैंने उस सम्बन्ध में कोई विशेष कार्यवाही करना ठीक नहीं समझा।

विश्वनाथ जी कहते हैं कि जहां पर कांग्रेस पार्टी की म्युनिसिपैलिटी है उसे तो सरकार ने सुपरसीड नहीं किया, लेकिन जहां विरोधी पार्टी के हाथ में वहां का शासन है उसे सुपरसीड कर दिया। इस सूबे में सौ सवा सौ के करीब म्युनिसिपैलिटीज हैं जिनमें से करीब ५ या ६ सुपरसीड हुई हैं? क्या आप समझते हैं कि इनके अन्दर कांग्रेस पार्टी का शासन नहीं था? इस प्रदेश की बहुत-सी म्युनिसिपलिटीज में जन संघ तथा दूसरी पार्टी के लोगों भी बहुमत में हैं। फिर समझ में नहीं आता कि यह कैसे समझ लिया जाता है कि सब जगह अंधेर ही अंधेर है। इतना कहने पर भी आपको विश्वास न हो तो क्या कहा जाय।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—कांग्रेस वालों की कितनी म्युनिसपैलिटीज सुपर-सीड हुई?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इसे लिस्ट से देखा जा सकता है। फैजाबाद, म्युनिसि-पैलिटी कांग्रेस की ही थी, फर्रुखाबाद भी कांग्रेस की थी, हापुड़ म्युनिसिपैलिटीज में भी कांग्रेस दल का प्रेसीडेंट था, खुर्जा में भी शायद यही था। यह नहीं देखा जाता है कि किसकी म्युनिसिपैलि-टीज है, किसका बहुमत है। देखा सिर्फ यह जाता है कि प्रबन्ध कैसा है? कोशिश की जाती है वह ठीक से चले।

मिर्जापुर का बहुत जिक्र किया गया, हाई कोर्ट का जिक्र किया गया। मेरा ईमानदारी के साथ विश्वास है कि हाई कोर्ट में अगर हम हारे तो इसलिये कि हम अपना केस ठीक से नहीं रख सके, अपनी नालायकी की वजह से हारे। इसलिये नहीं कि हमारा केस गलत था।

श्री राधेश्याम—मंत्री जी, श्रीमन्, कह रहे हैं कि अपनी नालायकी से हारे। तो वह मानते हैं कि नालायक भी हैं।

श्री अध्यक्ष—आप कृपा कर अपना स्थान गृहण करें, बीच-बीच में आप टोकें नहीं।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मिर्जापुर म्युनिसिपल बोर्ड को कितना रुपया दिया गया, इसके मैं आंकड़े देता हूं। १९५२ से १९६१-६२ तक रुपया इस प्रकार दिया गया—१,००,००० रुपया १९५२-५३ में दिया गया; रुपया २,००,००० रुपया १९५४-५५ में दिया गया; ३,८०,००० रुपया १९५८-५९ में दिया गया; ७८,००० रुपया १९५९-६० में दिया गया; ३५,००० रुपया १९६०-६१ में दिया गया और २२,००० रुपया १९६१-६२ में दिया गया।

इसी तरह से अनुदान बताता हूं—५०,००० रुपया १९५७-५८ में; ८१,००० रुपया १९५८-५९ में; १३,७०० रुपया १९५९-६०; में ८५,८०० रुपया १९६०-६१ में और ३०,२५० रुपया १९६१-६२ में। अगर सुपरसीड किया गया मिर्जापुर म्युनिसिपल बोर्ड को तो इसलिये कि वहां पानी का प्रबन्ध ब्रेक डाउन कर गया। उनसे बार-बार कहा कि इसका प्रबन्ध कीजिये नहीं तो पानी बेकार हो जायगा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जितनी ग्रान्ट्स दी गईं उनका भी ठीक

से इस्तेमाल नहीं हुआ। क्या यह सुपरसेशन का केस नहीं है ? यहां अगर पानी नहीं पहुंचता है तो कामरोको प्रस्ताव आ जाता है कि सरकार क्या कर रही है। जब कि यह हमारा काम नहीं, बल्कि म्युनिसिपल बोर्ड का काम है। लेकिन जब हम समझते हैं कि सरकार के इंटरवीन करने की स्थिति आ गई तो हमको मजबूरन वैसा करना पड़ता है।

इसी तरह से पानी की बाबत माननीय विश्वनाथ दास जी ने कहा कि बनारस को तो लूट लिया, न मालूम कितना कर्जा उसके ऊपर लाद दिया ? ड्रेनेज सिस्टम नहीं चाहिये, जहां शहर की आबादी बढ़ गई हो ? पानी का प्रबन्ध न हो ? इतना रुपया पानी के लिये दिया गया फिर भी शिकायत रही। जरा पाइप लाइन ले करने में देर हो गई तो त्राहि-त्राहि मच गयी। कई टंकियां बनवानी पड़ीं। यह सब प्रबन्ध करने के बाद कोई ऐसा शहर है जो बिना पानी के चल सके ?

**श्री विश्वनाथप्रसाद**---सारी बेकार पड़ी हुई हैं।

**श्री विचित्रनारायण शर्मा**---बेकार इसलिये पड़ी हुई हैं कि बनारस के अन्दर सबसे ज्यादा पर हैड पानी का कंजम्पशन है, काफी सस्ता पानी वहां है और सबसे ज्यादा बरबाद होता है। यह बात सुनने में अजीब-सी लगती है, लेकिन वाकया है।

माननीय यूसुफ साहब ने कहा कि नल का पोस्ट भी नहीं दे सके। एक नल का पोस्ट देने से इतना वेस्टेज हो जाता है कि जितना पानी दिया जाता है उसका ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं होता। लोग नाजिम्मेदारी के साथ जल को बहायेंगे तो कैसे काम चलेगा ? सिर्फ सरकार को दोष देने से हमारे मसले हल हो जायं तो मैं कहता हूं जितना इल्जाम सरकार पर लगाया जाता है उसको मैं तस्लीम करने के लिये तैयार हूं। पर उससे काम नहीं चलेगा। थोड़ी आपके दिल को शान्ति हो जायगी, लेकिन उससे जनता के प्रश्न हल नहीं होंगे। इस से मसला हल नहीं होता, इस प्रश्न पर विचार किया जाय।

कहा गया कि मंत्री जी आये और आते ही उन्होंने जिला बोर्डों को हड़प लिया। उन को शायद पूरी तारीख मालूम नहीं कि हम ने जिला बोर्डों को क्यों हड़पा। हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं था, हम तो उन को और अधिकार दे रहे हैं, उन को पूरा प्लानिंग दिया जा रहा है, जो प्रोग्रेसिव डिपार्टमेंट है १६ आना वह सारा काम उन को दे रहे हैं। अगर थोड़े दिन के लिये जिलाधीश को शुरू में प्रेसीडेंट बना दिया तो उस में कोई ऐसी बात नहीं थी, सरकार प्रिकाशन लेना चाहती थी और यह खतरा नहीं उठना चाहती थी कि अलग-अलग प्रेजीडेंट हो जायं और एक दम से कोई गलत काम हो जाय। सारा प्लानिंग क्षेत्र समिति से लेकर जिला स्तर तक हम जनता के हाथों में ही देना चाहते हैं, हम उन अधिकारों को अपने पास नहीं रखना चाहते। इसमें यह नहीं है कि कोई विचित्र नारायण की ख्वाहिश चलती है। सारा संसार कैसे चलता है ? परमात्मा भी अगर अकेला बगैर किसी के सहारे के स्वयं सारे संसार को नहीं चला सकता, उस को भी इन्सान का उसके हाथ, पैर, कान, आंख का सहारा लेना पड़ता है।...

**श्री विश्वनाथप्रसाद**---आप अपनी बात कहें, परमात्मा की बात न कहें।

**श्री अध्यक्ष**---इतनी असहिष्णुता तो न दिखाना चाहिये कि आप उनका उत्तर भी न सुनें। जो वह कह रहे हैं उस को आप शांति से सुनें। यह वह जगह नहीं है कि बैठकर आप अपनी कहें और पंचायत की तरह से वह अपनी कहें...

**श्री राधेश्याम**---बीच में टोकना तो संसदीय परम्परा है।

**श्री अध्यक्ष**---यह परम्परा नहीं है कि आप उन का जवाब भी न सुनें और बैठे बीच में बोलते जायं। आप चुप रहें, संसदीय परम्परा यह है कि आप खड़े हों और अगर बोलने वाले सज्जन बैठ जायं तब आप अपनी बात कहें और अगर वह न बैठें तो आप न बोलें...

**श्री राधेश्याम**—उनको बैठना चाहिये ।

**श्री विचित्रनारायण शर्मा**—तो शुरू के स्टेज में हमने जिलाधीश को इस प्रिकाशन के तौर पर रख दिया था और अब तो ऐक्ट पास हो चुका है और नये प्रसीडट बन गये हैं । उस वक्त यह जरूरी था । इस के अलावा रिकार्डस् को देखने से मालूम होगा कि कहीं भी जिलाधीशों ने कोई गलत काम नहीं किया, ऐसा कोई रिकार्ड नहीं है सिर्फ उन्नाव से एक मसला आया उस की इन्कवायरी की और केस को एग्जामिन कराया गया तो मालूम हुआ कि जो जिलाधीश कहते हैं वही सही बात है । ५ लड़के थे और स्कूल खोल दिये गये, इसी में शिक्षा में सारा पैसा खत्म कर दिया, सड़कों के लिये और दूसरे जरूरी कामों के लिये नदारद । तो डेफिसिट बजट न हो, इसलिये डी० एम० ने. ऐसा किया । लेकिन ऐसे बहुत कम उदाहरण हैं कि कहीं पर डी० एम० के रहने से नुकसान हुआ हो या इन्टरफीयर किया हो, ऐसा कहीं नहीं हुआ ।

एक बात आम तौर से कही गई कि साधनों की कमी है । साधन नहीं हैं । हमारे पास बजट के संबंध में जब मांगें आती हैं तो सब जगह से यही आता है कि हमारे यहां यह कमी है यह होना चाहिये । यह सड़क जरूरी है, यह स्कूल जरूरी है, टीचर्स का वेतन ज्यादा होना चाहिये । ऐसा कोई विभाग नहीं है कि जिस में सरकार पैसा ज्यादा दे रही है और मांग कम हो और जनता कम चाहती हो ।

कहा जा सकता है कि सरकार ज्यादा खर्च कर रही है; और एक दर्जे तक मैं मान सकता हूं कि कुछ बचत हो सकती है और इस को सरकार भी स्वीकार करती है । उस ने एकनामी के लिये कमेटी बना दी है । कैसे खर्च कम हो, स्टाफ कम हो, इस के लिये अलग-अलग लेविल्स पर भी कमेटी बन सकती है । मान लीजिये १ करोड़ २ करोड़ रुपया इस तरह बच जायगा लेकिन क्या यह समझा जाता है कि एक करोड़, २ करोड़ रुपया हमारे सारे प्राबलम्स दिल्ली, लखनऊ, डिस्ट्रिक्ट लेविल, क्षेत्रीय समिति लेविल, पंचायत समिति के लेविल पर सब प्रश्नों को हल कर देगा ?

स्वराज्य का मतलब यह है कि रेसपांसिबिलिटी और अधिकारों का बटवारा हो । हमारी केन्द्रीय सरकार ने कुछ अधिकार अपने पास रखे हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स को अधिकार दिये हैं । ऐसे ही कुछ अधिकार डिस्ट्रिक्ट लेबिल पर बांटे गये हैं और कुछ क्षेत्रीय समिति के लेविल पर, कुछ पंचायत के लेविल पर बांटे गये हैं । एक बड़ी भारी चीज जो आजादी का परिणाम है वह यह है कि पैसा कहां से आये यह जिम्मेदारी भी लोग उठायें । इस प्राब्लम का हल लखनऊ में बैठ कर यह आदरणीय सदन कर लेगा, यह सम्भव नहीं है । यह हो नहीं सकता । अगर सचमुच में स्वराज्य में हिस्सा बटाना है तो यह संस्थायें जो चौखम्भा के नाम से पुकारी जाती हैं तभी कामयाब हो सकती हैं जब इस जिम्मेदारी को भी वे ओढ़ें । और अगर ऐसा नहीं किया जाता है और स्वराज्य का मतलब यही है कि यहां चुनकर आ गये, बस जो जी में आया वह कह दिया, बढ़िया से बढ़िया सुझाव दे दिया और फिर करना कुछ नहीं, तो स्वराज्य हमारा चल चुका । स्वराज्य में बहुत बातें जनता की ख्वाहिश के बरखिलाफ भी करनी होती हैं । यह तारीफ होगी हमारी कि जो बातें जनता को अप्रिय लगें, उन्हें हम इस तरीके से, इस शराफत के साथ उसके सामने रखें कि वह स्वयं उन बातों को करने लग । गांधी जी लोगों को जेल ले गये और लोग खुशी से गये ? छोटे-छोटे बच्चे जाते थे । मां-बाप रोकते थे और बच्चे जेल जाते थे । तो ऐसा वातावरण हम तैयार करें । मैं आपसे कहता हूं कि सिर्फ सरकार यह कर सकेगी, नामुमकित है । वास्तव में विरोधी दल के लोग और हम सभी अंग हैं स्वराज्य के । विरोधी दल भी अपने को स्वराज्य का एक अंग समझे । लेकिन अगर वह अपने को फारेन एलीमट समझे तो वह विरोधी दल न होकर और कुछ दूसरी चीज हो जाता है । वह भी आर्गनिक बाडी का एक हिस्सा है और पब्लिक पीओनियन क्रियेट करने में हम सब मिल कर ीडलदे सकते हैं ।

गरीब देल को आजादी मिली है। उसे बनाये रखना है। जो बड़े ख़्वाब हम देखते है उसके लिये जरूरी है कि सेक्रिफाइस की जाय। मैं मानता हूं कि जो सेक्रिफाइस करने की बात करते हैं यह जरूरी है उनके आचरण से, उनके शब्दों से सेक्रिफाइस की बात टपकती है। अगर आचरण में त्याग की भावना नहीं टपकती है तो उसकी बात का विरोध होगा। लेकिन इन्हें मानना चाहिये कि बावबूद इस गरीबी की मजबूरी के, हमें इस जिम्मेदारी को उठाना ही पड़ेगा। जो काम आज करना है उसके साधन जुटाने ही होंगे। आप अपनी जरूरतों को कुछ कम करके, कुछ कष्ट उठाकर भी कल के लिये प्रोवाइड करना होगा। यह इसका लाजमी अंग है और इसके लिये मनुष्य, बच्चे और औरत सब को हाथ बटाना होगा और विरोधी दल को साथ देना होगा। यह नहीं कि हम तो अपोजीशन करेंगे। सरकार पैसा इकट्ठा करने की बात सोचती ह तो हम विरोध करेंगे। तो यह उचित नहीं होगा।

एक आध-बात यूसुफ साहब ने कही। शायद उनको मालूम नहीं है कि नक्शा सारी की सारी बिल्डिंग का, जहांतक नगरमहापालिकाओं का ताल्लुक है, यह निश्चय कर दिया गया है कि यहां, उसकी स्वीकृति न हो, वहीं पर उसकी स्वीकृति हो जाया कर। हरिजनों की बाबत बहुत कहा गया। जहां तक उनकी तकलीफों का संबंध है, समाज में उनके साथ जो अन्याय होता है जहां तक उसका सवाल है, मैं बिलकुल इत्तफाक करता हूं कि समाज में सब से अधिक अगर किसी के साथ अत्याचार है तो वह मेहतरों के साथ है। किसी भी तरह जो उनका हमारे ऊपर एहसान है उसे हम अदा नहीं कर सकते। ३५, ४० रुपये दे कर जन्म भर सिर पर पाखाना उठवाना, इससे और बुरा काम कराया नहीं जा सकता। इसलिये सरकार की योजनाएं हैं कि सिर पर किसी को पाखाना उठाना न पड़े, हाथ से किसी को पाखाना छूना न पड़े, साइन्टिफिक तरीके से पाखाना उठाया जाय। लेकिन यह तभी हो सकता है जब हमें उन संस्थाओं का सहयोग मिले और उन माननीय सदस्यों का सहयोग मिले जो जहां चुन कर आते हैं। यूसुफ साहब ने कह दिया कि तनख्वाहें बढ़ा दो। मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर कोई म्युनिसिपल बोर्ड मेहतरों की तनख्वाह बढ़ाना चाहेगा तो मुझे कभी भी आपत्ति नहीं होगी। सौ पये महीना अगर कोई देना चाहे तो भी मुझे आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि मुझे विश्वास है कि सौ क्या हजार पया लेकर भी कोई माननीय सदस्य उस काम को करने को तैयार नहीं होगा। लेकिन यह सुधार हम सब मिल कर ही कर सकते हैं।

आज समाज पैसे से चालित हो रहा है। पहले स्लेवरी, तलवार, डंडा और चाबुक से कराई जाती थी लेकिन आज चूंकि संसार प्रगतिशील है, कल्चर्ड है इसलिये आज एक्स-प्लायटेशन भी कल्चर्ड है, रिफाइन्ड (refined) है, आपको लाठी डंडे की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ पैसे से ही काम चल जायगा। इसके बरखिलाफ गांधीजी ने आवाज उठायी थी। इसलिये उन्होंने खादी को रखा था कि आज की जो एकोनामिक वैल्यूज हैं, जिसमें कम्पिटीशन छिपा हुआ है--कम्पेटीशन का मतलब क्या है ? इसका मतलब है ताकतवर आदबी गरीब को चूस सके। अगर आप मुझे इजाजत दें कि छोटे बच्चों के चांदी के गहने थोड़ी मिठाई दे कर ले लूं तो मैं तो करोड़पति बन सकता हूं। ऐसे ही बेचारे गांव के आदमी को तम्बाकू पिला कर के, शराब पिला कर के हम लूट सकते हैं। यह सारा काम पैसा करता है। हमारा कोई ऐसा तरीका जिससे हम कहें कि नहीं, एक मेहतर को वही तनख्वाह मिलेगी जो राष्ट्रपति को मिलेगी। गांधीजी ने इस ओर कदम उठाया था कि यह जिम्मेदारी समाज की होगी कि हर आदमी जब तक वह अनएम्पलायड है उसको खाना देगा। सरकार यह काम नहीं कर सकती, क्योंकि हमारी सरकार प्रजातांत्रिक है। डिक्टेटरशिप यह कर सकती है। जब तक आप यह नहीं करेंगे तब तक खादी लिबर्टी की लिवरी न हो कर स्लेवरी का बैज हो जायगी। जो गांधी जी नहीं चाहते थे। वह तो विलिंगनेस, डिसक्रिमिनेटिंग, ओनेस्ट और सिंसियर कोआप-रेशन है। यह तरीका है जो गांधी जी ने बताया था कि इस रास्ते पर हम चल सकें। लेकिन

[श्री विचित्रनारायण शर्मा]

इस रास्ते पर न जाकर पैसे को रखकर, उसकी ताकत को अक्षुण्ण रखकर आप चाहें कि सुधार कर लें तो आप उसमें कामयाब नहीं हो सकते हैं और एक्सप्लायटेशन और इनइक्वैलिटी बढ़ेगी, घटेगी नहीं ?

विश्वनाथ जी ने महात्मा गांधी जी का नाम लिया था, मेरा उनसे यही निवेदन है कि वे खादी को अपनायें तो उसको पता चलेगा । यह बुराई कहां से आ रही है ? यह बुराई मेरे दोस्त के यहां से, मेरे विरोधी के यहां से और सारे समाज से आ रही है । अछूतों के साथ कांग्रेस वाले ही बुरा व्यवहार नहीं करते हैं बल्कि सारा समाज करता है, हमारे भाई करते हैं । एक कांग्रेस में है, दूसरा कम्युनिस्ट है, तीसरा जनसंघ में है इस तरह से यह मामला है । यह बीमारी ऐसी नहीं है कि सिर्फ मुझे गाली देकर, कांग्रेस को बुरा भला कह कर, सरकार को बुरा कह कर आपका कर्त्तव्य पूरा हो जाता हो, अगर हो जाता है तो वह आपको मुबारक हो । सरकार में बुराइयां भी हैं क्योंकि सरकार हमारी और आपकी है, "Government is the mirror of public at large." सरकार में बुराई नहीं है यह कैसे हो सकता है ? सरकार तो आपकी ही रिप्रेजेंटेटिव है । यह जनता का काम है और सरकार उसी को रिप्रेजेंट करती है ।

श्री लखीसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने गाली शब्द कहा तो किस ने गाली दी ।

( जी श्री प्रेमसिंह के खड़े होने पर )

श्री अध्यक्ष—अभी मंत्री जी बैठे नहीं हैं, आप बैठ जायं ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, जो विशेष बातें थीं उनके संबंध में तो मैंने करीब-करीब कह दिया । अब छोटी बातों के बारे में कहने के लिये समय कम है ।

श्री अध्यक्ष—केवल १ मिनट बाकी है ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, विजय नगरम मार्केट की बात भी कही गयी । मैंने इस मार्केट को स्वयं देखा है । एक बहुत अच्छी चीज थी । स्टेशन रोड पर जो इन्क्रोचमेंट था वह इससे खत्म हो गया, जो कन्जेशन वहां था, वह नष्ट हो गया । सड़कें साफ और सुन्दर हो गयीं । इसे कराने में कुछ दिक्कत हुई पर जब थोड़ा प्रेसर पड़ा तो कार्य हो गया । चौड़ी सड़कें कराई गयीं, उसकी भी शिकायत की गयी, पर यह तो आज अनिवार्य है । आज के तेज रफ्तार के ट्रैफिक में सड़कों का चौड़ा होना अनिवार्य है । कारण कहीं बच्चे कुंचले जायंगे कहीं दब कर मरेंगे । आज भी ऐसा ही होता है इसमें सड़कें तो चौड़ी करनी ही होंगी ।

इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि आदरणीय सदन को मेरी बात पसन्द आयेगी और इन मांगों को वह स्वीकार करेगा ।

श्री राधेश्याम—अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी यह बता दें कि चुनाव कब करवा रहे हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—सरकार का पूरा इरादा है कि चुनाव वक्त से करवायें ।

श्री अध्यक्ष—अनुदान संख्या ३९ में माननीय विश्वनाथ प्रसाद ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उस पर मतदान होगा ।

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान ३९ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

**श्री अध्यक्ष**—प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, सन् १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३९—सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ७६,७७,४०० रुपयों की अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गयी ।)

**श्री प्रेमसिंह**—माननीय अध्यक्ष महोदय....

**श्री अध्यक्ष**—जब वोटिंग की कार्यवाही होती हो उस समय कोई बात नहीं हो सकती । आप तशरीक रखें ।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । )

**श्री अध्यक्ष**—एक बात निवेदन कर दूं कि जब तक यह प्रक्रिया चलेगी सदन बैठा रहेगा ।

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ४६ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ । )

**श्री अध्यक्ष**—प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, सन् १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४६—प्रकीर्ण व्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने केलिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ३,७९,२५,९०० रुपयों से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ—

पक्ष में—८८,

विपक्ष में—४२ ।)

**श्री अध्यक्ष**—अब हम उठते हैं और परसों ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ४६ मिनट पर सोमवार, २८ मई, १९६२ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया । )

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊः
२६ मई, १९६२ ।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ८६ एल० ए०—१९६२-८४५ ।